

दूसरी SECOND

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर) (Excluding Railways)

2014-2015

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च March, 2015

परिचायक टिप्पणी

विषय: पुरक अनुदान मांगों का दूसरा तथा अंतिम बैच 2014-15.

वर्ष 2014-15 की पूरक अनुदान मांगों का दूसरा तथा अंतिम बैच में 72 अनुदान मांगे तथा 4 विनियोग है। ₹36,952.86 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद सहित प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹19,229.61करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/उगाहियों के समतुल्य कुल अतिरिक्त व्यय ₹17,722.04 करोड़ बनता है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोजन के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए सहित, 121 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

- 2. संशोधित अनुमान (आयोजना एवं आयोजना-भिन्न) 2014-15 में ₹19,229.61 करोड़ के निवल नकद व्यय वाले प्रस्ताव से कुल अनुमोदित व्यय में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसके अधिकांश भाग को पहले ही 2014-15 के संशोधित अनुमान में शामिल कर लिया गया है और शेष के लिए अन्य अनुदानों में समतुल्य समग्र बचत होगी।
- 3. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं :-

INTRODUCTORY NOTE

Subject: Second and Final Batch of Supplementary Demands for Grants, 2014-2015.

The Second and Final Batch of Supplementary Demands for Grants for 2014-2015 includes 72 Grants and 4 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹ 36,952.86 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹ 19,229.61 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹ 17,722.04 crore. Besides, token provision of ₹ 121 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

- 2. Proposal involving net cash outgo of ₹ 19,229.61 crore will not result in any significant variation in total estimated expenditure in Revised Estimates (Plan and Non-Plan) 2014-2015, as major portion of this has already been included in Revised Estimates for 2014-2015 and for the remaining there would be equivalent overall savings in other Grants.
- 3. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

17 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

(i) भारतीय खाद्य निगम व अन्यों को देय सब्सिडी खाद्यान्नों के लेन-देन के संबंध में (₹3000.00 करोड़) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम व अन्यों को देय सब्सिडी (₹2000.00 करोड़) (ii) राज्य सरकार को खाद्यान्नों की विकेन्द्रित खरीद पर सब्सिडी (₹1300.00 करोड़) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार को खाद्यान्नों की विकेन्द्रित खरीद पर सब्सिडी (₹1375.81 करोड़)। (iii) स्कीम के तहत चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ब्याज। आर्थिक सहायता के भुगतान के लिए (₹603.77 करोड़) और (iv) "इंसैटिव ऑन मार्केटिंग एण्ड प्रमोशन सर्विसिस ऑफ रॉ सुगर प्रोडक्शन" स्कीम के तहत शुगर मिल्स को (₹200 करोड़) का प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए।

वित्त मंत्रालय 40 पेंशन

(क) सेवानिवृत्ति पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए (₹0.50 करोड़), राज्यों (₹30 करोड़) और संघ शासित क्षेत्रों (₹2.00 करोड़) के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेशनरी प्रभार छुट्टी नकदीकरण (₹1.00 करोड़) और परिभाषित योगदान पेंशन स्कीम, (₹1.50 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए उपर्युक्त व्यय में नकद होगा।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

17 Department of Food And Public Distribution

For (i) subsidy to Food Corporation of India and others on food grains transaction (₹ 3000 crore) and under National Food Security Act (₹ 2000 crore), (ii) subsidy to State Governments on decentralized procurement of food grains (₹ 1300 crore) and under National Food Security Act (₹ 1375.81 crore), (iii) payment of interest subvention (₹ 603.77 crore) under Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings and (iv) providing incentive to Sugar Mills (₹ 200 crore) under Incentive on Marketing and Promotion Services of Raw Sugar Production.

MINISTRY OF FINANCE

40 Pensions

(a) For meeting expenditure of superannuation Pension and Retirement Benefits (₹ 0.50 crore), pensionary charges in respect of High Court Judges of States (₹ 30 crore) and of UTs (₹ 2 crore), Leave Encashment (₹ 1 crore) and Defined Contribution Pension Scheme (₹ 1.50 crore).

7,389.61 7,389.61

35.00

35.00

		(क	ज्रोड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	
(ख) सेवा-निवृत्ति पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के व्यय को पूरा करने के लिए (₹398.18 करोड़), नई परिभाषित पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/विकलांगता होने पर अतिरिक्त राहत (₹0.50 करोड़), परिवार पेंशन (₹143.55 करोड़), नई परिभाषित पेंशन स्कीम साधारण परिवार पेंशन के तहत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/विकलांगता होने पर अतिरिक्त राहत (₹7.00 करोड़), नई परिभाषित पेंशन स्कीम और अधिक साधारण परिवार पेंशन (₹2.00 करोड़), छुट्टी नकदीकरण (एआइएस) (₹10.00 करोड़) और एसपीएमसीआईएल पेंशन नीधि को देय सरकारी योगदान (₹125.77 करोड़)।	(b) For meeting expenditure of Superannuation Pension and Retirement benefits (₹ 398.18 crore), Additional Relief on death/disability of Government servant covered by the New Defined Pension Scheme (₹ 0.50 crore), Family Pension (₹ 143.55 crore), Additional Relief on death/disability of Govt. Servant covered by the New Defined Pension Scheme Ordinary Family Pension (₹ 7 crore), Additional Relief on death/disability of Govt. Servant covered by the New Defined Pension Scheme and Extra Ordinary Family Pension (₹ 2 crore), Leave Encashment (AIS) (₹ 10 crore) and Government contribution payable to SPMCIL Pension Fund (₹ 125.77 crore).	-	687.00	687.00
42 राजस्व विभाग (क) उत्तर प्रदेश के व्यापार विभाग को विक्रय कर पर ब्याज भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय (₹4.62 करोड़) तथा प्रशासनिक व्यय (₹2.67 करोड़) को पूरा करना।	42 Department of Revenue (a) For meeting additional expenditure for payment of interest on purchase tax to the Trade Tax Department of Uttar Pradesh (₹ 4.62 core) and			
(ख) राज्य सरकार को केन्द्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति (सीएसटी) के लिए (₹10757.41 करोड़) और वैट से संबंधित व्यय (₹4 करोड़) की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए।	Administrative expenses (₹ 2.67 crore). (b) For providing additional funds towards Central Sales Tax (CST) compensation to the State Governments (₹ 10757.41 crore) and	-	4.73	4.73
(ग) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने हेतु।	VAT related expenditure (₹ 4 crore). (c) For providing additional funds towards Central Sales Tax (CST) compensation to Union Territory Administration.	-	10,761.41 241.56	241.56
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
51. भारी उद्योग विभाग एनईआर (हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की एक इकाई (₹185 करोड़) के लिए कचार पेपरिमल को सामान्य अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए।	51 Department of Heavy Industry For providing Grants-in-aid General to Cachar Paper Mill for NER [a unit of Hindustan Paper Corporation Ltd (₹ 185 crore)].	41.38	-	41.38
गृह मंत्रालय 54 मंत्रिमण्डल (क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) मंत्रिमण्डल मंत्रियों का विदेश यात्रा व्यय (₹48.96 करोड़) (ii) उत्तरी रेलवे को सामान्य अनुदान सहायता (₹1.59 करोड़) और (iii) मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा व्यावसायिक सेवाएं (₹0.42 करोड़)।	MINISTRY OF HOME AFFAIRS 54 Cabinet (a) For meeting additional expenditure under (i) Foreign Travel Expenditure of Cabinet Ministers (₹ 48.96 crore) (ii) Grants-in-aid General (₹ 1.59 crore) to Northern Railway and (iii) professional Services by Cabinet Secretariat (₹ 0.42 crore).	_	24.47	24.47
(ख) राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा सत्कार पर होने वाले व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting expenditure by President's Secretariat on Hospitality.	-	0.54	0.54

		आयोजना	रोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
53. चुनाव आयोग	63 Election Commission			
वेतन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना	For meeting additional expenditure on Salaries	_	1.00	1.00
65 विनियोग - भारत का उच्चतम न्यायालय माननीय न्यायधीशों और कार्मिकों तथा कार्यालय व्यय के साथ-साथ घरेलू यात्रा व्यय, चिकित्सा उपचार तथा वेतन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	65 Appropriation - Supreme Court of India For meeting additional expenditure on Salaries, Medical Treatment and Domestic Travel Expenses of the Hon'ble Judges and the Officials and also under Office			
फर्सा।	Expenses.	-	15.64	15.64
केन्द्रीय सतर्कता आयोग	CENTRAL VIGILANCE COMMISSION			
74 केन्द्रीय सतर्कता आयोग	74 Central Vigilance Commission			
निम्न की अतिरिक्त मांग पूरी करने के लिए (i)	For meeting additional demand for (i)			
चिकित्सा व्यय (₹0.25 करोड़) (ii) अधिवक्ता,	medical expenditure (₹ 0.25 crore) (ii)			
परामर्शदाता और डाटा एंट्री आपरेटरों के लंबित	professional services required to meet the			
बिलों को पूरा करने के लिए अपेक्षित व्यावसायिक	pending bills for advocates, consultants and			
सेवाएं (₹0.25 करोड़) और (iii) कार्यालयी व्यय	Data Entry Operators (₹0.25 crore) and (iii)			
(₹0.50 करोड़)।	Office expenses (₹ 0.50 crore).	-	1.00	1.00
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION			
सेवा आयोग तथा	PUBLIC SERVICES COMMISSION			
उपराष्ट्रपति सचिवालय	AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
78 विनियोग स्टाफ पिरवार तथा राष्ट्रपित के भत्ते- अधिष्ठपना से संबंधित व्यय को पूरा करना।	78 Appropriation - Staff, Household and Allowances of the President			
	For meeting establishment related		2.75	2.75
	expenditure.	-	3.75	3.75
80 राज्य सभा	80 Rajya Sabha			
वेतन तथा भत्तों के भुगतान पर होने वाले अतिरिक्त	For meeting the additional expenditure towards payment of Salary and Allowances.		1.60	1.60
व्यय को पूरा करना। 81 संघ लोक सेवा आयोग	81 Union Public Service Commission	-	1.00	1.00
वेतन, परीक्षा, भर्ती परीक्षा और यूपीएससी द्वारा	For meeting the additional expenditure on			
आयोजित चयन संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा	Salaries, Examinations, Recruitment Test			
करना।	and Selections conducted by UPSC	-	18.00	18.00
आदिवासी मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
97 आदिवासी मंत्रालय	97 Ministry of Tribal Affairs			
(क) सचिवालय-सामाजिक सेवाओं के अतिरिक्त	(a) For meeting additional expenditure of			
व्यय को पूरा करना।	Secretariat-Social Services	-	1.48	1.48
(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,	(b) For meeting additional establishment			
अन्य पिछड़ा वर्गी तथा अल्पसंख्यकों के	expenditure towards Welfare of			
कल्याण पर होने वाले अतिरिक्त अधिष्ठापन	Scheduled Castes, Scheduled Tribes,			
व्यय को पूरा करना।	Other Backward Classes and			
	Minorities	-	1.44	1.44
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	41.38	19,188.23 1	9,229.61
अनुदानं/विनियाक ₹17,722.04 करा के प्रस्ताव शामिल हैं, जिन्हें अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा मंत्रालयों/	4. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹ 17,722.04 crore which are matched by			

निम्नानुसार हैं:

additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

		· ·	रोड़ रुपए Rupees	
मनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
ागर विमानन मंत्रालय (क) भारत के हवाई अड्डा प्राधिकरण को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान उपलब्ध कराना। (ख) ये उपलब्ध कराने के लिए : (i) एयर पोर्टसएकोनेमिक रेगुलेटरी ऑथरिटी (एईआरए) (₹2 करोड़); (ii) हज चाटरो को अतिरिक्त सब्सिडी (₹33.84 करोड़) और (iii) नागर विमानन महानिदेशक के कार्यालय के वेतन हेतु (₹4.32 करोड़)।	MINISTRY OF CIVIL AVIATION 9 Ministry of Civil Aviation (a) For providing Grants for Creation of Capital Assets to Airport Authority of India. (b) For providing (i) Grants-in-aid General to Airports Economic Regulatory Authority (AERA) (₹ 2 crore); (ii) additional subsidy to Haj Charters (₹ 33.84 crore) and (iii) salary for the office of Director General of Civil	14.10	-	14.10
ाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 2 औद्योगिक नीति तथा सवर्द्धन विभाग	Aviation (₹ 4.32 crore) MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 12 Department of Industrial Policy and Promotion	-	40.16	40.16
पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹36.90 करोड़)। नंचार एवं सूचना मंत्रालय	For meeting additional expenditure (₹ 36.90 crore) under 'North East Industrial and Investment Promotion Policy'. MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND	12.59	-	12.59
 अाइजोल (मिजोरम) के केन्द्र सरकार के एचआरए के भुगतान हेतु न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। (ख) वेतन (₹141.13 करोड़) मजदूरी (₹12 करोड़), पेंशन (135 करोड़) कार्यालय व्यय (₹43 करोड़) व्यावसायिक सेवाएं (₹142.35 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान (₹0.02 करोड़) और अन्य अधिष्ठापना से संबंधित व्यय (₹18.01 करोड़)। 	INFORMATION TECHNOLOGY 13 Department of Posts (a) For meeting additional requirement arising out of Court Judgement for meeting payment of HRA to Central Govt. employees at Aizwal (Mizoram). (b) For meeting additional requirement towards salaries (₹ 141.13 crore), wages (₹ 12 crore), pensions (₹ 135 crore), Office Expenses (₹ 43 crore), Professional Services (₹ 142.35 crore), Grants-in-aid General (₹ 0.02 crore) and other establishment related expenditure (₹ 18.01 crore).	-	0.21 344.66	0.21
उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 7 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्यान की विकेन्द्रीकृत प्राप्ति पर राज्य सरकार को सब्सिडी हेतु (₹1300 करोड़)।	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 17 Department of Food And Public Distribution For subsidy to State Government on decentralized procurement of food grains (₹ 1300 crore).	-	996.48	996.48
क्का मंत्रालय (क) रक्षा मंत्रालय (क) वेतन, लघु निर्माण कार्य, आपूर्ति एवं सामग्री पीओएल, व्यावसायिक सेवाएं, मशीनरी एवं उपकरण आदि के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	MINISTRY OF DEFENCE 20 Ministry of Defence (a) For meeting additional expenditure under 'Salaries', 'Minor Works', 'Supplies and Materials', 'POL', 'Professional Services', 'Machinery & Equipment', etc.	_	134.74	134.74
(ख) कैट/न्यायालय के आदेशों के कारण बढ़े हुए	(b) For meeting additional expenditure			

				(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुव	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	(ग) अधिकारियों/स्टाफ की भर्ती के कारण रक्षा लेखा विभाग के 'वेतन भत्तों' के सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु कैंटनमेंट बोर्ड को 'सामान्य सहायता अनुदान' के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।		(c) For meeting additional expenditure towards 'Grants-in-aid General' to Cantonment Boards for payment of statutory liabilities of Pay & Allowances and 'Salaries' of Defence Accounts Department due to induction of officers/staff.	_	135.98	135.98
	(घ) जम्मू व कश्मीर लाइट इनफैन्टरी की जरूरत हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।		(d) For meeting additional expenditure towards requirement of Jammu & Kashmir Light Infantry.	_	0.10	0.10
	(डं) जम्मू व कश्मीर लाइट इनफैन्टरी से संबंधित अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करने हेतु।		(e) For meeting additional expenditure towards establishment related expenditure of Jammu & Kashmir			
	(च) मंडपम ने रिहायशी कामप्लैक्स और कोस्ट गार्ड स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए केरल उच्च न्यायालय के आदेशों के कारण भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।		Light Infantry. (f) For meeting additional expenditure towards payment arising out of orders of High Court of Kerala for land acquisition for construction of Coast Guard Station and residential complex	-	43.31	43.31
21	रक्षा पेंशन न्यायालय आदेशों के कारण अतिरिक्त व्यय को	21	at Mandapam. Defence Pensions For meeting additional expenditure arising	-	6.73	6.73
	पूरा करना।	22	out of Court Orders.	-	9.30	9.30
22	रक्षा सेवाएं सेना (क) न्यायालय के आदेशों के कारण भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	22	Defence Services - Army (a) For meeting additional expenditure towards payment arising out of Court Orders.	_	336.00	336.00
	(ख) माउण्टेयनिरिंग संस्थानों को वेतन तथा भत्ते (₹1674 करोड़), परिवहन (₹735.47 करोड़) पूर्व सेनानी अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (₹1050 करोड़), निरीक्षण (₹10 करोड़), भण्डारन (₹800 करोड़), निर्माण कार्य (₹1055 करोड़) और सहायता अनुदान (₹16 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।		(b) For meeting additional expenditure towards Pay & Allowances (₹ 1674 crore), Transportation (₹ 735.47 crore), Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (₹ 1050 crore), Inspection (₹ 10 crore), Stores (₹ 800 crore), Works (₹ 1055 crore) and Grants-in-aid (₹ 16 crore) to Mountaineering Institutes.	_	5,340.47	5,340.47
23	रक्षा सेवाएं - नौसेना (कं) न्यायालय के आदेशों के कारण भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	23	Defence Services - Navy (a) For meeting additional expenditure towards payment arising out of Court		,	,
	(ख) वेतन तथा भत्ते (₹75 करोड़), निर्माण कार्य (₹215.91 करोड़) और संयुक्त स्टाफ (₹59.46 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय को पूरा		Orders. (b) For meeting additional expenditure towards pay & allowances (₹75 crore), works (₹215.91crore) and Joint Staff	-	9.63	9.63
24	करना। रक्षा सेवाएं - वायु सेना (क) न्यायालय के आदेशों के कारण भुगतान संबंधी	24	(₹ 59.46 crore). Defence Services - Air Force (a) For meeting additional expenditure	-	350.37	350.37
	अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (ख) वेतन तथा भत्ते (₹480.10 करोड़), भण्डारण (₹1070.33 करोड़) और निर्माण कार्य (₹375		towards payment arising out of Court Orders. (b) For meeting additional expenditure towards pay & allowances (₹ 480.10	-	53.59	53.59
26	करोड़) पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	26	crore), stores (₹ 1070.33 crore) and works (₹ 375 crore). Defence Services - Research and	-	1,925.43	1925.43
	स्टोर (₹149.01 करोड़) और निर्माण कार्य		Development For meeting additional expenditure under			
	(₹171.02 करोड़) शीर्षों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना		the heads stores (₹ 149.01 crore) and works (₹ 171.02 crore).	-	320.03	320.03

			 आयोजना	शेड़ रुपए Rupee आयोजना-भिन्न	
अनुद	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
वित्त	मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33	आर्थिक कार्य विभाग	33 Department of Economic Affairs			
	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को अंशदान के अतिरिक्त	For meeting additional expenditure			
	व्यय को पूरा करना।	towards contribution to International			
	6	Development Association.	-	433.29	433.29
34	वित्तीय सेवाएं विभाग	34 Department of Financial Services			
•	(क) किसानों को अल्पावधिक ऋण के लिए ब्याज	(a) For additional provision towards			
	आर्थिक सहायता हेतु अतिरिक्त प्रावधान।	interest subvention for short term			
	3	credit to farmers.	_	3,476.71	3,476.71
	(ख) स्ट्रैस्ड, एसैट्स, स्टेविलाइजेशन फण्ड	(b) For meeting expenditure of ₹250 crore		-,	-,
	(एसएएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों के विमोचन	towards redemption of securities			
	हेतु (₹250 करोड़) के व्यय को पूरा करना।	issued to Stressed Assets Stabilization			
	eg (1200 mar) m m an an an an	Fund (SASF)	_	82.41	82.41
11	भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग	41 Indian Audit and Accounts Department		02.11	02.11
• •	अतिरिक्त स्थापना एवं वेतन संबंधी व्यय को पूरा	For meeting additional establishment and			
	करना।	salary related expenditure.	_	5.83	5.83
12	राजस्व विभाग	42 Department of Revenue		3.03	5.03
72	पूंजी पर ब्याज (₹6.71 करोड़) और गाजीपुर अल्का-	For meeting additional expenditure			
	लायड वर्करन (₹20.47 करोड़) की अफीम अन्तरण	towards interest on capital (₹ 6.71 crore)			
	की लागत के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय को	and payment of cost of Opium transferred			
	पूरा करना।	to Ghazipur Alkaloid Works (₹ 20.47 crore).	_	25.32	25.32
	3(14)(11)	to Ghazipui / tikaioid Works (V 20.4/ erore).		23.32	23.32
गरी	उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
51	भारी उद्योग विभाग	51 Department of Heavy Industry			
	एनइआर के कचार पेपर मिल (हिंदुस्तान पेपर	For providing Grants-in-aid General to			
	कारपोरेशन लिमिटेड की एक इकाई) को सामान्य	Cachar Paper Mill for NER (a unit of			
	सहायता अनुदान उपलब्ध कराना।	Hindustan Paper Corporation Ltd).	15.92	-	15.92
गुह ं	मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
_	पुलिस	55 Police			
	निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i)	For meeting additional expenditure			
	केंद्रीय सेवा पुलिस बल को राशन की लागत	towards (i) Cost of Ration (₹ 975.45 crore)			
	(₹९७७.45 करोड़) (ii) राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	of Central Armed Police Forces (ii) Minor			
	के लघु कार्य (₹3 करोड़) (iii) भारत बंगलादेश	Works of National Police Academy (₹ 3			
	सीमाकार्यों निर्माण कार्य (₹10 करोड़) (iv) भारत-	crore) (iii) Minor Works of Indo			
	पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य के लघु कार्य (₹10	Bangladesh Border Works (₹ 10 crore), (iv)			
	करोड़) और (v) दिल्ली पुलिस (₹50 करोड़)।	Minor Works of Indo Pak Border Works			
	, (, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(₹10 crore) and (v) Delhi Police			
		(₹ 50 crore)	-	1,011.87	1011.87
सच	ना एवं प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND			
••		BROADCASTING			
31	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Information and			
		Broadcasting			
	सीरीफोर्ट काम्पलेक्स के उन्नयन के अतिरिक्त,	For meeting additional expenditure for			
	व्यय को पूरा करने के लिए (0.40 करोड़), फिल्म	upgradation of Siri Fort Complex (₹ 0.40			
	प्रभाग की बिल्डिंग अवसंरचना (0.50 करोड़) तथा	crore), building infrastructure of Films			
	इलेक्ट्रानिक मीडिया मानीटरिंग सेन्टर (4.80 करोड़)।	Division (₹ 0.50 crore) and Electronic Media Monitoring Centre (₹ 4.80 crore).	3.21	_	3.21
		incoming control (1100 croto).	5.21		3.21
	मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
) (खान मंत्रालय	67 Ministry of Mines For meeting the additional requirement			
	न्यायालय के आदेश के अनुसार जिलालाजिकल	For meeting the additional requirement			
	सर्वे आफ इण्डिया की क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त	towards compensation to Geological		0.00	0.00
	आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	Survey of India as per the Court Order.	-	0.08	0.08

			रोड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन् Non Plan	न जोड़ Total
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	73 Ministry of Personnel, Public Grievances And Pensions			
(क) कर्मचारी चयन आयोग की व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान (₹18.50 करोड़)।	(a) For payment for professional Services of Staff Selection Commission (₹ 18.50 crore)	_	2.74	2.74
(ख) सीबीआई शाखाओं/कार्यालयों के आधुनिकरीण हेतु।	(b) For Modernization of CBI branches / offices	-	2.00	2.00
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
75 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय रणनीतिक तेल रिसर्व के लिए इण्डियन स्ट्रैटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लि. (आईएसपीआरएल) को भुगतान	75 Ministry of Petroleum and Natural Gas For payment to Indian Strategic Petroleum Reserve Ltd. (ISPRL) for Strategic Oil			
हेतु।	Reserve.	2,399.00	-	2,399.00
विद्युत मंत्रालय 77. विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER 77 Ministry of Power			
ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारणो को अतिरिक्त ब्याज भुगतान के मुकाबले बकाया ऋण के निपटान हेतु आवश्यक लेखा समायोजन हेतु।	For carrying out necessary accounting adjustment for settlement of outstanding loan against excess interest paid by Tehri Hydro Development Corporation (THDC)			
	due to conversion of loan into equity.	-	91.85	91.85
अंतरिक्ष विभाग 92. अंतरिक्ष विभाग ऐंद्रिक्स कारपोरेशन लि. द्वारा जारी बोनस शेयरों	DEPARTMENT OF SPACE 92 Department of Space Additional equity investment in the form			
के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश।	of Bonus Shares issued by Antrix Corporation Limited.	-	3.00	3.00
पर्यटन मृंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
96 पर्यटन मंत्रालय (i) पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली के लिए बहुस्तरीय पार्किंग कम कार्यालय के निर्माण हेतु (₹10 करोड़) तथा (ii) अजंता एलोरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास परियोजना को भुगतान (₹0.80 करोड़)।	96 Ministry of Tourism For (i) construction of multi level parking- cum-office for Ministry of Tourism at New Delhi (₹ 10 crore) and (ii) payment towards Ajanta Ellora Conservation and Tourism			
(10.00	Development Project (₹ 0.80 crore).	10.80	-	10.80
आदिवासी कार्य मंत्रालय 97 आदिवासी कार्य मंत्रालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण की स्कीम के	 MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 97 Ministry of Tribal Affairs For meeting additional establishment expenditure under the scheme Welfare of 			
अन्तर्गत अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए।	Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities.	-	0.14	0.14
संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
99 चंडीगढ़ (क) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चडीगढ़ में माननीय न्यायाधीशों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए।	 99 Chandigarh (a) For meeting establishment expenditure to Hon'ble judges in the Punjab and Haryana High Court, 			
(ख) मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल द्वारा घोषित	Chandigarh. (b) For meeting expenditure for payment	-	2.51	2.51
अवार्ड के भुगतान हेतु व्यय को पूरा करना।	of award announced by the Motor Accident Claims Tribunal.	-	1.00	1.00

		•	(करोड़ रुपए Rupe	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description	आयोज on of items Pla		
शहरी विकास मंत्रालय 103. शहरी विकास मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड को अंशदान	MINISTRY OF URBAN DEVEL 103 Department of Urban Devel For Contribution to the Nat Region Planning Board.	lopment tional Capital).00 -	80.00
कुल तकनीकी	Total Technical	2,535	5.62 15,186.42	17,722.04
5. नीचे दी गई मदों के संबंध में प्रत्येक के लिए प्रस्तावित ₹1 लाख पूरक अनुदान, जिसके समक्ष दर्शाया गया व्यय संबंधित अनुदान को, मामले के अनुसार, राजस्व अथवा पूंजी भाग में बचतों के पुनर्विनियोग से पूरा किया जाएगा।	 Supplementary grants of ₹ 1 also proposed to be taken items listed below, the indicated against which wi reappropriation of saving Revenue or Capital Section, a be, of the relevant grant. 	in respect of expenditure ill be met by s within the		
अनुदानों हेतु सांकेतिक पूरक मांगें	Token Supplementary Demand	s for grants		
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTUR	E		
1 कृषि एवं सहकारिता विभाग	1 Department of Agric Cooperation	ulture and		
(क) (i) पादप किस्मों और किसान अधिकार संख्यण के तहत सामान्य सहायता-अनुदान (₹1.30 करोड़) और वेतन सहायता-अनुदान (₹0.20 करोड़) जारी करना (ii) बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ (₹2.00 करोड़) और इसके घटक जनजाति क्षेत्र उप-आयोजना (₹4.00 करोड़) का अनुदान जारी करना (iii) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के कार्यान्वयन को अंशदान (₹133.79 करोड़) (iv) फार्म वाटर मैनेजमेंट के तहत सामान्य सहायता-अनुदान (₹1.00 करोड़) (v) बागवानी एकीकृत विकास मिशन (केन्द्रीय क्षेत्र के तहत (₹37.46 करोड़) ओर इसके घटकों,अनुसूचित जाति उप-योजना, (₹12.04 करोड़) और जनजाति क्षेत्र उप-योजना (₹6.00 करोड़) की सामान्य सहायता अनुदान (vi) मौसम आधारित उपज बीमा स्कीम-अनुसूचित जाति उप-आयोजना के तहत अँशदान (₹30.83 करोड़)।	(a) For providing (i) Grants- (₹ 1.30 crore) and G Salaries (₹ 0.20 crore) un of Plant Varieties and F (ii) Grants for Creatic Assets (₹ 2 crore) under on Seeds and Planting its component Tribal A (₹ 4 crore) (iii) cont implementation of Agriculture Insuran (₹ 133.79 crore) (iv) G General under On I management (₹ 1 crore) aid General under I Integrated Develo Horticulture (Central Se crore) and its componen Caste Sub Plan (₹ 12.0 Tribunal Area Sub Plan ((vi) contribution under V Crop Insurance Schem Caste Sub Plan (₹ 30.83	der Protection Farmers Right on of Capital Sub-Mission Material and Area Sub-Plan Aribution for National Ce Scheme Grants-in-aid Farm Water (v) Grants-in- Mission for pment of actor) (₹ 37.46 ats, Scheduled 04 crore) and (₹ 6 crore) and Weather Based ne-Scheduled crore). 228	3.62 -	228.62
(ख) एकीकृत कृषि विपणन स्कीम (₹224.10 करोड़) और इसके घटक अनुसूचित जाति उप-आयोजना (₹58.00 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान देना।	(b) For providing Grants-in (₹ 224.10 crore) under Scheme on Agriculture Mits component Scheme	n-aid General er Integrated Marketing and duled Caste	2.10	282 10
(ग) (i) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता परियोजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹5.00 करोड़) (ii) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रीय क्षेत्र) के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹4.50 करोड़) आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (₹6 करोड़) (iii)	Sub-Plan (₹ 58 crore) (c) For (1) providing G General under (i) Nation Management of Soil Fertility (₹ 5 crore) (ii) Integrated Develo Horticulture (Central Secretary) and Tribal Ar	nal Project on Health and) Mission for pment of ector) (₹ 4.50	10 -	282.10

crore) and Tribal Area Sub-Plan

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रीय

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) आयोजना आयोजना-भिन्न जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Non Plan Grant No. & title and description of items Plan **Total** प्रायोजित प्रणाली) के तहत सामान्य सहायता (₹ 6 crore) (iii) Mission for Integrated अनुदान प्रदान करना (₹42.58 करोड़) और Development of Horticulture आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (₹104.74) (iv) (Centrally Sponsored Scheme)(₹42.58 एकीकृत कृषि विपणन स्कीम के तहत सामान्य crore) and Tribal Area Sub-Plan सहायता अनुदान जारी करना(₹0.33 करोड़) (₹ 104.74) (iv) Integrated Scheme on और आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (₹1 करोड़) Agriculture Marketing (₹ 0.33 crore) (v) बीज और रोपण अनुसूचित जाति उपand Tribal Area Sub Plan (₹ 1 crore) योजना (₹1 करोड़) और जन जाति क्षेत्र (v) Sub-Mission on Seeds and उपयोजना (1 करोड़), और (vi) प्रधान मंत्री Planting, Scheduled Caste Sub Plan कृषि सिंचाई योजना-माइक्रो सिंचाई (₹5 (₹ 1 crore) and Tribal Area Sub Plan करोड़) (2) अंशदानः (i) राष्ट्रीय कृषि बीमा (₹ 1 crore) and (vi) Pradhan Mantri स्कीम, अनुसूचित जाति उपयोजना का Krishi Sinchai Yojana-Micro Irrigation कार्यान्वयन (₹59 करोड़) और (ii) संशोधित (₹ 5 crore) (2) contribution under (i) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम अनुसूचित जाति implementation ofNational उपयोजना (₹28.75 करोड़)। Agricultural Insurance Scheme, Scheduled Caste Sub Plan (₹ 59 crore) (ii) Modified National Agricultural Insurance Scheme, Scheduled Caste Sub Plan (₹ 28.75 crore). 258.90 258.90 (घ) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो सिंचाई (d) For providing Grants-in-aid General के अन्तर्गत सहायता अनुदान उपलब्ध कराना। under Pradhan Mantri Krishi Sinchai 25.00 25.00 Yojana-Micro Irrigation. (ड) कृषि यांत्रिकी संबंधी उपमिशन के अन्तर्गत (e) For meeting the requirement for मशीनरी तथा उपकरण हेत् आवश्यकता को Machinery and Equipment under Sub-पूरा करना। Mission Agriculture Mechanization. 0.200.20 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा मंत्रालय Department of Agricultural Research and Education (क) (i) कृषि में मूलभूत, कार्यनीतिक, और सीमान्त (a) For providing (1) Grants-in-aid उपयोग अनुसंधान राष्ट्रीय नीति के तहत General to (i) Indian Council of भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (₹7.31 Agricultural Research under National करोड़), कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान Fund for Basic, Strategic and Frontier (₹4.00 करोड़), बागवानी विश्वविद्यालय, Application Research in Agriculture हरियाणा (₹4.00 करोड़), डीम्ड विश्वविद्यालय (₹7.31 crore), Agriculture University, की तरह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, Rajasthan (₹ 4 crore), Horticulture असम को (₹0.08 करोड़) और भारतीय कृषि University, Haryana (₹4 crore), Indian अन्संधान संस्थान, झारखंड़ डीम्ड Agricultural Research Institute, विश्वविद्यालय (₹0.08 करोड़) को सामान्य Assam (₹ 0.08 crore) and Jharkhand सहायता अनुदान जारी करने के लिए (ii) (₹ 0.08 crore), (ii) National Academy राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी और भारतीय of Agricultural Sciences and Indian कृषि विश्वविद्यालय एसौसिएशन के लिए Agricultural Universities Association सामान्य सहायता अनुदान (₹1.57 करोड़) (₹ 1.57 crore); (2) Grants for creation (2) कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान (₹1.00 of Capital Assets to Indian Council करोड़), बागवानी विश्वविद्यालय, हरियाणा of Agricultural Research for (₹1.00 करोड़), भारतीय कृषि अनुसंधान Agriculture University, Rajasthan (₹ संस्थान असम, डीम्ड विश्वविद्यालय की तरह 1 crore), Horticulture University, (₹0.02 करोड़) और भारतीय कृषि अनुसंधान Haryana (₹ 1 crore), Indian संस्थान झारखंड, डीम्ड विश्वविद्यालय, Agricultural Research Institute (₹0.02 करोड़) के लिए पूंजी परिसम्पत्ति के deemed University, Assam सृजन हेतु (3) भारतीय (i) कृषि अनुसंधान (₹ 0.02 crore) and Jharkhand (₹ 0.02 परिषद को अनुदान (₹5.42 करोड़) राष्ट्रीय crore); and (3) Grants-in-aid Salaries कृषि विज्ञान अकादमी और (ii) भारतीय कृषि to (i) Indian Council of Agricultural विश्वविद्यालय एसोसिएशन को वेतनों के लिए Research under Agricultural

Education Institutes (₹ 5.42 crore)

सहायता अनुदान(₹0.44 करोड़)।

				(क	in Crore)	
अनुदान र	ांख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant	No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख)	(i) कृषि संस्थानों का प्रसार स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹0.51 करोड़) और कृषि इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए (₹0.22 करोड़)। (ii) बागवानी संस्थाओं स्कीम के तहत भारतीय	(b)	and (ii) National Academy of Agricultural Sciences and Indian Agricultural Universities Association (₹ 0.44 crore) For providing (i) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under Agricultural Extension Institutes (₹ 0.51 crore) and Agricultural Engineering Institutes	24.94	-	24.94
	कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के तहत अनुदान (₹0.16 करोड़), कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी संस्थानों के लिए (₹0.02 करोड़), कृषि इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए (₹0.01 करोड़), पशु विज्ञान संस्थानों (₹0.33 करोड़) और मत्स्यपालन संस्थानों के लिए (₹0.02 करोड़) (iii) कृषि शिक्षा संस्थानों (₹0.38 करोड़), अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान (₹0.45 करोड़), पशु विज्ञान संस्थान (₹8.21 करोड़) और मत्स्यपालन संस्थान (₹3.50 करोड़) स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतनों के लिए सहायता अनुदान।		(₹ 0.22 crore); (ii) Grants for Creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under Horticulture Institutes (₹ 0.16 crore), Agricultural Economics and Statistics Institutes (₹ 0.02 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.01 crore), Animal Science Institute (₹ 0.33 crore) and Fisheries Institutes (₹ 0.02 crore); (iii) Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under Agricultural Education Institutes (₹ 0.38 crore), Other Natural Resource Management Institutes (₹ 0.45 crore), Animal Science Institutes (₹ 8.21 crore) and Fisheries Institutes(₹ 3.50 crore).	_	13.81	13.81
(4)	(i) कृषि में मूलभूत, कार्यनीतिक और सीमान्त उपयोग अनुसंघान राष्ट्रीय नीति के तहत भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹1.02 करोड़) (ii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सामान्य सहायता अनुदान (₹2.64 करोड़)। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बड़ापानी को सामान्य सहायता अनुदान (₹0.14 करोड़)। कृषि में मूलभूत, कार्यनीतिक,और सीमान्त उपयोग अनुसंघान परिषद को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.08 करोड़) (iii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय बड़ापानी को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.13 करोड़) (iv) कृषि इंजीनियरिंग संस्थान के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद को वेतन सहायता अनुदान (₹0.60 करोड़)।	(c)	For providing (i) Grants-in-aid General (₹ 1.02 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.08 crore) to Indian Council of Agricultural Research under National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture (ii) Grants-in-aid General to Central Agricultural University, Imphal (₹ 2.64 crore) and Barapani (₹ 0.14 crore) (iii) Grants for Creation of Capital Assets to Central Agricultural University, Barapani (₹ 0.13 crore); and (iv) Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.60 crore).	4.61		4.61
3. पशु	पालन, डेयरिंग और मत्स्यपालन विभाग		nstitutes (₹ 0.60 crore). partment of Animal Husbandry, irying and Fisheries	4.61	-	4.61
(ক)	नेशनल बैंक आफ एग्रीकल्वर एण्ड रुरल डेवपलपमेंट (नाबार्ड) की "डेयरी उद्यमशीलता विकास" के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।		For providing additional funds to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) under the scheme Dairy Entrepreneurship			
(ख)	। "लाइवस्टॉक सेंसस" स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(b)	Development. For additional requirement under the scheme of Livestock Census	19.64 0.50	-	19.64 0.50
(ग)	संस्थान की चारदिवारी के निर्माण हेतु "सेन्ट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म" के अन्तर्गत अतिरिक्त	(c)	For meeting additional requirement under the scheme of Central Cattle		-	0.50
	आवश्यकता को पूरा करना।		Breeding Farm.	1.76	-	1.76

		(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of item	आयोजना ns Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4 परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
(क) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (₹2.74 करोड़) न्यूकिल्यर रिसाइकल बोर्ड (₹89.02 करोड़) न्यूकिल्यर ईंधन काम्पलैक्स (₹167.83 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditu Bhabha Atomic Research Ce (₹2.74 crore), Nuclear Recycle B (₹89.02 crore) and Nuclear Complex (₹167.83 crore).	entre Board Fuel -	259.59	259.59
(ख) विभिन्न स्कीमों के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान का अतिरिक्त व्यय।	(b) For additional expenditure tow Grants for Creation of Capital A under various schemes.		_	37.59
(ग) निम्न के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (1) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (₹3.47 करोड़), भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (₹126.02 करोड़), उन्नत प्रौद्योगिकी राजा रमन्ना केंद्र (₹11.02 करोड़), चर एनजीर् साइक्लोट्रान केंद्र (₹3.98 करोड़), और एएमडी (₹3.86 करोड़). 2. (i) टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान को वेतन सहायता अनुदान हेतु (₹22.49 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹17.60 करोड़) (ii) टाटा मेमोरियल हस्पताल को वेतन सहायता अनुदान (₹7 करोड़) (iii) साहा परमाणु भौतिकी संस्थान के वेतन सहायता अनुदान (₹3.13 करोड़) (iv) हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान को वेतन सहायता अनुदान (₹0.56 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹0.58 करोड़) (v) पलास्मा अनुसंधान संस्थान को वेतन सहायता अनुदान (₹4 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹4 करोड़) (vii) परमाणु ऊर्जा शिक्षा स्कूल के वेतन सहायता अनुदान (₹11.28 करोड़) और सामान्य सहयात अनुदान (₹11.28 करोड़)।	(c) For meeting additional expend towards (1) Atomic Energy Regular Board (₹ 3.47 crore), Bhabha Att Research Centre (₹ 126.02 crore), Ramanna Centre for Advate Technology (₹ 11.02 crore), Var Energy Cyclotron Centre (₹ crore) and AMD (₹ 3.86 crore) (₹ Tata Institute of Fundamental Resetowards Grants-in-aid Salaries (₹ 2 crore) and Grants-in-aid General (₹ 17.60 crore) (ii) Tata Mem Hospital towards Grants-in-aid Sal (₹ 7 crore) (iii) Saha Institute of Nu Physics towards Grants-in-aid Sal (₹ 1.59 crore) and Grants-in-General (₹ 3.13 crore) (iv) Hase Chandra Research Institute towards Grants-in-aid Salaries (₹ 0.56 cand Grants-in-aid General (₹ crore) (v) Institute of Plasma Resetowards Grants-in-aid General (₹ crore) and Grants-in-aid General (₹ 4 crore) (vi) Atomic Energlase (₹ 1.28 crore) and Grantalaid Salaries (₹ 1.28 crore) and Grantalaid Salaries (₹ 11.28 crore) and	iture atory omic Raja ance iable 3.98 2) (i) earch 22.49 neral orial daries clear aries a-aid arish vards rore) 0.58 earch 3.77 neral ergy ss-in-		
(घ) विभिन्न स्कीमों के तहत अतिरिक्त व्यय को	in-aid General (₹ 1.80 crore).(d) For meeting capital expenditure	-	222.15	222.15
पूरा करने के लिए। (ड) न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड परियोजनाएं (₹5 करोड़) और गुरु जल बोर्ड (₹129.34 करोड़) की परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय।	Atomic Energy. (e) For additional expenditure tow projects of Nuclear Recycle B (₹ 5 crore) and Heavy Water B	oard	-	15.51
(च) विभिन्न स्कीमों के तहत अतिरिक्त व्यय को	(₹ 129.34 crore).(f) For meeting additional expend		134.34	134.34
पूरा करने के लिए।	under Atomic Energy Research.	127.47	-	127.47
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
10 कोयला मंत्रालय	10 Ministry of Coal			
"नामोदिष्ट प्राधिकरण" के कार्य-संचालन संबंधी व्यय पूरी करने हेतु।	For meeting expenditure on functioning of "Nominated Authority		3.74	3.74

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY	1		
।1. वाणिज्य मंत्रालय	11 Department of Commerce			
(क) इस अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i)	(a) For meeting additional expenditure of			
चाय बोर्ड को सामान्य अनुपालन सहायता के	(i) Tea Board towards Grants-in-aid			
लिए (₹1.70 करोड़), वचनबद्ध देनदारियों और	General (₹ 1.70 crore) and Grants-in-			
अनुदान सहायता वेतन के भुगतान के लिए (₹6.39	aid Salary (₹ 6.39 crore); (ii) Coffee			
करोड़), कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भोगियों	Board towards Grants-in-aid General			
को वार्षिक पेंशन देनदारी के भुगतान के लिए;	(₹ 21.60 crore) and Grants-in-aid			
(ii) कॉफी बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान	Salary (₹ 3.60 crore); (iii) Rubber			
(₹21.60 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय की	Board towards Grants-in-aid General			
लागत सहायता अनुदान वेतन (₹3.60 करोड़);	(₹ 10.50 crore) and Grants-in-aid			
(iii) रबड़ बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान	Salary (₹ 10.50 crore) and (iv) Spices			
(₹10.50 करोड़) और (iv) मसाला बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹3.81 करोड़)	Board towards Grants-in-aid General			
और सहायता अनुदान वेतन (₹1.84 करोड़)।	(₹3.81 crore) and Grants-in-aid Salary (₹1.84 crore).		59.94	59.94
(ख) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को पूंजीगत	(b) For providing Grants for Creation of	-	39.94	39.92
आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹36.54	Capital Assets to Indian Institute of			
करोड़) और राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा	Foreign Trade (₹ 36.54 crore) and			
(एनआईए) को (₹100 करोड़) की अतिरिक्त	additional expenditure towards			
व्यय हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए।	National Export Insurance Account			
	(₹ 100 crore).	136.54	-	136.54
ाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY			
2 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion	ı		
(क) निवेश प्रोन्नित स्कीम के तहत अतिरिक्त व्यय पूरी करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under 'Scheme for Investment Promotion'.	10.00	_	10.00
(ख) पल्प और पेपेर उद्योग विकास परिषद को	(b) For meeting an additional expenditure			
वेतन सहायता अनुदान (₹2.80 करोड़) और	towards providing Grants-in-aid			
राष्ट्रीय सीमेंट और बिल्डिंग निर्माण सामग्री	Salaries to Development Council for			
(₹0.80 करोड़) प्रदान करने के लिए अतिरिक्त	Pulp and Paper Industries (₹ 2.80 crore)			
व्यय को पूरा करने के लिए।	and National Council for Cement and			
	Building Material (₹ 0.80 crore).	-	3.60	3.60
ांचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY	1		
4 दूर संचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
(क) नई दिल्ली में सांसदों को घरों में (एफटीटीएच)	(a) For providing funds to Mahanagar			
प्रांडबैंड/फाइबर सुविधा प्रदान करने हेतु महानगर	Telephone Nigam Limited towards			
टेलीफोन निगम लि. को निधि प्रदान करना।	broadband/fiber to the home (FTTH)			
	facilities to MPs in New Delhi.	6.00	-	6.00
(ख) महानगर टेलीफोन निगम लि. के द्वारा जारी	(b) For meeting additional expenditure			
बांडों पर बाण को अदायगी हेतु अतिरिक्त	towards payment of interest on bonds			
व्यय के लिए बैठक।	issued by Mahanagar Telephone			
	Nigam Limited.	-	72.42	72.42
(ग) भारतीय टेलीफोन उद्योग लि. के वेतन की	(c) For providing loans to Indian			
अदायगी के लिए ऋण प्रदान करना।	Telephone Industries Limited for		204.00	204.00
	payment of salaries.	-	204.00	204.00
5 इलेक्ट्रानिक तथा आसूचना तकनीक विभाग	15 Department of Electronics and			
"	Information Technology			
"एनआईईएलआईटी" कार्यक्रम/योजना के तहत	For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries under the			
सहायता अनुदान वेतन हेतु अतिरिक्त वेतन के लिए बैठक।			3.56	3.56
ाराष्ट्र विभग	Scheme/Programme of "NIELIT".	-	3.30	5.50

		 आयोजना	रोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	<i>जोड़</i>
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
खाद्य एवं लोक वितरण,	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,			
उपभोक्ता - मामले मंत्रालय	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17 खाद्य एवं लोक वितरण विभाग	17 Department of Food and Public Distribution			
लोक वितरण व्यवस्था तथा क्षमता निर्माण, गुणता नियंत्रण, परामर्श दाता सेवाएं तथा अनुसंघान को	For strengthening of Public Distribution System & Capacity Building, Quality	0.06		0.04
मजबूत बनाना।	Control, Consultancies and Research.	0.06	-	0.06
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19. संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
(क) (i) संगीत नाटक अकादमी (₹1.50 करोड़)	(a) For Grants-in-aid General to (i)			
तथा (ii) कलाक्षेत्र, चैन्नई (₹0.30 करोड़)	Sangeet Natak Akademi (₹ 1.50 crore)			
के लिए सामान्य सहायता अनुदान।	and (ii) Kalakshetra, Chennai			
	(₹ 0.30 crore).	1.80	_	1.80
(ख) (i) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम (₹2 करोड़);	(b) For (i) Grants-in-aid General to Nehru			
ललित कला अकादमी (₹3 करोड़) तथा इंदिरा	Memorial Museum (₹ 2 crore); Lalit			
गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल (₹0.32	Kala Akademi (₹ 3 crore) and Indira			
करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान	Gandhi Rashtriya Manav			
तथा (ii) एशियन सोसायटी, कोलकाता के	Sangrahalaya, Bhopal (₹ 0.32 crore)			
लिए वेतन सहायता अनुदान (₹2.50 करोड़)।	and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹ 2.50			
	crore) to the Asiatic Society, Kolkata.	-	7.82	7.82
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
25 रक्षा आयुध निर्माणी	25 Defence Ordnance Factories			
विजयंता सीनियर स्कूल, हेवी वेहिकल फैक्टरी,आवड़ी	For providing additional Grants-in-aid to			
के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करना।	Vijayanta Senior School, Heavy Vehicle			
,	Factory, Avadi.	_	0.35	0.35
27 रक्षा मंत्रालय	27 Ministry of Defence			
(क) न्यायिक आदेशों के परिणामस्वरूप संयुक्त	(a) For meeting additional expenditure by			
कर्मचारियों द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय के	Joint Staff towards payment arising out			
भुगतान हेतु बैठक।	of Court Orders.	_	5.44	5.44
्ख) वायु सेना (कार्य) (₹23.54 करोड़) तथा सेना	(b) For meeting additional expenditure by		3.11	5.11
(थल) (₹183 करोड़) के द्वारा अतिरिक्त व्यय	Army (Land) (₹ 183 crore) and Air			
के लिए बैठक।	Force(Works) (₹23.54 crore).	_	206.54	206.54
47 1017 40471	Total (Works) (* 25.54 ctole).		200.54	200.54
पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
31 पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	31 Ministry of Environment and Forests			
(i) राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण (प्रोजेक्ट	For meeting expenditure towards (i)			
टाइगर) के लिए सहायता अनुदान (₹1.50 करोड़)	Grants-in-aid General (₹ 1.50 crore) to			
तथा (ii) वन प्रबंधन की भारतीय संस्था के लिए				
* *	National Tiger Conservation Authority			
सहायता अनुदान वेतन हेतु (₹3.65 करोड़) को	(Project tiger) and (ii) Grants-in-aid salaries			
पूरा करने हेतु।	(₹ 3.65 crore) to Indian Institute of Forest	5 15		F 15
	Management.	5.15	-	5.15
विदेश मामले मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
32 विदेश मामले मंत्रालय	32 Ministry of External Affairs			
(i) अंतरराष्ट्रीय कानून, भारतीय सोसायटी (₹0.15	For (i) Grants-in-aid General to Indian			
करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (ii)	Society of International Law (₹ 0.15 crore)			
वैश्विक मामले, भारतीय परिषद (₹1.54 करोड़) के	(ii) Grants-in-aid Salaries to India Council			
	_			
लिए वेतन सहायता अनुदान तथा "विशेष राजनयिक	of World Affairs (₹ 1.54 crore) and			
	of World Affairs (₹ 1.54 crore) and providing additional funds under 'Special			

				,	रोड़ रुपए Rupees	
अनुव	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वित्त	मंत्रालय	MI	NISTRY OF FINANCE			
33	आर्थिक कार्य विभाग	33	Department of Economic Affairs			
	(क) कृषि संबंधी विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि (आईएफएडी) अंशदान के अतिरिक्त व्यय के लिए बैठक।		(a) For meeting additional expenditure towards contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD).	_	1.35	1.35
	(ख) रेलवे को संचालन रणनितिक लाइनों में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए सहायिकी हेतु अतिरिक्त निधि प्रदान करना।		(b) For providing additional funds for subsidy to Railways towards reimbursement of losses to Railways for operation of strategic lines.	_	16.90	16.90
	(गं) (i) विज्ञापन तथा प्रचार (₹1 करोड़) तथा (ii) फाइनेशल एक्शन टाक्स फोर्स (₹0.07 करोड़) के लिए सदस्यता अंशदान, एड्स, टी.बी. तथा मलेरिया (₹0.26 करोड़) के लिए वैश्विक निधि का अंशदान तथा टीकाकरण एवम प्रतिरक्षीकरण (₹0.22 करोड़) के लिए वाश्विक मिश्रों का योगदान।		(c) For meeting additional expenditure towards (i) Advertisement and Publicity (₹ 1 crore) and (ii) membership contribution to Financial Action Task Force (₹ 0.07 crore), contribution to Global funds for AIDS, TB and Malaria (₹ 0.26 crore) and contribution to Global Alliance for Vaccination and Immunization (₹ 0.22 crore).		1.55	1.55
	(घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के रेजीडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिव पर आने वाले (₹0.14 करोड़) के अतिरिक्त खर्च और ग्लोबल इन्विवेरोनमेन्ट फेसिलिटी ट्रस्ट फण्ड के (₹4.81 करोड़) का अंशदान करने के लिए।		(d) For meeting additional expenditure for Resident Representative of United Nations Development Programme (₹ 0.14 crore) and contribution to Global Environment Facility Trust			
	00 > 3 - 0 -	2.4	Fund (₹ 4.81 crore).	-	4.95	4.95
34	वित्तीय सेवाओं का विभाग (कं) पेंशन विधि नियमक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु ₹5.50 करोड़ और वेतन सहायता अनुदान के लिए ₹1.50 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान का रखा जाना।	34	Department of Financial Services (a) For additional provision towards Grants-in-aid General (₹ 5.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 1.50 crore) for Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).	_	7.00	7.00
	(ख) आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के तहत छात्रवृत्ति निधि के पुनर्भरण के लिए अतिरिक्त प्रावधान।		(b) For additional provision towards replenishment of Scholarship Fund under Aam Aadmi Bima Yojana		25.00	25.00
	(ग) क्रेडिट गारंटी फंड फोर फैक्टरिंग का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		(AABY)(c) For meeting additional expenditure for Credit Guarantee Fund for	-	25.00	25.00
	(घ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आईआईएफसीआईएल) के प्राथमिकता प्राप्त शेयरों की खरीदारी के लिए, निधि प्रदान		Factoring. (d) For providing funds towards purchasing preference shares of Industrial Finance Corporation of India	200.00	-	200.00
37	करने के लिए। सरकारी सेवकों को ऋण आदि कंप्यूटरों की खरीद के लिए अग्रिमों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	37	Limited (IIFCI Ltd.). Loans to Government Servants, etc. For meeting additional expenditure towards Advances for purchase of	60.00	-	60.00
42	राजस्व विभाग प्रवर्तन निदेशालय का स्थापना संबंधी व्यय पूरा	42	Computers. Department of Revenue For meeting establishment related	-	5.00	5.00
43	जरने हेतु। प्रत्यक्ष कर पठानकोट में कार्यालयी बिल्डिंग के निर्भाण हेतु भूमि की खरीद (₹1.74 करोड़) और आयकर	43	expenditure of Enforcement Directorate Direct Taxes For purchase of land for construction of office building at Pathankot (₹ 1.74 crore)	-	3.48	3.48

_					आयोजना	रोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	जोड
अनुव	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	G	rant	No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
	निर्माण (₹2.29 करोड़) और प्रोविरम, गोवा में रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण (₹10.00 करोड़) के लिए।		qua Inc	nmu (₹ 2.29 crore) and residential arter at Provorim, Goa (₹ 10 crore) for omeTax Offices.	-	14.03	14.03
44	अप्रत्यक्ष कर (i) क्षेभीय प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय सीमा उत्पाद शुल्क, एवं नारकोटिक्स अकादमी, चैन्नई के निर्माण के लिए तमिलनाडु आवास बोर्ड (टेएनएचबी), चैन्नई से भूमि खरीद के लिए (₹55.00 करोड़) (ii) राष्ट्रीय सीमा, उत्पाद शुल्क एवं नारकोटिक्स शुल्क, अकादमी बिल्डिंग और चारदिवारी, हिन्दुपुर, आंध्र प्रदेश में निर्माण के लिए भूमि खरीद के लिए (11 करोड़ रुपए) (iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग,		For Con Nat Nat lan Nat Nat	lirect Taxes (i) purchase of land (₹ 55 crore) for astruction of Regional Training Institute, tional Academy of Customs Excise and recotics at Chennai, (ii) acquisition of d (₹ 11 crore) for construction of tional Academy of Customs, Excise and recotics building at Andhra Pradesh and			
	कराड़ रुपए) (iii) केन्द्राय उत्पाद शुल्क विभाग, चर्चगेट मुम्बई द्वारा अपने स्वामित्व वाली पुरानी बिल्डिंग की एक बार मरम्मत और नवीनीकरण के लिए (₹1.00 करोड़)।		of Ex	one time major repairs and renovation old buildings owned by the Central cise Department at Church Gate, ambai (₹ 1 crore).	_	67.00	67.00
खाह	य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	M	INIS	STRY OF FOOD PROCESSING		0,,00	0,100
46	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (क) गुणवत्ता आश्वासन स्कीम के तहत व्यावसायिक शुल्कों के भुगतान, कोडेक्स मानकों, अनुसंधान और विकास अन्य संवर्धन गतिविधियों के लिए।		Mi	DUSTRIES nistry of Food Processing Industries For payment of professional fees under the scheme quality Assurance, codex standards, R&D other promotional			
	() () () () ()			Activities.	0.28	-	0.28
	(ख) आईआईसीपीटी को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।		(b)	For providing additional Grants-in-aid General to IICPT	-	2.01	2.01
स्वा	स्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	M		TRY OF HEALTH AND FAMILY ELFARE			
47	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (क) (i) मेडिकल शिक्षा और अनुसंघान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ को पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अतिरिक्त अनुदान।			For additional Grants for creation of Capital Assets to Post Graduate Institute of Medical Education and			
	(ख) (i) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम प्रबंधन के सुढ़ढ़ीकरण के अधीन अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹40.38 करोड़) और (ii) रुटीन इम्पूनाइजेशन कार्यक्रम (जीसी)		(b)	Research, Chandigarh. For additional Grants-in-aid General under (i) Strengthening National Programme Management of the NRHM (₹ 40.38 crore) and (ii) Routine Immunisation Programme (GC)	10.00	-	10.00
	(₹0.43 करोड़)। (ग) (i) अवसंरचना रख रखाव केन्द्र (₹1.43 करोड़) राष्ट्रीय अंघता नियत्रण कार्यक्रम (2.00 करोड़), विरष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देख-रेख (₹0.25 करोड़), एससीएसपी के अधीन अवसंरचना रख रखाव (₹1.37 करोड़), एससीएसपी के अंतर्गत समेकित रोग निगरानी परियोजना (₹0.56 करोड़), टीएसपी के अन्तर्गत नेशनल अर्बन हेल्प मिशन (₹0.47 करोड़) टीएसपी के अधीन राष्ट्रीय कुष्ट रोग नियंत्रण कार्यक्रम जीसी (₹0.10 करोड़), टीएसपी के अधीन समेकित रोग निगरानी परियोजना (₹0.44 करोड़), टीएसपी के अधीन समेकित रोग निगरानी परियोजना (₹0.44 करोड़), टीएसपी के अधीन राष्ट्रीय मुख संबंधी देख-रेख स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹0.14 करोड़) के संबंध में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने		(c)	(₹0.43 crore). For additional (i) Grants-in-aid General under Infrastructure Maintenance - Sub Centres (₹ 1.43 crore); National Blindness Control Programme (₹ 2 crore); Health care for Elderly (₹ 0.25 crore); Infrastructure Maintenance under SCSP (₹ 1.37 crore); Integrated Disease Surveillance Project under SCSP (₹ 0.56 crore); National Urban Health Mission under TSP (₹ 0.47 crore); National Leprosy Control Programme - GC under TSP (₹ 0.10 crore); Integrated Disease Surveillance Project under TSP (₹ 0.44 crore); Health care for Elderly under TSP	40.81	-	40.81

				(करोड़ रुपए Rupees in		in Crore)
भनुदान स	iख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant	No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ঘ)	के लिए सामान्य सहायता अनुदान (ii) टीएसपी के अधीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.06 करोड़)। स्कीम-चिकित्सा पुनर्वास के तहत सामान्य	(d)	(₹ 0.05 crore); National Oral Health Programme under TSP (₹ 0.14 crore) and (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme Health care for Elderly under TSP (₹ 0.06 crore).	6.87	-	6.87
(ঙ)	सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला गिंडी, चैन्नई के लिए लियोफिलाइजर मशीन की खरीद की अतिरिक्त लागत पूरी करने के लिए।	(e)	the scheme-Medical Rehabilitation. For meeting additional cost towards procurement of Lyophilizer Machine for BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai.	8.00 7.17	-	7.17
18 आर्	पुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,	48 De	partment of Ayurveda, Yoga &			
सिद	द्वा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)		Naturopathy, Unani, Siddha and			
(ড)	(i) माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान, राज्य में चुनाव कराने हेतु सीसीआईएम चुनावों के आयोजना हेतु अनुदान (₹0.28 करोड़)। (ii) निम्न स्कीमों के तहत वेतन सहायता अनुदान (क) स्कीम के तहत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को स्टाफ को वेतन और पेंशनरी लाभों के लिए (₹3.24 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए (2) केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद स्कीम के तहत वेतन और पेंशनरी लाभों के लिए (₹17.00 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए (३) केन्द्रीय हाम्योपेथी अनुसंधान परिषद स्कीम के तहत वेतन और पेंशनरी लाभों के लिए (₹1.82 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए। (4) केन्द्रीय यूनानी औषधि परिषद स्कीम के तहत स्टाफ को वेतन और पेंशनरी लाभों के लिए (₹9.70 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए। राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) स्कीम के तहत नव निर्मित स्कीम के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सामान्य सहायता अनुदान (₹7.50 करोड़)। (ii) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) स्कीम के तहत नव निर्मित स्कीम	(a) (b)	Homoeopathy For (i) Grants-in-aid General under the scheme, Grants for conducting CCIM Elections for holding election in the States as directed by Hon'ble Court (₹ 0.28 crore) and (ii) providing Grants-in-aid Salaries for meeting additional requirements of salary and pensionary benefits to the staff of 1. National Institute of Ayurveda, Jaipur,(₹ 3.24 crore) 2. Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹ 17 crore) 3. Central Council for Research in Homoeopathy (₹ 1.82 crore) and 4. Central Council for Research in Unani Medicine (₹ 9.70 crore). For providing (i) Grants-in-aid General (₹ 7.50 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 9.18 crore) under National AYUSH Mission towards augmentation under the provisions of	-	32.04	32.04
(ग)	के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सामान्य सहायता अनुदान (₹9.18 करोड़)। (i) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹32.63 करोड़) और (ii) और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹12.69 करोड़), (iii) सामान्य सहायता अनुदान (₹1.03 करोड़) तथा (iv) राष्ट्रीय आयुष मिशन के एससी एसपी घटक के अन्तर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु (₹1.03 करोड़)।	(c)	North Eastern Areas. For providing (i) Grants-in-aid General (₹ 32.63 crore); (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 12.69 crore) under National AYUSH Mission (iii) Grants-in-aid General (₹ 1.03 crore) and (iv) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1.03 crore) under the SCSP component towards National AYUSH Mission	16.68		16.68
(ਬ)	नव निर्मित स्कीम अर्थात राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.25 करोड़) (ii) नव निर्मित स्कीम अर्थात राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु	(d)	Mission. For providing Grants-in-aid to UT Governments (i) Grants-in-aid General (₹ 1.25 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1.21 crore) under National AYUSH	47.38	-	47.38
	अनुदान (₹1.21 करोड़ रुपए)।		Mission.	2.46	-	2.46

		आयोजना आयोजना	रोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	<i>ण टाठार,</i> जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयाजना Plan	Non Plan	जाड़ Total
भारी उद्योग एवं सरकारी उद्यम मंत्रालय 51 भारी उद्योग विभाग सांविधिक देयों के भुगतान के लिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के लिए गैर-आयोजना ऋण।	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES 51 Department of Heavy Industry Non-plan loan to HMT Machine Tools Ltd. for payment of statutory dues.	-	26.34	26.34
गृह मंत्रालय (i) राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने (₹2.70 करोड़ रुपए), (ii) अन्य गैर कानूनी कार्यकलाप (रोकथाम) अधिकरण के बकाया दावों के भुगतान हेतु (₹0.59 करोड़), (iii) कार्य- संरक्षणकर्ताओं के आवास पर निर्माण संबंधी सुरक्षा हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹2.00 करोड़ रुपए)।	MINISTRY OF HOME AFFAIRS 53 Ministry of Home Affairs For (i) meeting additional requirement towards Grants-in-aid General under National Human Rights Commission (₹ 2.70 crore) (ii) payment of outstanding claims of other Unlawful Activities (Prevention) Tribunal (₹ 0.59 crore) and (iii) meeting additional requirement for security related works at the residence of Protectees (₹ 2 crore).		5.29	5.29
55 पुलिस निम्न का अतिरिक्त खर्च पूरा करने हेतु (i) विशेष सुरक्षा समूह के लिए रिहायशी बिल्डिगं (₹1.95 करोड़); (ii) अनुसंधान (₹276 करोड़) और (iii) असम राईफल्स (₹20 करोड़)।	For meeting additional expenditure towards (i) Residential Building for Special Protection Group (₹1.95 crore); (ii) Research (₹ 276 crore) and (iii) Assam Rifles (₹ 20 crores)		297.95	297.95
गृह मंत्रालय के अन्य व्यय संघ शासित क्षेत्रों के नव नियुक्त वित्तीय आयोगों के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन के भुगतान के लिए अग्रिम में स्वीकृत भारत की आकास्मिक निधि का रिकूपमेंट।	56 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs Recoupment of Contingency Fund of India Advance sanctioned for payment of salaries to Chairperson and other Members of newly appointed Financial Commission of UTs.	-	0.09	0.09
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION			
58 आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (क) सभी के लिए घर नए मिशन के लिए प्रावधान में बढ़ोतरी (i) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.49 करोड़) (ii) विज्ञापन एवं प्रचार (₹1.00 करोड़) तथा (iii) सामान्य सहायता अनुदान (₹8.50 करोड़)।	58 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (a) For augmenting provision for New Mission for Housing for All towards (i) Other Administrative Expenses (₹ 0.49 crore), (ii) Advertisement and Publicity (₹ 1 crore) and (iii) Grants			
 (ख) आवास तथा शहरी विकास कारपोरेशन को भुगतान करना। (ग) जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रेन्युअल मिशन व्यावसायिक सेवाएं (₹11.58 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान (₹17.98 करोड़) तथा राजीव आवास योजना (व्यावसायिक सेवाएं (₹6.00 करोड़)। 	 in-aid General (₹ 8.50 crore). (b) For payment to Housing and Urban Development Corporation. (c) For augmenting provision towards Professional Services (₹ 11.58 crore) and Grants-in-aid General (₹ 17.98 crore) under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission and Professional Services (₹ 6 crore) under Rajiv Awas Yojana . 	9.99	4.98	9.99 4.98 35.56
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
59 विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	59 Department of School Education and Literacy			
(क) न्यायालय के आदेश के अनुसार सोसायटियों	(a) For providing (i) Grants-in-aid General			

					(कः	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुद	ान सं	ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant	No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
		को भुगतान करने के लिए सामान्य सहायता		(₹ 1.42 crore) towards payment to			
		अनुदान (₹1.42 करोड़) (ii) मदरसों/		societies as per Court's decree and (ii)			
		अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए		payment to advocates TA/DA etc.			
		स्कीम-एसपीक्युईएम) वकीलों को भुगतान		(₹ 0.30 crore) under the scheme for			
		हेतु अन्य प्रभार और यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता		providing Education to Madrassas			
		आदि (₹0.30 करोड़)।		Minorities.	1.72	-	1.72
	(ख)	केंद्रीय विद्यालय संगठन के नए भर्ती अध्यापकों	(b)	For meeting additional requirement			
		की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए।		for newly recruited teachers of Kendriya			
		C,		Vidyalaya Sangathan.	-	63.35	63.35
60	उच्च	तिर शिक्षा विभाग	60 De	partment of Higher Education			
	(क)	(i) पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय		For providing (i) Grants-in-aid			
	,	बुक ट्रस्ट/संस्थानों की अनुदान स्कीम के	. ,	General (₹ 9 crore) to National Book			
		तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹9.00		Trust/Institutions for Book Promotion			
		करोड़) और (ii) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की		and (ii) Grants for Creation of Capital			
		अनुदान स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपतियों		Assets to Central Universities			
		के सृजन हेत अनुदान (₹175.00 करोड़)।		(₹ 175 crore).	184.00	_	184.00
	(ख)	(i) पेंशन और पेंशन लाभों के भुगतान के	(b)	(i) Grants-in-aid General for meeting	1000		1000
	()	अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए सामान्य	(0)	additional requirement for payment of			
		सहायता अनुदान केन्द्रीय विश्वविद्यालय को		pension and pensionary benefits to			
		अनुदान (₹168.36 करोड़) और (ii) मानवीय		Central Universities (₹ 168.36 crore)			
		और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता		and National Initiative for Excellence			
		के लिए राष्ट्रीय पहल (₹1.17 करोड़) और		in humanities and social sciences			
		विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्कीम के तहत		(₹ 1.17 crore) and (ii) Grants-in-aid			
		वेतन सहायता अनुदान के अतिरिक्त जरूरत		Salaries to University Grants			
		को पूरा करने के लिए (₹40.59 करोड़)।		Commission (₹ 40.59 crore).		210.12	210.12
	(ग)	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद स्कीम के	(a)	For 1. Grants-in-aid General under	_	210.12	210.12
	(1)	_	(C)	the schemes (i) All India Council for			
		तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹90.00 करोड़)					
		(ii) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बाम्बे, कोलकाता,		Technical Education (₹ 90 crore)			
		कानपुर, चैन्नई और कोलकाता स्कीम तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.52 करोड़ रुपए)		and (ii) Board of Apprenticeship			
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Training (₹ 0.52 crore), 2. Grants-			
		2(i) भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान		in-aid Salaries under the schemes (i)			
		(आईआईएससी) और भारतीय विज्ञान शिक्षा और		support to Indian Institute of Science			
		अनुसंधान शिक्षा संस्थानों (आईआईएसईआर)		(IISc) and Indian Institute (s) of			
		स्कीम के तहत, वेतन सहायता अनुदान (₹18.00		Science Education & Research			
		करोड़)। (ii) भारतीय प्रबंधन संस्थानों के तहत		(IISER) Education (₹ 18 crore) and			
		वेतन सहायता अनुदान (₹20.00 करोड़)। (iii)		(ii) Indian Institute of Management			
		राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों (एनआईटी) की स्कीम		(₹ 20 crore), 3. Grants for creation			
		के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए		of Capital Assets under the schemes			
		अनुदान (₹100.00 करोड़) (ii) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण		(i) National Institute of Technology			
		बोर्ड, बाम्बे, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और		(NITs) (₹ 100 crore) and (ii) Board			
		कोलकाता स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान		of Apprenticeship Training (₹ 0.20			
		(₹0.20 करोड़) और (iii) सीमान्त प्रशिक्षण और		crore) and (iii) Training &			
		अनुसंघान स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के		Research in Frontier Areas			
		सृजन हेतु अनुदान (₹17.58 करोड़)।		(₹ 17.58 crore).	246.30	-	246.30
	(ਬ)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) स्कीम	(d)	For meeting additional requirement of			
		के तहत, पेंशन और पेंशनरी लाभों के भुगतान		Indian Institutes of Technology (IITs)			
		की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के		towards Grants-in-aid General for			
		लिए सामान्य सहायता अनुदान।		payment of pensionary benefits.	-	53.83	53.83
	(ভ)	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान स्कीम के तहत	(e)	For providing Grants for Creation of			
		पूंजीगत परिसंपत्यों के सृजन हेतु अनुदान (₹100.00		Capital Assets under the Schemes (i)			
		करोड़)। (ii) एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी,		Grants to Central Universities (₹ 100			
		एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार जैसे		crore), (ii) Assistance to other			
		संस्थानों को सहायता स्कीम के तहत पूंजीगत		Institutes including SLIET, NERIST			
		परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु (20.00 करोड़) (iii)		Ranchi, CIT Kokrajhar (₹20 crore) and			
		भारतीय प्रबंधन संस्थान स्कीम के तहत पूंजीगत		(iii) Indian Institutes of Management			
		परिसंपत्तियों के सृजन हेतु (10.00 करोड़) ।		(₹ 10 crore).	130.00	_	130.00

	3,7,7, 3,7, 5,3, 7,7, 7,7	2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO			(X1X)
				ड़ि रुपए Rupees	
अनुद	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	ना और प्रसारण मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 61 Ministry of Information and			
	(क) भारत और विदेश में फिल्मोत्सव और फिल्म बाजारों के माध्यम से भारतीय सिनेमा प्रोन्नति स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	Broadcasting (a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Promotion of Indian Cinema through Film Festival and Film Markets in India and abroad.	1.50	-	1.50
	(ख) चिल्ड्रन फिल्म सोस्एटी आफ इंडिया को वेतनों के अतिरिक्त सहायका अनुदानों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹0.04 करोड़), सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट (₹0.83 करोड़)। भारतीय जनसंचार संस्थान (₹0.80 करोड़) और भारतीय प्रेस परिषद (₹0.18 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries to Children's Film Society of India (₹ 0.04 crore), Satyajit Ray Film and Television Institutes (₹ 0.83 crore), Indian Institute of Mass Communication (₹ 0.80 crore) and			
	(ग) प्रसार भारती को सामान्य सहायता अनुदान (₹1.98 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹110 करोड़) का अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	Press Council of India (₹ 0.18 crore). (c) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 1.98 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 110 crore) to Prasar Bharati.	-	1.85 111.98	1.85
श्रम	और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND			
62	श्रम और रोजगार मंत्रालय संघ शासित सरकार को कौशल विकास मिशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में निधियां प्रदान करने के लिए।	EMPLOYMENT 62 Ministry of Labour and Employment For release of funds to UT Government for Skill Development Mission as Grants-in aid General.	18.00	-	18.00
सूक्ष्म	ा, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
66	सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय (क) अवसरंचना विकास और क्षमता निर्माण स्कीम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान प्रदान करना ।	 66 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (a) For providing Grants for Creation of Capital Assets for NER under the scheme Infrastructure Development and Capacity Building 	2.00	_	2.00
	(ख) खादी अनुदान (₹90 करोड़) के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करना और एनएसआईसी द्वारा रेटिंग यूनिट हेतु पर्फामेंस एण्ड केडिट रेटिंग स्कीम (₹20 करोड़) प्रमोशनल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन्स एंड प्रोगैम (₹0.50 करोड़) तथा अवसंरचना विकास एवं क्षमता निर्माण (₹20.88 करोड़)।	(b) For providing Grants-in-aid General under the schemes Khadi Grant (₹ 90 crore), Performance and Credit Rating Scheme (₹ 20 crore), Promotional Services Institutions and Programme (₹ 0.50 crore) and Infrastructure Development and Capacity Building (₹ 20.88 crore).	131.38		131.3
खान	। मंत्रालय	MINISTRY OF MINES	131.30		131.30
	खान मंत्रालय (क) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड के लिए संवर्धन कार्य के तहत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए।	 67 Ministry of Mines (a) For meeting additional requirement towards Grants-in-aid General under promotional work for Mineral Exploration Corporation Ltd. 	1.00	_	1.00
	(ख) राश्ट्रीय चट्टान यांत्रिकी संस्थान (₹4.32 करोड़) जेएनएआरडीडीसी (₹2.05 करोड़) को वेतन सहायता अनुदान के तौर पर	(b) For additional requirement as Grants- in-aid salaries to the National Institute of Rock Mechanics (₹ 4.32 crore),			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total	
अतिरिक्त आवश्यकता और आन्ध्र प्रदेश सरकार को सुरक्षा सेवा संविदा बिलों, खनिज देयों के संबंध में भारत स्वर्ण खनन लिमिटेड, बंगलौर को सामान्य सहायता अनुदान (₹2.86 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centres (₹ 2.05 crore) and the Grantsin-aid General to the Bharat Gold Mines Limited (₹ 2.86 crore) towards expenditure relating security services contract bills, mineral dues to Andhra Pradesh Government.	-	9.23	9.23	
अल्पसंख्यंक कार्य मंत्रालय 68 अल्पसंख्यंक कार्य मंत्रालय निम्न के लिए (i) योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति स्कीम (₹50 करोड़) और हमारी धरोहर स्कीम के तहत (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹4.04 करोड़) व्यावसायिक सेवाओं (₹0.01 करोड़) और पंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान (₹0.45 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS 68 Ministry of Minority Affairs For (i) meeting the additional expenditure under the scheme of Merit-cum-Means Scholarship (₹ 50 crore) and (ii) Grants-in-aid General (₹ 4.04 crore), Professional Services (₹ 0.01 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.45 crore) under Hamari Dharohar Scheme.	54.50	_	54.50	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND				
75 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय उत्तरपूर्वी क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए तेल कम्पनियों को सब्सिडी देने हेतु ।	 NATURAL GAS 75 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing subsidy to Oil Companies for supply of Natural Gas to NE Region. 	-	24.00	24.00	
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING				
 (क) निम्नलिखित के अंतर्गत होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) असमानता को दूर करने के लिए यूएनडीपी एसिस्टैन्स फार ह्यूमन डेवलपमेंट को सामान्य सहायता (₹2.42 करोड़); और (ii) विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिए यूएनडीपी एसिस्टेड प्रोजेक्ट स्ट्रेन्थेनिंग कैपसिटीज को सामान्य सहायता अनुदान (₹0.43 करोड़)। (ख) राष्ट्रीय श्रम आर्थिक एवं कुशलता विकास संस्थान को अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन दिये जाने के लिए। 	 Ministry of Planning (a) For meeting the additional requirement under (i) Grants-in-aid General to UNDP Assistance for Human Development towards bridging inequalities (₹ 2.42 crore) and (ii) Grants-in-aid General to UNDP assisted Project-Strengthening Capacities for decentralized Planning (₹ 0.43 crore). (b) For providing additional Grants-in-aid Salaries to National Labour Economics and Skill Development Institute 	2.85	2.00	2.85	
	Institute.	-	2.00	2.00	
विद्युत मंभालय 77 विद्युत मंत्रालय राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) सलाल हाइड्रो स्टेज-। परियोजना के संबंध में पूंजीगत व्यय ऋण में बदलने के कारण पास्ट पीरियड एकाउंटिंग एडजस्टमेंट (पीपीए) के लिए।	 MINISTRY OF POWER 77 Ministry of Power For carrying out past period accounting adjustment (PPA) on account of conversion of Capital Expenditure into loan in respect of National Hydro Electric Power Corporation (NHPC) - Salal Hydro Stage-I Project. 	310.60	-	310.60	
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND				
83 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	HIGHWAYS 83 Ministry of Road Transport and				
लक्ष्य मे बढ़ोतरी होने और सीमा सड़क विकास	Highways For meeting additional expenditure (₹ 5				

		(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
बोर्ड (बीआरडीबी) के द्वारा भूटान के अंदर की ओर सड़क निर्माण कार्य को मंजूरी दिये जाने के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹5 करोड़)।	crore) due to increase in target and sanction of works of roads inside Bhutan by Border Roads Development Board (BRDB).	-	5.00	5.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
86. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान दिये जाने हेतु (i) प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (₹7 करोड़) और (ii) दिशा प्रोग्राम फार वीमेन इन साइन्स (₹4.75 करोड़)।	86 Ministry of Science and Technology For providing Grants-in-aid General towards (i) Technology Development Programme (₹ 7 crore) and (ii) Disha Programme for Women in Science	11.75		11.75
87 विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	(₹ 4.75 crore)87 Department of Scientific and Industrial	11.75	=	11.75
(क) निम्नलिखित के दिए जाने के लिए (i) प्रशासन के अंतर्गत सीएसआईआर को सामानाय सहायता अनुदान (₹0.30 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अंतर्गत सीएसआईआर को सामान्य सहायता अनुदान (₹61.75 करोड़)। (ख) "प्रशासन" (₹144.67 करोड़)तथा राष्ट्रीय प्रयोगशाला (₹26.88 करोड़)सामान्य अनुदान सहायता और "प्रशासन" (₹4.50 करोड़) तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं (₹17 करोड़) के अन्तर्गत सीएसआईआर के लिए वेतन सहायता अनुदान।	Research (a) For providing (i) Grants-in-Salaries to CSIR under Administration (₹ 0.30 crore) and (ii) Grants-in-aid General to CSIR under National Laboratories (₹ 61.75 crore). (b) For providing (i) Grants-in-aid General for CSIR under Administration (₹ 144.67 crore) and National Laboratories (₹ 26.88 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries for CSIR under Administration (₹ 4.50 crore) and National Laboratories (₹ 17 crore).	62.05	193.05	62.05 193.05
88 जैव प्रौद्योगिकी विभाग	88 Department of Biotechnology	-	193.03	193.03
(क) सामान्य सहायता अनुदान (i) बायोइन्फारमैटिक्स (₹0.77 करोड़) (ii) अनुसंधान और विकास- कृषि बायोइन्फारमौटिक्स (₹10 करोड़) (iii) अनुसंधान और विकास-बायोरिसोर्स विकास और उपयोग (₹0.50 करोड़) (iv) अनुसंधान और विकास- मैडीकल बायोटेक्नालाजी (₹10 करोड़)।	(a) For providing Grants-in-aid General towards (i) Bioinformatics (₹ 0.77 crore), (ii) Research & Development - Agricultural Biotechnology (₹ 10 crore), (iii) Research & Development - Bioresource Development & Utilisation (₹ 0.50 crore), (iv) Research & Development - Medical Biotechnology (₹ 10 crore).	21.27		21.27
(ख) (i) मानव संसाधन विकास के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹8.81 करोड़) (ii) मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2 करोड़) (iii) बायोइन्फारमैटिक्स के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹3 करोड़) (iv) अनुसंधान और विकास-मैडीकल बायोटेक्नालाजी के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹16 करोड़) (v) अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता को सहयोग के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹4 करोड़) और (vi) अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता हेतु अनुदान (₹5 करोड़)।	(b) For providing (i) Grants-in-aid General towards Human Resources Development (₹ 8.81 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the programme Human Resource Development (₹ 2 crore) (iii) Grants-in-aid General towards Bioinformatics (₹ 3 crore) (iv) Grants-in-aid General towards Research & Development-Medical Biotechnology (₹ 16 crore) (v) Grants-in-aid General towards assistance for international Cooperation (₹ 4 crore) and (vi) Grants towards International Cooperation			38.81
	(₹ 5 crore).	38.81	-	38.8

पोत परिवहन मंत्रालय

89 पोत परिवहन मंत्रालय

(क) हुग्ली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि. द्वारा

MINISTRY OF SHIPPING 89 Ministry of Shipping

(a) For making payment of Income Tax

			गेड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
आय कर देयता का भुगतान।	liability by Hooghly Dock & Port Engineers Ltd.	_	48.00	48.00
(ख) आन-बोर्ड शिप ट्रेनिंग पूरी होने पर इंडियन मर्चेंट कैडेट/ट्रेनी को सहायता अनुदान उपलब्ध कराना।	(b) For providing Grants-in-aid to Indian Merchant Cadet/trainees for completion of their on-board ship training.	10.00		10.00
(ग) सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के कार्मिकों के लिए समुन्नत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त स्कीम का कार्यान्वयन।	(c) For implementation of improved Voluntary Retirement Scheme for employees of Central Inland Water	10.00	44.00	
सामाजिक न्याय एवं एधिकारिता मंत्रालय	Transport Corporation. MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT	-	44.00	44.00
90 सामाजिक न्याय एवं एधिकारितास विभाग	90 Department of Social Justice and Empowerment			
(क) अन्य पिछड़े वर्गों के लड़के और लड़कियों के छात्रावास (₹11.88 करोड़) और अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास (₹4.00 करोड़) स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन सहायता अनुदान, और (ii) केन्द्र शासित राज्य चण्डीगढ़ में अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम (₹2.50 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान का प्रदान	(a) For providing (i) Grants for Creation of Capital Assets towards Boys and Girls Hostel for Other Backward Classes (₹ 11.88 crore) and Girls Hostel for Scheduled Castes (₹ 4 crore) and (ii) Grants-in-aid General to Union Territory Chandigarh for Post Matric Scholarship Scheme for Scheduled			
करने हेतु। (ख) (i)राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को वेतन सहायता अनुदान (₹०.10करोड) (ii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सामान्य सहायता अनुदान (₹०.45करोड़) (iii) विमुक्त जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हेतु अतिरिक्त निधि मुहैया कराने के लिए (₹०.10 करोड़)	Castes (₹ 2.50 crore). (b) For providing (i) Grants-in-aid Salaries to National Commission for Backward Classes (₹ 0.10 crore) (ii) Grants-in-aid General to National Commission for Backward classes (₹ 0.45 crore) (iii) additional funds for setting up of National Commission for	18.38	-	18.38
(ग) सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय संस्थान को सहायता	Denotified Tribes (₹ 0.10 crore). (c) For releasing Grants-in-aid Salaries to	-	0.65	0.65
अनुदान वेतन जारी करना। 91 निशक्तता कार्य विभाग (क) अक्षम व्यक्ति राष्ट्रीय संस्थान को सहायता अनुदान वेतन प्रदान करने के लिए।	National Institutes of Social Defence . 91 Department of Disability Affairs (a) For providing Grants-in-aid Salaries to National Institutes for Disabled	0.18	-	0.18
(क) अक्षम व्यक्ति राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता अनुदान वेतन (₹4 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹0.35 करोड़) प्रदान करने	Persons. (b) For providing Grants-in-aid Salaries (₹ 4 crore) and Grants-in-aid General (₹ 0.35 crore) to National Institutes for	2.50	-	2.50
के लिए। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	Disabled Persons MINISTRY OF STATISTICS AND	-	4.35	4.35
93. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को सहायता	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION 93 Ministry of Statistics and Programme Implementation For meeting the additional expenditure			
अनुदान वेतन में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए।	towards Grants-in-aid Salary to Indian Statistical Institute, Kolkata	-	9.91	9.91
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL 94 Ministry of Steel			
94 इस्पात त्राललय "नवप्रर्वतन लोहा/इस्पात बनाने की प्रक्रिया/तकनीक का विकास" में अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए।	94 Ministry of Steel For meeting the additional requirement in R&D scheme "Development of innovative iron/Steel making Process/Technology.	4.50	-	4.50

जनुवन संख्या और सीर्षक तथा मदों का विवरण जपड़ा मंत्रालय 95 कपड़ा मंत्रालय अवसंरचना और तकनीक विकास परियोजनाओं के तहत प्रतिबद्ध देयताओं की अतिरिक्त आवश्यकता की सूर्ती करने के लिए पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए पूंजी परिसम्पत्तियों के विकास के तहत चालू परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निवि प्रवान करने के लिए। आविवासी मंत्रालय 97 आविवासी मंत्रालय 97 आविवासी मंत्रालय 98 पर्यटन मंत्रालय 98 पर्यटन मंत्रालय 99 आविवासी मंत्रालय 97 आविवासी मंत्रालय 98 आविवासी मंत्रालय 97 आविवासी मंत्रालय 98 अहमान के लिए पुरस्कार सिक्त अनुस्वित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के अहेला स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुत्वान सहायता (रि.).5.0 करोड) अनुस्वित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के अहेला स्कीम (रि.) व करोड) केन्द्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित) 98 अंडमान और निकोबार द्वीप समृह (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समृह (क) अंडमान और भिन्न संवायता के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। (ख) जिला परिचद के संबंध में (रि.).90 करोड) अरे पंचायत सिमित (रि.).85 करोड) वेतन सहायता अनुवान के त्या को पूर्व के संबंध में (रि.).90 करोड) अरे पंचायत सिमित (रि.).85 करोड) वेतन सहायता अनुवान के त्या को पूर्व के लिए। (ख) जिला परिचद के संबंध में (रि.).90 करोड) अरे पंचायत सिमित (रि.).85 करोड) वेतन सहायता अनुवान के त्या को पूर्व के तिरा। (ख) जिला परिचद के संबंध में (रि.).90 करोड) अरे पंचायत सिमित (रि.).85 करोड) वेतन सहायता अनुवान के त्या को पूर्व के तिरा। (क) जिला परिचद के संबंध में (रि.).90 करोड) अरो पंचायत सिमित (रि.).85 करोड) वेतन सहायता अनुवान के त्या को पूर्व के त्या को पूर्व करोड) वेतन सहायता अनुवान के त्या को पूर्त के तिरा। (ख) जिला परिचद के संबंध में (रि.).90 करोड) अरो पंचायत सिमित (रि.).85 करोड) वेतन सहायता अनुवान के त्या को पूर्त करवंड) वेतन सहायता अनुवान के त्या को पूर्त करोड) वेतन सहायता अनुवान के त्या को पूर्त करोड) वेतन सहायता अनुवान के त्या को पूर्त करेड) वेतन सहायता अनुवान के त्या को पूर्त करोड) वेतन सहायता अनुवान के त्या को पूर्त करवंड के तिरा। (ख) जिला परिचद के संबंध में (रि.).90 करोड) अरो परिचद के तिरा कि तिरा करावे कि तिरा कि तिरा कि ति	भेन्न जोड़
95 Ministry of Textiles	•
Grants for Creation of Capital Assets for meeting additional requirement towards committed liabilities under Infrastructure and Technology Development Projects. अर्थटन मंत्रालय 96 पर्यटन मंत्रालय 96 पर्यटन मंत्रालय 97 आदिवासी मंत्रालय 98 प्राट्यान करने के लिए। अर्थादवासी मंत्रालय 98 पर्यटन मंत्रालय 99 आदिवासी मंत्रालय 97 आदिवासी मंत्रालय एकीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (i) कोचिंग तता सम्बद्ध स्कीम और निविधानमंडल सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुस्तित जीतियों के लिए एनजीओ को अनुदान सहायता (१९.50 करोड) (ii) अनुस्तित जनजाति के बच्चें की शिक्षा के अंब्रेला स्कीम (१८०० करोड)। अर्थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भेडिकल हिए। या जीतियों के लिए। या जीतियों विवाद विवा	
लहत प्रतिबद्ध देयताओं की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पूंजी परिसम्पत्तियों के सुजन के तहत चालू परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त नेवालय मत्यों और सर्किटों के आधारभूत ढांचे के विकास के तहत चालू परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधि प्रवान करने के लिए । अपिटवासी मंत्रालय मत्यों और सर्किटों के आधारभूत ढांचे के विकास के तहत चालू परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधि प्रवान करने के लिए । अपिटवासी मंत्रालय मत्रालय सहायता अनुवान प्रवान करने के लिए (i) कोचिंग तता सम्बद्ध स्कीम और निवर्शनात्मक सेवा के लिए पुरक्तार सहायता अनुवान प्रवान करने के लिए एनजीओं को अनुवान सहायता (रैं9.50 करोड़) (ii) अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के अंबेला स्कीम (रैं12 करोड़)। अप्रवान और निकोबार द्वीप समूह (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (एएनआईएमईआएएर) को सहायता अनुवान के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। (ख) जिला परिषद के संबंध में (रैं0.90 करोड़) और पंचायत समिति (रैं0.85 करोड़) वेतन सहायता अनुवान के ल्या को पूर्त करने के लिए। अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन अपरान पर्वचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाच करने के लिए। अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन अपरान पर्वाचन करने के लिए। अपरान पर्वाचन अपरान अपरान अपरान प्राचन करने के लिए। अपरान प्राचन अपरान अपरान अपरान अपरान करने के लिए। अपरान प्राचन अपरान अपरान अपरान अपरान करने के लिए।	
की पूर्ति करने के लिए पूंजी परिसम्पत्तियों के सुजन के लिए अनुवान। गिर्वाटन मंत्रालय 10 पर्यटन मंत्रालय 10 प्रवाटन करने के लिए। 10 आविवासी मंत्रालय 10 आविवासी मंत्रलय 10 आविव	
क लिए अनुदान। श्रीटन मंत्रालय 30 पर्यटन मंत्रालय 30 पर्यटन मंत्रालय 30 पर्यटन मंत्रालय 310 पर्यटन मंत्रालय 311 के तहत चालू परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए। अग्रिदासी मंत्रालय 312 आदिवासी मंत्रालय 313 आदिवासी मंत्रालय 314 के लिए (i) कोचिंग तता सम्बद्ध स्कीम और निकंबार के लिए प्रजीओं को अनुदान प्रदान करने के लिए (j) कोचिंग तता सम्बद्ध स्कीम और निकंबार होप समूह (क्रिंग अंद्रेग (विधानमंडल रहित) 315 अंडमान और निकंबार ह्रीप समूह (क्रिंश आंद्रेग अंद्रेग के लिए या की पूर्ति के लिए। 316 प्रतान करने के लिए (ह्रिंश के आंद्रेग के लिए। 317 आदिवासी मंत्रालय 318 अंडमान और निकंबार ह्रीप समूह (क्रिंश के अंद्रेग स्कीम (रै12 करोड़)। 318 अंडमान और निकंबार ह्रीप समूह (क्रिंश के अंद्रेग के लिए। 318 अंडमान और निकंबार ह्रीप समूह के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। 329 अंद्रेग निकंबार ह्रीप समूह के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। 320 अंद्रेग निकंबार ह्रीप समूह के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। 321 अंद्रेग निकंबार ह्रीप समूह के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। 322 अत्राचन करने के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। 323 अंद्रेग निकंबार ह्रीप समूह के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। 324 अंद्रेग निकंबार ह्रीप समूह के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। 325 अनुदान के व्यय को पूर्व करने के लिए। 326 अंद्रेग निकंबार ह्रीप समूह के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। 327 अग्रिव्यान के व्यय को पूर्व के लिए। 328 अंद्रेग निकंबार ह्रीप समूह के लिए। 329 Ministry of Tribal Affairs For providing additional funds for ongoing projects under Infrastructure Development for Destination and Circuits. 329 Ministry of Tribal Affairs For providing Grants-in-aid General under the scheme (i) Grants-in-aid to NGO for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for Exemplary Service (र 9.50 crore) and Allied Scheme and Award for Exemplary Service (र 9.50 crore) and Panchayat Scheme and Award for Exemplary Service (र 9.50 crore) and Panchayat Samity (र 0.85 crore).	
प्रिंटन मंत्रालय	
96 Ministry of Tourism	- 5.00
ांतव्यों और सिर्किटों के आधारभृत ढांचे के विकास के तहत चालू परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधि प्रवान करने के लिए। आविवासी मंत्रालय आINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 7 आविवासी मंत्रालय सकीम के तहत सामान्य सहायता अनुवान प्रवान करने के लिए (i) कोचिंग तता सम्बद्ध स्कीम और निवर्शनात्मक सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जातियों के लिए एनजीओ को अनुवान सहायता (र्क्.50 करोड) (ii) अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के अंबेला स्कीम (र्क्री 2 करोड)। केन्द्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान सो साइटी (एएनआइएमईआएएस) को सहायता अनुवान के लिए व्यय की पूर्त करने के लिए। (ख) जिला परिषद के संबंध में (₹0.90 करोड) और पंचायत सिति (₹0.85 करोड) वेतन सहायता अनुवान के लए। अर्था के विद्या को पूरा करने के लिए। अर्था के विद्या के व्यय को पूरा करने के लिए। अर्था अर्था कि विद्या के विद्या के विद्या को पूरा करने के लिए। अर्था के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या करने के लिए। अर्था के विद्या को पूरा करने के लिए। अर्था करोड के विद्या को पूरा करने के लिए। अर्था के विद्या विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या को पूरा करने के लिए। अर्था के विद्या के विद्य	
क तहत चालू परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए। अपित्रां मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 97 Ministry of Tribal Affairs For providing Grants-in-aid General under the scheme (i) Grants-in-aid to NGO for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for Exemplary Service (₹ 9.50 करोड) (ii) अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के अंब्रेला स्कीम (₹12 करोड)। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 4िडकल शिक्षा और अनुसान सहायता अनुदान के लिए व्यय की पूर्त के लिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मेडिकल शिक्षा और अनुसंघान सांसाइटी (एएनआईएमईआरएस) को सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मेडिकल शिक्षा अनुदान से सिल (₹ 0.90 करोड) और पंचायत सिमित (₹ 0.85 करोड) वेतन सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। अंडमान और निकोबार के व्यय को पूरा करने के लिए। (उ.85 करोड) वेतन सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। (₹ 0.85 crore). अंडमान और निकोबार के व्यय को पूरा करने के लिए। (उ.85 crore). (उ.90 crore) and Panchayat Samity (₹ 0.85 crore). (उ.90 crore) and Panchayat Samity (₹ 0.85 crore).	
जादिवासी मंत्रालय	
आदिवासी मंत्रालय रकीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (i) कोचिंग तता सम्बद्ध स्कीम और निकंबार सहायता अनुदान सहायता (₹9.50 करोड़) (ii) अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के अंबेला स्कीम (₹12 करोड़)। अकेन्द्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित) अंडमान और निकंबार द्वीप समूह मंडिकल शिक्षा और निकंबार द्वीप समूह मंडिकल शिक्षा ओ र अनुस्चित्ता अनुदान सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) जिला परिषद के संबंध में (₹0.85 करोड़) वेतन सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए।	
97 Ministry of Tribal Affairs रिकार के तहत सामान्य सहायता अनुवान प्रवान करने के लिए (i) कोचिंग तता सम्बद्ध स्कीम और निवर्शनात्मक सेवा के लिए पुरस्कार सिहत अनुसूचित जातियों के लिए एनजीओ को अनुवान सहायता (₹9.50 करोड़) (ii) अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के अंब्रेला स्कीम (₹12 करोड़)। किन्द्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित) किन्द्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित) क्षास्त प्रदेश (विधानमंडल रहित) क्षास्त प्रदेश (विधानमंडल रहित) क्षास प्रदेश (विधानमंड	- 129.00
स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (i) कोचिंग तता सम्बद्ध स्कीम और निर्वर्शनात्मक सेवा के लिए पुरस्कार सिहत अनुसूचित जातियों के लिए एनजीओ को अनुदान सहायता (₹9.50 करोड़) (ii) अनुसूचित जानजाति के बच्चों की शिक्षा के अंबेला स्कीम (₹12 करोड़)। केन्द्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित) UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE) 98 Andaman and Nicobar Islands (a) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid Salary in respect of Zila Parishad (₹ 0.90 crore) and Panchayat Samity (₹ 0.85 crore).	
करने के लिए (i) कोचिंग तता सम्बद्ध रकीम और निवर्शनात्मक सेवा के लिए पुरस्कार सिहत अनुसूचित जातियों के लिए एनजीओ को अनुदान सहायता (₹9.50 करोड़) (ii) अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के अंब्रेला स्कीम (₹12 करोड़)। किन्द्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित) bिन्द्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित) UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE) 98 Andaman and Nicobar Islands (a) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid to Andaman and Nicobar Island Medical Education and Research Society (ANIMERS) (ख) जिला परिषद के संबंध में (₹0.90 करोड़) वेतन सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। किन्द्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित) UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE) 598 Andaman and Nicobar Islands (a) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid Salary in respect of Zila Parishad (₹0.90 crore) and Panchayat Samity (₹0.85 crore).	
करने के लिए (i) कोचिंग तता सम्बद्ध स्कीम और निवर्शनात्मक सेवा के लिए पुरस्कार सिहत अनुसूचित जातियों के लिए एनजीओ को अनुदान सहायता (₹9.50 करोड़) (ii) अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के अंबेला स्कीम (₹12 करोड़)। किन्द्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित) WNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE) 98 Andaman and Nicobar Islands (a) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid to Andaman and Nicobar Island Medical Education and Research Society (ANIMERS) (ख) जिला परिषद के संबंध में (₹0.90 करोड़) वेतन सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। किन्द्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित) UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE) 98 Andaman and Nicobar Islands (a) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid Salary in respect of Zila Parishad (₹0.90 crore) and Panchayat Samity (₹0.85 crore).	
जातियों के लिए एनजीओं को अनुदान सहायता (₹9.50 करोड़) (ii) अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के अंबेला स्कीम (₹12 करोड़)। किन्द्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मंडिकल शिक्षा और अनुसंधान सो साइटी (एएनआईएमईआरएस) को सहायता अनुदान के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। (ख) जिला परिषद के संबंध में (₹0.90 करोड़) और पंचायत समिति (₹0.85 करोड़) वेतन सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। जनवान सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। जनवान सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। जनवान सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। जनवान सहायता अनुदान सहायता अनुदान सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। जनवान सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। जनवान सहायता अनुदान सहायता अनुदान सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। जनवान सहायता अनुदान सहायता अनुदान सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। जनवान सहायता अनुदान सहायता अनुदान सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। जनवान सहायता अनुदान सहायता अनुदान सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। जनवान सहायता अनुदान सहायता का अनुदान सहायता अनुदान सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। जनवान सहायता अनुदान सहायता वालाति के बच्चों crore) and Award for Exemplary Service (₹ 9.50 ототе) and (ii) Umbrella Scheme for Education of ST Children (₹ 12 crore). 21.50 UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE) 98 Andaman and Nicobar Islands (а) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid to Andaman and Nicobar Island Medical Education and Research Society (ANIMERS) 9.50 (b) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid Salary in respect of Zila Parishad (₹ 0.90 crore) and Panchayat Samity (₹ 0.85 crore).	
(₹9.50 करोड़) (ii) अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के अंब्रेला स्कीम (₹12 करोड़)। Education of ST Children (₹12 crore). 21.50 केन्द्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान सो साइटी (एएनआईएमईआएएस) को सहायता अनुदान के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। (ख) जिला परिषद के संबंध में (₹0.90 करोड़) और पंचायत समिति (₹0.85 करोड़) वेतन सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। (क) किन्द्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित) UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE) 98 Andaman and Nicobar Islands (a) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid to Andaman and Nicobar Island Medical Education and Research Society (ANIMERS) (b) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid Salary in respect of Zila Parishad (₹0.90 crore) and Panchayat Samity (₹0.85 crore).	
की शिक्षा के अंब्रेला स्कीम (₹12 करोड़)। Education of ST Children (₹12 crore). 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50	
केन्द्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित) 88 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मेडिकल शिक्षा और अनु संधान सो साइटी (एएनआईएमईआरएस) को सहायता अनुदान के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। (ख) जिला परिषद के संबंध में (₹0.90 करोड़) और पंचायत समिति (₹0.85 करोड़) वेतन सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE) 98 Andaman and Nicobar Islands (a) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid to Andaman and Nicobar Island Medical Education and Research Society (ANIMERS) (b) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid Salary in respect of Zila Parishad (₹0.90 crore) and Panchayat Samity (₹0.85 crore). 1.75	
98 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 98 Andaman and Nicobar Islands (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान सो साइटी (एएनआईएमईआरएस) को सहायता अनुदान के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। (ख) जिला परिषद के संबंध में (₹0.90 करोड़) और पंचायत समिति (₹0.85 करोड़) वेतन सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। LEGISLATURE) Andaman and Nicobar Islands (a) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid to Andaman and Nicobar Island Medical Education and Research Society (ANIMERS) 9.50 (b) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid Salary in respect of Zila Parishad (₹0.90 crore) and Panchayat Samity (₹0.85 crore).	- 21.50
98 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 98 Andaman and Nicobar Islands (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान सो साइटी (एएनआईएमईआरएस) को सहायता अनुदान के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। (ख) जिला परिषद के संबंध में (₹0.90 करोड़) और पंचायत समिति (₹0.85 करोड़) वेतन सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। (अ) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मेडिकल (a) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid Salary in respect of Zila Parishad (₹0.90 crore) and Panchayat Samity (₹0.85 crore). (1) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मेडिकल (a) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid Salary in respect of Zila Parishad (₹0.90 crore) and Panchayat Samity (₹0.85 crore).	
(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मेडिकल (a) For meeting the expenditure towards िशक्षा और अनुसंधान सोसाइटी Grants-in-aid to Andaman and Nicobar Island Medical Education and के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। Research Society (ANIMERS) 9.50 (ख) जिला परिषद के संबंध में (₹0.90 करोड़) (b) For meeting the expenditure towards अौर पंचायत समिति (₹0.85 करोड़) वेतन सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के Parishad (₹0.90 crore) and Panchayat Samity (₹0.85 crore). 1.75	
शिक्षा और अनुसंघान सोसाइटी Grants-in-aid to Andaman and Nicobar (एएनआईएमईआरएस) को सहायता अनुदान Island Medical Education and के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। Research Society (ANIMERS) 9.50 (ख) जिला परिषद के संबंध में (₹0.90 करोड़) (b) For meeting the expenditure towards अौर पंचायत समिति (₹0.85 करोड़) वेतन सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के Parishad (₹0.90 crore) and Panchayat Samity (₹0.85 crore). 1.75	
(एएनआईएमईआरएस) को सहायता अनुदान Island Medical Education and के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। Research Society (ANIMERS) 9.50 (ख) जिला परिषद के संबंध में (₹0.90 करोड़) (b) For meeting the expenditure towards अगैर पंचायत समिति (₹0.85 करोड़) वेतन सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के Parishad (₹0.90 crore) and Panchayat Rorel Samity (₹0.85 crore).	
के लिए व्यय की पूर्ति के लिए। (ख) जिला परिषद के संबंध में (₹0.90 करोड़) और पंचायत सिमित (₹0.85 करोड़) वेतन सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। Research Society (ANIMERS) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid Salary in respect of Zila Parishad (₹ 0.90 crore) and Panchayat Samity (₹ 0.85 crore). 1.75	
(ख) जिला परिषद के संबंध में (₹0.90 करोड़) (b) For meeting the expenditure towards अगैर पंचायत समिति (₹0.85 करोड़) वेतन Grants-in-aid Salary in respect of Zila सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के Parishad (₹0.90 crore) and Panchayat Samity (₹0.85 crore). 1.75	- 9.50
और पंचायत समिति (₹0.85 करोड़) वेतन Grants-in-aid Salary in respect of Zila सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के Parishad (₹0.90 crore) and Panchayat Samity (₹0.85 crore).	- 9.50
सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के	
लिए। Samity (₹ 0.85 crore). 1.75	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- 1.75
(ग) भारतीय पोत परिवहन निगम के बकाया राशि (c) For making payment of outstanding	1./5
कं भुगतान हेतु। dues to Shipping Corporation of India 76.2	76.29
(घ) एटीआर के अलावा निर्माण कार्य हेतु (₹5.85 (d) For providing additional amount for	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
करोड़), ग्रामीण सड़कों के सुधार हेतु (₹2.00 construction of work other than ATR	
करोड़) और टीएएसपी के तहत सड़कों के (₹ 5.85 crore), improvement of rural	
निर्माण (₹1.90 करोड़) के लिए अतिरिक्त roads (₹ 2 crore) and construction of	
राशि की जरुरत। roads under TASP (₹ 1.90 crore). 9.75	- 9.75
(ङ) ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग में चालू निर्माण (e) For providing additional amount for	
कार्यों को अतिरिक्त राशि प्रदान करने के ongoing construction works in rural	
लिए। water supply section. 8.54	- 8.54
(च) पुलिस के चल रहे निर्माण कार्यों के लिए (f) For providing additional amount for	
अतिरिक्त राशि प्रदान करना। ongoing construction works of police	
station. 2.99	- 2.99
(छ) स्टेडियम के चालू निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त (g) For providing additional amount for	
राशि प्रदान करने के लिए ongoing construction works of	
Stadium. 0.20	- 0.20
99 चंडीगढ़	
माननीय जिला न्यायालय/उच्च न्यायालय के निर्णय For meeting expenditure for making	
के कारण भूरवामियों को बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति के payment of enhanced compensation to land	
भुगतान के लिए व्यय की पूर्ति करने के लिए। owners on account of the decision of the	
Hon'ble District Court/High Court 100.0	100.00
01 दमन और दीव 101 Daman and Diu	
(क) स्टेशनरी और मुद्रण से संबंधित चालू कार्यों (a) For meeting additional expenditure to	
को पूरा करने हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के complete the ongoing works related	
लिए। to Stationery and Printing. 0.07	- 0.07

			रोड़ रुपए Rupe	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	
(ख) लोक निर्माण कार्यों से संबंधित चालू कार्यों को पूरा करने हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए।	(b) For meeting the additional expenditure to complete the ongoing works related to Public Works.	17.26	-	17.26
(ग) जल आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित चल रहे निर्माण-कार्य को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting the additional expenditure to complete the ongoing works related to Water Supply and Sanitation.	26.00	_	26.00
(घ) फसल कृषिकर्म से संबंधित चल रहे कार्य को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting the additional expenditure to complete the ongoing work relating to Crop Husbandry.	0.62	_	0.62
102. लक्षद्वीप	102 Lakshadweep	0.02		0.02
(क) पंचायती राज संस्थान के अंतर्गत कार्य कर रहे स्वास्थ्य सेवा विभाग के कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ता देने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure for pay and allowances to staff of Department of Health Services working under Panchayat Raj Institution.	-	2.57	2.57
(ख) पंचायती राज संस्थान के अंतर्गत विद्युत विभाग के कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ता देने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure for pay and allowances to staff of Department of Electricity working under Panchayat Raj Institution.	-	0.27	0.27
शहरी विकास मंभालय 103. शहरी विकास विभाग	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 103 Department of Urban Development			
आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 94(3) के अनुपालन में आंध्र प्रदेश में शहरी अवसंचना हेतु एक बारगी विशेष सहायता।	One time special assistance for Urban infrastructure to Andhra Pradesh in compliance of Section 94(3) of A.P.			
	Reorganization Act 2014.	1,000.00	-	1000.00
जल संसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES			
106 जल संसाधन मंत्रालय (क) 'रिवर बेसिन मैनेजमेंट' के तहत जल संसाधन विकास निरीक्षण स्कीम्स' के लिए सहायता- अनुदान की व्यवस्था करने के लिए।	(a) For providing Grants-in-aid General for 'Investigation of Water Resources Development Schemes' under 'River Basin Management'	2.00	_	2.00
(ख) संस्थापना संबंधित खर्चों को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय आद्रता विज्ञान संस्थान को सामान्य सहायता-अनुदान देने की व्यवस्था करने के लिए।	(b) For providing Grants-in-aid General to National Institute of Hydrology for meeting establishment related expenses	2.00	0.42	0.42
(ग) जल परियोजनाओं हेतु दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान की व्यवस्था करने के लिए।	(c) For providing Grants for Creation of Capital Assets to National Capital Territory of Delhi for Water Projects	230.00	-	230.00
कुल टोकन	Total Token	0.69	0.52	1.21
6. भारत की आकस्मिकता निधि से आवश्यकताओं को तुरन्त पूरा करने के लिए ₹8,90,00,000 की कुल राशि के दो अग्रिम मंजूर किए गए। इन्हें अनुदान की अनुपूरक मांग के मंजूर होने के बाद दोबारा निधि में वापस डाल दिया जाएगा।	6. Two advances aggregating ₹ 8,90,00,000 were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirements. These will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are sanctioned.			
कुल योग	GRAND TOTAL	2,577.69	34,375.17	36,952.86
निवल नकदी व्यय तकनीकी अनुपूरक टोकन अनुपूरक	Net Cash Outgo Technical Supplementary Token Supplementary		19,188.23 15,186.42 0.52	

विषय सूची CONTENTS

							(करोड़ रु	पये Rupees i	n Crore)
	मांग संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ठ
						Revenue	Capital	Total	Page
कृषि व	नंत्रालय		MIN	STRY OF AGRICULTURE					
1	कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत:	1	Department of Agriculture and					
				Cooperation	Voted:	0.04	0.01	0.05	1-2
2	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	स्वीकृत:	2	Department of Agricultural Research					
	विभाग	•		and Education	Voted:	0.03	•••	0.03	3-4
3	पशु पालन और डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत:	3	Department of Animal Husbandry,					
				Dairying and Fisheries	Voted:	0.02	0.01	0.03	
	गु ऊर्जा विभाग ————	•		ARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
4	परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत:	4	Atomic Energy	Voted:	0.03	0.03	0.06	6-1
नागर	विमानन मंत्रालय		MIN	STRY OF CIVIL AVIATION					
9	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत:	9	Ministry of Civil Aviation	Voted:	54.26		54.26	11
भोयल	ग मंत्रालय		MIN	STRY OF COAL					
10	कोयला मंत्रालय	स्वीकृत:	10	Ministry of Coal	Voted:	0.01		0.01	12
गणि	ज्य और उद्योग मंत्रालय		MIN	STRY OF COMMERCE AND INDU	JSTRY				
11	वाणिज्य विभाग	स्वीकृत:	11	Department of Commerce	Voted:	0.02		0.02	13
12	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन	स्वीकृत:	12	Department of Industrial Policy and					
	विभाग			Promotion	Voted:	12.61		12.61	1
चार	और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रा	लय	MIN	STRY OF COMMUNICATIONS AN	ID				
			INFO	DRMATION TECHNOLOGY					
13	डाक विभाग	भारित:	13	Department of Posts	Charged:	0.21	***	0.21	1
		स्वीकृत:			Voted:	344.66	***	344.66	
14	दूरसंचार विभाग	स्वीकृत:	14	Department of Telecommunications	Voted:	0.02	0.01	0.03	1
15	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना	स्वीकृत:	15	Department of Electronics and					
	प्रौद्योगिकी विभाग			Information Technology	Voted:	0.01		0.01	1
पभो	क्ता मामले, खाद्य और सार्व	जनिक	MIN	STRY OF CONSUMER AFFAIRS,	FOOD				
वेतर	ग मंत्रालय		AND	PUBLIC DISTRIBUTION					
17	खाद्य और सार्वजनिक वितरण	स्वीकृत:	17	Department of Food and Public					
	विभाग			Distribution	Voted:	8386.10		8386.10	18-1
संस्कृ	ति मंत्रालय		MIN	STRY OF CULTURE					
19	संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत:	19	Ministry of Culture	Voted:	0.02		0.02	20
क्षा म	ांत्रालय		MIN	STRY OF DEFENCE					
20	रक्षा मंत्रालय	भारित:	20	Ministry of Defence	Charged:	0.58	6.73	7.31	21-2
		स्वीकृत:			Voted:	314.03		314.03	
21	रक्षा पेंशन	भारित:	21	Defence Pensions	Charged:	9.30		9.30	2
22	रक्षा सेवा - थल सेना	भारित:	22	Defence Services-Army	Charged:	336.00		336.00	2
		स्वीकृत:			Voted:	5340.47		5340.47	
23	रक्षा सेवा - नौ सेना	भारित:	23	Defence Services-Navy	Charged:	9.63		9.63	2
		स्वीकृत:			Voted:	350.37		350.37	
24	रक्षा सेवा - वायु सेना	भारित:	24	Defence Services-Air Force	Charged:	53.59		53.59	2
		स्वीकृत:			Voted:	1925.43		1925.43	
25	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	स्वीकृत:	25	Defence Ordnance Factories	Voted:	0.01		0.01	2
26	रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं	स्वीकृत:	26	Defence Services - Research and					
	विकास			Development	Voted:	320.03		320.03	2
27	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित:	27	Capital Outlay on Defence Services	Charged:		0.01	0.01	2
		स्वीकृत:			Voted:		0.01	0.01	
र्याव	रण और वन मंत्रालय		MIN	STRY OF ENVIRONMENT AND F	ORESTS				
31	पर्यावरण और वन मंत्रालय	स्वीकृत:	31	Ministry of Environment and Forests	Voted:	0.01		0.01	3

								रुपये Rupees i	
	मांग संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ठ
						Revenue	Capital	Total	Page
विदेश	मंत्रालय		MINI	STRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
32	विदेश मंत्रालय	स्वीकृत:	32	Ministry of External Affairs	Voted:	0.01		0.01	3
वितत	मंत्रालय	Č	MINI	STRY OF FINANCE					
33	आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत:	33	Department of Economic Affairs	Voted:	433.33		433.33	32-3
34	वित्तीय सेवायें विभाग	स्वीकृत:	34	Department of Financial Services	Voted:	3559.15	0.01	3559.16	34-3
37	् सरकारी कर्मचारियों को ऋण,	स्वीकृत:	37	Loans to Government Servants, etc.					
	आदि	Č			Voted:		0.01	0.01	3
40	पेंशन	भारित:	40	Pensions	Charged:	35.00		35.00	3
		स्वीकृत:			Voted:	687.00	•••	687.00	
41	भारतीय लेखा परीक्षा और	भारित:	41	Indian Audit and Accounts					
	लेखा विभाग			Department	Charged:	5.83		5.83	3
42	राजस्व विभाग	स्वीकृत:	42	Department of Revenue	Voted:	11033.03		11033.03	3
43	प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत:	43	Direct Taxes	Voted:		0.01	0.01	4
44	अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत:	44	Indirect Taxes	Voted:	***	0.01	0.01	4
वादर	। प्रसंस्करण उदयोग मंत्रालय	c	MINI	STRY OF FOOD PROCESSING					
(JSTRIES					
46	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	स्वीकृत:	46	Ministry of Food Processing					
40	मंत्रालय	स्पापृता.	40	Industries	Voted:	0.02		0.02	4
IAIL	थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्र	ग्रस्थ	MINI	STRY OF HEALTH AND FAMILY		0.02	•••	0.02	
•	स्वास्थ्य एवं परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार				WELFARE				
47	क्लयाण मंत्रालय	स्वीकृत:	47	Department of Health and Family	Matada	0.04	0.04	0.05	40
40	•	-	40	Welfare	Voted:	0.04	0.01	0.05	43-4
48	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक	स्वीकृत:	48	Department of Ayurveda, Yoga &					
	चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आय्ष)			Naturopathy, Unani, Siddha and		0.04		0.04	45
				Homoeopathy (AYUSH)	Voted:	0.04	•••	0.04	45-4
HIKI .	उद्योग और सरकारी उद्यम ग	मत्रालय		ISTRY OF HEAVY INDUSTRIES A	ND				
			PUB	LIC ENTERPRISES					
51	भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत:	51	Department of Heavy Industry	Voted:	57.30	0.01	57.31	4
हि म	त्रालय		MIN	STRY OF HOME AFFAIRS					
53	गृह मंत्रालय	स्वीकृत:	53	Ministry of Home Affairs	Voted:	0.01		0.01	4
54	मंत्रिमंडल	स्वीकृत:	54	Cabinet	Voted:	25.01		25.01	4
55	पुलिस	स्वीकृत:	55	Police	Voted:	1011.87	0.01	1011.88	5
56	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	स्वीकृत:	56	Other Expenditure of the Ministry of					
				Home Affairs	Voted:	0.01		0.01	ţ
गवा	प्त और शहरी गरीबी उन्मूलन	मंत्रालय	MIN	STRY OF HOUSING AND URBAN	İ				
			POV	ERTY ALLEVIATION					
58	आवास और शहरी गरीबी	स्वीकृत:	58	Ministry of Housing and Urban					
	उन्मूलन मंत्रालय	Č		Poverty Alleviation	Voted:	0.03		0.03	5
गानव	संसाधन विकास मंत्रालय		MINI	STRY OF HUMAN RESOURCE					
				ELOPMENT					
F0	विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता	 .							
59	विभाग	स्वीकृत:	59	Department of School Education	\/atadi	0.00		0.00	,
00	उच्चतर शिक्षा विभाग	-	00	and Literacy	Voted:	0.02	•••	0.02	54.5
60	•	स्वीकृत:	60	Department of Higher Education	Voted:	0.05	•••	0.05	54-5
्यन	ा तथा प्रसारण मंत्रालय			STRY OF INFORMATION AND					
			BRC	ADCASTING					
	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत:	61	Ministry of Information and					
61									_
				Broadcasting	Voted:	0.03	3.21	3.24	5
	गौर रोजगार मंत्रालय		MIN	Broadcasting STRY OF LABOUR AND EMPLOY		0.03	3.21	3.24	ŧ

							(करोड़ र	ज्पये Rupees i	n Crore)
	मांग संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
विधि	और न्याय मंत्रालय		MIN	ISTRY OF LAW AND JUSTICE					
63	् निर्वाचन आयोग	स्वीकृत:	63	Election Commission	Voted:	1.00		1.00	58
65	भारत का उच्चतम	भारित:	65	Appropriation-Supreme Court of					
	न्यायालय, विनियोग			India	Charged:	15.64		15.64	59
सूक्ष्म	ा, लघु और मध्यम उद्यम मंः	त्रालय	MIN	ISTRY OF MICRO, SMALL AND M	MEDIUM				
			ENT	ERPRISES					
66	सूक्ष्म, लघु और मध्यम	स्वीकृत:	66	Ministry of Micro, Small and Medium					
	उद्यम मंत्रालय			Enterprises	Voted:	0.02		0.02	60
खान	मंत्रालय		MIN	ISTRY OF MINES					
67	खान मंत्रालय	भारित:	67	Ministry of Mines	Charged:	0.08	•••	0.08	61
		स्वीकृत:			Voted:	0.02		0.02	
अल्प	संख्यक मामले मंत्रालय	_	MIN	ISTRY OF MINORITY AFFAIRS					
68	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत: •	68	Ministry of Minority Affairs	Voted:	0.01	***	0.01	62
कामि	क , लोक शिकायत और पेंशन	मंत्रालय	MIN	ISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC	;				
			GRII	EVANCES AND PENSIONS					
73	कार्मिक, लोक शिकायत और	स्वीकृत:	73	Ministry of Personnel, Public					
	पेंशन मंत्रालय			Grievances and Pensions	Voted:	4.74	•••	4.74	63
74	केंद्रीय सतर्कता आयोग, विनियोग	भारित:	74	Appropriation-Central Vigilance	Ob a series of	1.00		4.00	0.
na)C		ਹਤਾ	NAIN!	Commission	Charged:	1.00	•••	1.00	64
	नेयम और प्राकृतिक गैस मंत्रा पेट्रोलियम और प्राकृतिक			ISTRY OF PETROLEUM AND NA	IURAL GAS				
75	गैस मंत्रालय	स्वीकृत:	75	Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted:	0.01	2399.00	2399.01	65
योजन	ना मंत्रालय		MINI	ISTRY OF PLANNING	votea.	0.01	2399.00	2333.01	00
76	योजना मंत्रालय	स्वीकृत:	76	Ministry of Planning	Voted:	0.02		0.02	66
	त मंत्रालय	(41 E(1)		ISTRY OF POWER	voica.	0.02	***	0.02	00
77	विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत:	77	Ministry of Power	Voted:	91.85	0.01	91.86	67
	पति, संसद, संघ लोक सेवा आ	Č		PRESIDENT, PARLIAMENT, UN		01.00	0.01	01.00	O.
•	गट्रपति का सचिवालय			LIC SERVICE COMMISSION AN					
J 14.	(× 11/1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1			RETARIAT OF THE VICE PRESI					
78	राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद,	भारित:	78	Appropriation-Staff, Household and	DENT				
70	आवास और भत्ते, विनियोग	•///(/.	70	Allowances of the President	Charged:	<i>3.75</i>		<i>3.75</i>	68
80	राज्य सभा	स्वीकृत:	80	Rajya Sabha	Voted:	1.60		1.60	69
81	संघ लोक सेवा आयोग,	भारित:	81	Appropriation-Union Public Service					
	विनियोग			Commission	Charged:	18.00		18.00	70
सड़क	परिवहन और राजमार्ग मंत्राल	ाय	MIN	ISTRY OF ROAD TRANSPORT A	ND				
			HIGI	HWAYS					
83	सड़क पिरवहन और राजमाग	स्वीकृत:	83	Ministry of Road Transport and					
	र्मंत्रालय			Highways	Voted:	0.01		0.01	71
विज्ञा	न और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MIN	ISTRY OF SCIENCE AND TECHN	NOLOGY				
86	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	स्वीकृत:	86	Department of Science and					
	विभाग			Technology	Voted:	0.01		0.01	72
87	वैज्ञानिक और औद्योगिक	स्वीकृत:	87	Department of Scientific and					
	विभाग			Industrial Research	Voted:	0.02		0.02	73
88	जैव प्रौद्योगिकी विभाग —	स्वीकृत:	88	Department of Biotechnology	Voted:	0.02		0.02	74
-	न मंत्रालय			ISTRY OF SHIPPING					
89	नौवहन मंत्रालय	स्वीकृत:	89	Ministry of Shipping	Voted:	0.03		0.03	75

							(करोड़	रुपये Rupees i	n Crore)
	मांग संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ठ
						Revenue	Capital	Total	Page
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MIN	ISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND	כ					
			EMF	POWERMENT					
90	सामाजिक न्याय और	स्वीकृत:	90	Department of Social Justice and					
	अधिकारिता मंत्रालय	Č		Empowerment	Voted:	0.03		0.03	76
91	निशक्तता कार्य विभाग	स्वीकृत:	91	Department of Disability Affairs	Voted:	0.02		0.02	77
अंतरि	क्ष विभाग		DEP	ARTMENT OF SPACE					
92	अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत:	92	Department of Space	Voted:		3.00	3.00	78
सांख्	येकी और कार्यक्रम कार्यान्वय	ग न	MIN	ISTRY OF STATISTICS AND PRO	OGRAMME				
मंत्राल	य		IMPI	LEMENTATION					
93	सांख्यिकी और कार्यक्रम	स्वीकृत:	93	Ministry of Statistics and					
	कार्यान्वयन मंत्रालय			Programme Implementation	Voted:	0.01		0.01	79
इस्पा	त मंत्रालय		MIN	ISTRY OF STEEL					
94	इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत:	94	Ministry of Steel	Voted:	0.01		0.01	80
कपड़ा	मंत्रालय		MIN	ISTRY OF TEXTILES					
95	कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत:	95	Ministry of Textiles	Voted:	0.01		0.01	81
पर्यट	न मंत्रालय		MIN	ISTRY OF TOURISM					
96	पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत:	96	Ministry of Tourism	Voted:	0.01	10.80	10.81	82
जनज	ातीय कार्य मंत्रालय		MIN	ISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
97	जनजातीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत:	97	Ministry of Tribal Affairs	Voted:	3.07		3.07	83
संघ र	ाज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित	Γ)	UNIC	ON TERRITORIES (WITHOUT					
			LEG	ISLATURE)					
98	अंडमान और निकोबार द्वीप	स्वीकृत:	98	Andaman and Nicobar Islands					
	समूह	Č			Voted:	0.03	0.04	0.07	84-85
99	चंडीगढ़	भारित:	99	Chandigarh	Charged:	3.51		3.51	86
		स्वीकृत:			Voted:	•••	0.01	0.01	
101	दमन और दीव	स्वीकृत:	101	Daman and Diu	Voted:		0.04	0.04	87
102	लक्षद्वीप	स्वीकृत:	102	Lakshadweep	Voted:	0.02		0.02	88
शहरी	विकास मंत्रालय		MIN	ISTRY OF URBAN DEVELOPME	NT				
103	शहरी विकास विभाग	स्वीकृत:	103	Department of Urban Development	Voted:	80.01		80.01	89
जल र	तंसाधन मंत्रालय		MIN	ISTRY OF WATER RESOURCES	}				
106	जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत:	106	Ministry of Water Resources	Voted:	0.03		0.03	90
कुल उ	जो <i>ड़</i>		GRA	AND TOTAL		<i>34529.87</i>	<i>2422.99</i>	36952.86	
		भारित			Charged	492.12	6.74	498.86	
		स्वीकृत			Voted	34037.75	2416.25	36454.00	
अनु	बं ध		ANN	EXURE					92-95

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये) (See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये Rupe	ees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	22603.06		49.19	22652.25
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		•••	0.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount now					
प्रक अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.04		0.01	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		22603.11		49.20	22652.31
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया ज	गयेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be account	ed for unde	er the following	ng Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत:	2401 -Crop Husbandry	Voted:	0.01	(क a)		0.01
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	स्वीकृत:	2435 -Other Agricultural Programmes	Voted:	0.01	(खb)		0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)		0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(घd)		0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.04		•••	0.04
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4401 - फसल कार्य पर पूंजी	स्वीकृत:	4401 - Capital Outlay on Crop Husbandry	Voted:	0.01	(ङ e)		0.01
परिव्यय	ŭ						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.05			0.05

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) पादप किस्मों और किसान अधिकार संरक्षण के तहत सामान्य सहायता-अनुदान (₹ 1.30 करोड़) और वेतन सहायता-अनुदान (₹ 0.20 करोड़) जारी करना।
 - (ii) बीज और रोपण सामग्री उप-िमशन के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ (₹ 2.00 करोड़) और इसके घटक जनजाति क्षेत्र उप-आयोजना (₹ 4.00 करोड़) का अनुदान जारी करना।
 - (iii) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के कार्यान्वयन हेतु योगदान (₹ 133.79 करोड़)।
 - (iv) फार्म वाटर मैनेजमेंट के तहत सामान्य सहायता-अनुदान (₹ 1.00 करोड़)।
 - (v) बागवानी एकीकृत विकास मिशन (केन्द्रीय क्षेत्र के तहत (₹ 37.46 करोड़) ओर इसके घटकों,अनुसूचित जाति उप-योजना,(₹ 12.04 करोड़) और जनजाति क्षेत्र उप-योजना (₹ 6.00 करोड़) की सामान्य सहायता अन्दान।

- (a) (i) release of Grants in aid General(₹ 1.30 crore) and Grants in aid Salaries (₹ 0.20 crore) under Protection of Plant Varieties and Farmers Right.
 - (ii) release of Grants for creation of Capital Assets(₹ 2.00 crore) under Sub-Mission on Seeds and Planting Material and its component Tribal Area Sub-Plan(₹ 4.00 crore).
 - (iii) contribution for implementation of National Agriculture Insurance Scheme (₹ 133.79 crore).
 - (iv) release of Grants-in-Aid General under On Farm Water Management(₹ 1.00 crore).
 - (v) release of Grants-in-Aid General under Mission for Integrated Development of Horticulture (Central Sector)(₹ 37.46 crore) and its components, Scheduled Caste Sub Plan(₹ 12.04 crore) and Tribal Area Sub Plan(₹ 6.00 crore).

(c)

(d)

- (vi) मौसम आधारित उपज बीमा स्कीम-अनुसूचित जाति उप-आयोजना के तहत अँशदान (₹ 30.83 करोड़)।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) एकीकृत कृषि विपणन स्कीम (₹ 224.10 करोड़) और इसके घटक अनुसूचित जाति उप-आयोजना (₹ 58.00 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान देना।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) (i) राष्ट्रीय मुद्रा स्वास्थ्य और उर्वरता परियोजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 5.00 करोड़)।
 - (ii) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रीय क्षेत्र) के तहत सामान्य सहायता अन्दान प्रदान करना (₹ 4.50 करोड़)।
 - (iii) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित प्रणाली) के तहत सामान्य सहायता अन्दान प्रदान करना (₹ 42.58 करोइ)।
 - (iv) एकीकृत कृषि विपणन स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान जारी करना(₹ 0.33 करोड़)।
 - (v) बीज और रोपण, अनुस्चित जाति योजना (₹ 1.00 करोड़) और जनजाति क्षेत्र उप योजना (₹ 1.00 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अन्दान देना।
 - (vi) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम, अनुस्चित जाति उप आयोजना के कार्यान्वयन को अंशदान (₹ 59.00 करोड़)।
 - (vii) संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम, अनुस्चित जाति उप आयोजना के कार्यान्वयन को अंशदान (₹ 28.75 करोड़)।
 - (viii) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केंद्रीय क्षेत्र) जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान देना (₹ 6.00 करोड़)।
 - (ix) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम), जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान देना (₹ 104.74 करोइ)।
 - (x) एकीकृत कृषि विपणन स्कीम जनजातीय क्षेत्र उप आयोजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान देना(₹ 1.00 करोड़)।
 - (xi) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 5.00 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 25.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ङ) कृषि मशीनीकरण उप मिशन के तहत मशीनरी और उपस्करों की जरूरत पूरी करना (₹ 0.20 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (vi) contribution under Weather Based Crop Insurance Scheme -Scheduled Caste Sub Plan(₹ 30.83 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) release of Grants-in-aid General under Integrated Scheme On Agriculture Marketing(₹ 224.10 crore) and its component Scheduled Caste Sub-Plan (₹ 58.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - release of Grants-in-aid General under National Project on Management of Soil Health and Fertility (₹ 5.00 crore).
 - (ii) release of Grants-in-aid General under Mission For Integrated Development of Horticulture(Central Sector)
 (₹ 4.50 crore).
 - (iii) release of Grants-in-aid General under Mission For Integrated Development of Horticulture (Centrally Sponsored Scheme)(₹ 42.58 crore).
 - (iv) release of Grants-in-aid General under Integrated Scheme On Agriculture Marketing (₹ 0.33 crore).
 - (v) release of Grants-in-aid General under Sub-Mission On Seeds and Planting, Scheduled Caste Sub Plan(₹ 1.00 crore) and Tribal Area Sub Plan(₹ 1.00 crore).
 - (vi) contribution under Implementation of National Agricultural Insurance Scheme, Scheduled Caste Sub Plan (₹ 59.00 crore).
 - (vii) contribution under Modified National Agricultural Insurance Scheme, Scheduled Caste Sub Plan (₹ 28.75 crore).
 - (viii) release of Grants-in-aid General under Mission For Integrated Development of Horticulture (Central Sector),Tribal Area Sub-Plan(₹ 6.00 crore).
 - (ix) release of Grants-in-aid General under Mission For Integrated Development of Horticulture(Centrally Sponsored Scheme), Tribal Area Sub-Plan(₹ 104.74 crore).
 - (x) release of Grants-in-aid General under Integrated Scheme on Agricultural Marketing, Tribal Area Sub Plan(₹ 1.00 crore).
 - (xi) providing Grants-in-aid General under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Micro Irrigation(₹ 5.00 Crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - providing Grants-in-aid General under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana-Micro Irrigation (₹ 25.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) meeting the requirement for Machinery and Equipment under Sub-Mission on Agriculture Mechanization(₹ 0.20 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

कृषि अन्संधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिये) (See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	6144.39				6144.39
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
· -	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
इस समय आवश्यक रकम का	-	Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
. •	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और प्रक)	C	Total (Original plus Supplementary)		6144.44		•••		6144.44
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीषों के अं	तर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acc	counted for und	der the follo	wing Maj	jor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2415 - कृषि अनुसंधान और	स्वीकृत:	2415 -Agricultural Research and	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
शिक्षा		Education						
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03
	· ·							

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) कृषि में मूलभूत, कार्यनीतिक, और सीमान्त उपयोग अनुसंधान राष्ट्रीय नीति के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (₹ 7.31 करोड़), कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान (₹ 4.00 करोड़), बागवानी विश्वविद्यालय, हरियाणा (₹ 4.00 करोड़), डीम्ड विश्वविद्यालय की तरह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, असम को (₹ 0.08 करोड़) और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, झारखंड़ डीम्ड विश्वविद्यालय (₹ 0.08 करोड़) को सामान्य सहायता अन्दान जारी करने के लिए।
 - (ii) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय एसौंसिएशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.57 करोड़)।
 - (iii) कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान (₹ 1.00 करोड़), बागवानी विश्वविद्यालय, हरियाणा (₹ 1.00 करोड़), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान असम, डीम्ड विश्वविद्यालय की तरह (₹ 0.02 करोड़) और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड, डीम्ड विश्वविद्यालय, (₹ 0.02 करोड़) के लिए पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अनुदान।

- release of Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture(₹ 7.31 crore), Agriculture University, Rajasthan (₹ 4.00 crore), Horticulture University, Haryana (₹ 4.00 crore), Indian Agricultural Research Institute type deemed University, Assam(₹ 0.08 crore) and Indian Agricultural Research Institute type deemed University, Jharkhand (₹ 0.08 crore).
 - (ii) release of Grants-in-aid General for "Grant-in-Aid to National Academy of Agricultural Sciences and Indian Agricultural Universities Association" (₹ 1.57 crore).
 - (iii) release of Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Agriculture University, Rajasthan (₹ 1.00 crore), Horticulture University, Haryana (₹ 1.00 crore), Indian Agricultural Research Institute type deemed University, Assam, (₹ 0.02 crore) and Indian Agricultural Research Institute type deemed University, Jharkhand (₹ 0.02 crore).

(c)

- (iv) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कृषि शिक्षा संस्थानों के तहत वेतनों के लिए सहायता अनुदान (₹ 5.42 करोइ)।
- (v) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय एसोसिएशन को वेतनों के लिए सहायता अन्दान(₹ 0.44 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक प्रक अपेक्षित है।
- (ख) (i) कृषि संस्थानों का प्रसार स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.51 करोड़) और कृषि इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए (₹ 0.22 करोड़)।
 - (ii) बागवानी संस्थाओं स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के तहत अनुदान (₹ 0.16 करोड़), कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी संस्थानों के लिए (₹ 0.02 करोड़), कृषि इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए (₹ 0.01 करोड़), पशु वि्जान संस्थानों (₹ 0.33 करोड़) और मत्स्यपालन संस्थानों के लिए (₹ 0.02 करोड़)।
 - (iii) कृषि शिक्षा संस्थानों (₹ 0.38 करोड़), अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान (₹ 0.45 करोड़), पशु विज्ञान संस्थान (₹ 8.21 करोड़) और मत्स्यपालन संस्थान (₹ 3.50 करोड़) स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतनों के लिए सहायता अनुदान।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) (i) कृषि में मूलभूत, कार्यनीतिक और सीमान्त उपयोग अनुसंधान राष्ट्रीय नीति के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.02 करोड़)।
 - (ii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सामान्य सहायता अनुदान(₹ 2.64 करोड़)।
 - (iii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बड़ापानी को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.14 करोड़)।
 - (iv) कृषि में मूलभूत, कार्यनीतिक,और सीमान्त उपयोग अनुसंधान राष्ट्रीय नीति के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.08 करोड़)।
 - (v) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय बड़ापानी को पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्जन हेत् (₹ 0.13 करोड़)।
 - (vi) कृषि इंजीनियरिंग संस्थानों के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतनों के लिए सहायता अन्दान (₹ 0.60 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक प्रक अपेक्षित है।

- (iv) release of Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under Agricultural Education Institutes (₹ 5.42 crore).
- (v) release of Grants-in-aid Salaries to "Grant-in-Aid to National Academy of Agricultural Sciences and Indian Agricultural Universities Association" (₹ 0.44 crore). Taking into account the savings available in the same
 - section of the Grant, a token supplementary is sought.
 release of Grants-in-aid-General to Indian Council of
- (i) release of Grants-in-aid-General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹ 0.51 crore) and Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.22 crore).
- (ii) release of Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Horticulture Institutes (₹ 0.16 crore), Agricultural Economics and Statistics Institutes(₹ 0.02 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.01 crore), Animal Science Institutes (₹ 0.33 crore) and Fisheries Institutes (₹ 0.02 crore).
- (iii) release of Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Education Institutes(₹ 0.38 crore), Other Natural Resource Management Institutes (₹ 0.45 crore), Animal Science Institutes (₹ 8.21 crore) and Fisheries Institutes (₹ 3.50 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- release of Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme National fund for Basic, Strategic and frontier Application Research in Agriculture (₹ 1.02 crore).
- (ii) release of Grants-in-aid General to Central Agricultural University, Imphal (₹ 2.64 crore).
- (iii) release of Grants-in-aid General to Central Agricultural University, Barapani (₹ 0.14 crore).
- (iv) release of Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture (₹ 0.08 crore).
- (v) release of Grants for creation of Capital Assets to Central Agricultural University, Barapani (₹ 0.13 crore).
- (vi) release of Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.60 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पशु पालन और डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये) (See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुपये Ru	pees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	2726.13	20.18	2746.31
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount				
अनुमान:		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	0.01	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2726.16	20.19	2746.35
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्षों के 3	ांतर्गत दिखाय	ग जायेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be accou	unted for un	der the follo	owing Major Heads:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	_	MAJOR HEAD				
2404 - डेयरी विकास	स्वीकृत:	2404 -Dairy Development	Voted:	0.01	(क a)	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	0.01	(खb)	0.01
सहायता अनुदान		Governments				
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.02	•••	0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4403 - पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4403 - Capital Outlay on Animal	Voted:	0.01	(गc)	0.01
		Husbandry				
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03		0.03

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

अपेक्षित है।

- (क) नेशनल बैंक आफ एग्रीकल्चर एन्ड रूरल डेवपलपमेंट (नाबाई) की "डेयरी उद्यमशीलता विकास" के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां जारी करना (₹ 19.64 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) "लाइवस्टॉक सेंसस" स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना ₹ 0.50 करोड़)। अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक
- (ग) संस्थान की चारदिवारी के निर्माण हेतु "सेन्ट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म" के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 1.76 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (a) releasing additional funds to National Bank of Agriculture and Rural Development(NABARD) under the scheme "Dairy Entrepreneurship Development" (₹ 19.64 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional requirement under the scheme of "Livestock Census"(₹ 0.50 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - meeting additional requirement under the scheme of "Central Cattle Breeding Farm" for construction of boundary wall of the institute (₹ 1.76 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये) (See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	1.00		11.00		12.00
	स्वीकृत:		Voted:	6829.02		4408.42		11237.44
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:			0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		0.03		0.06
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		6830.05		4419.46		11249.51
	भारित:		Charged:	1.00		11.00		12.00
	स्वीकृत:		Voted:	6829.05		4408.46		11237.51
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के 3	ांतर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for un	der the follo	wing Ma	jor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	_	MAJOR HEAD						
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:			0.01	(कa)	0.01
3401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	स्वीकृत:	3401 -Atomic Energy Research	Voted:	0.01	(खb)	0.01	(गc)	0.02
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.01		0.02		0.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर	स्वीकृत:	4861 - Capital Outlay on Atomic	Voted:	0.01	(घd)	0.01	(ਝe)	0.02
पूंजी परिव्यय		Energy Industries						
5401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	स्वीकृत:	5401 - Capital Outlay on Atomic	Voted:	0.01	(चf)			0.01
पर पूंजी परिव्यय		Energy Research						
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.02		0.01		0.03
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03		0.03		0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (₹ 2.74 करोड़) और न्यूकिल्यर रिसाइकल बोर्ड (₹ 89.02 करोड़) न्यूकिल्यर ईंधन काम्पलैक्स (₹ 167.83 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में बचते उपलब्ध होने के कारण सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) निम्न के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के लिए अतिरिक्त व्यय गए है (1) परियोजनाओं के लिए टाटा इस्टीटयूट आफ फंडामेंटल रीसर्च (i) अनुसंधान सुविधाए (₹ 0.95 करोइ)(ii) अंतराष्ट्रीय सैद्धान्तिक विज्ञान केंद्र (₹ 1.78 करोइ); (2) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स फोर दी प्रोजेक्ट स्टडी ऑफ ग्रोथ (₹ 1.25 करोइ); (3) परियोजना के तहत टाटा स्मारक केन्द्र (i) आंध्र प्रदेश में केंसर हस्पताल की स्थापना (₹ 15.25 करोइ) (ii) केंसर अनुसंधान और परमाणु दवाई की विकसित सुविधाएं (₹ 2.75 करोइ)(4) इंस्टिट्यूट ऑफ प्लाजमा रिसर्च फोर दो प्रोजेक्ट ऑफ आग्जलरी टेक्नोलोजी फोर

- (a) Meeting additional expenditure of Bhabha Atomic Research Centre (₹ 2.74 crore) and Nuclear Recycle Board (₹ 89.02 crore), Nuclear Fuel Complex (₹ 167.83 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- b) Additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under (1) Tata Institute of Fundamental Research for the projects (i) Research Facilities (₹ 0.95 crore), (ii) International Centre for Theoretical Sciences (₹ 1.78 crore); (2) Institute of Physics for the project Study of Growth (₹ 1.25 crore); (3) Tata Memorial Centre under project (i) Establishment of Cancer Hospital in Andhra Pradesh (₹ 15.25 crore) (ii) Advanced

पयूजन: आरएफ, एनबी और संयंत्र प्रणाली (₹ 8 करोइ)(ii) फ्यूजन रिएक्टर सामग्री, ब्लेकेटस, शील्डस, डिवेरटोर्स एंड फ्यूल साइकल (₹ 7 करोइ) (5) राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, शिक्षा और उच्च ऊर्जा भौतिकी कार्यक्रम प्रयोगात्मक परियोजना के अनुसंधान के लिए (₹ 0.61 करोइ) के पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान। अनुदान के इसी भाग में बचते उपलब्ध होने के कारण सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (1) परमाण् ऊर्जा नियामक बोर्ड (ग) (₹ 3.47 करोड़), बाबा परमाण् अन्संधान केंद्र (₹ 126.02 करोड़), उन्नत प्रौद्योगिकी का राजा रमन्ना केंद्र (₹ 11.02 करोड़), चर एनर्जी साइक्लोट्रान केंद्र (₹ 3.98 करोड़), और एएमडी (₹ 3.86 करोड़). 2. (i) टाटा मूलभूत अन्संधान संस्थान को वेतन सहायता अन्दान हेत् (₹ 22.49 करोड़) और सामान्य सहायता अन्दान (₹ 17.60 करोड़) (ii) टाटा मेमोरियल हस्पताल को वेतन सहायता अन्दान (₹ 7 करोड़) (iii) साहा परमाण् भौतिकी संस्थान के वेतन सहायता अन्दान (₹ 1.59 करोड़) और सामान्य सहायता अन्दान (₹ 3.13 करोड़) (iv) हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान के वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.56 करोड़) और सामान्य सहायता अन्दान (₹ 0.58 करोड़) (v) पलास्मा अनुसंधान संस्थान के वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.77 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4 करोड़) (vi) परमाणु ऊर्जा शिक्षा स्कूल के वेतन सहायता अन्दान (₹ 11.28 करोड़) और सामान्य सहायता अन्दान (₹ 1.80 करोड़)। अन्दान के इसी भाग में बचते उपलब्ध होने के कारण सांकेतिक पूरक अन्दान मांगा गया है।
- (ਬ) निम्न के तहत व्यय को पूरा करना (1) परमाणु चक्र बोर्ड को (i) गैर-भारतीय मूल ईंधन के परमाणु पुनरावृति योजना के लिए डिजाइन और विकास के लिए (₹ 0.01 करोड़)(ii) कलापकम में परमाण्, रीसाईकल स्विधाएं के उन्नयन (एनआरएफ) के लिए (₹ 0.01 करोड़) (2) डीएई परियोजना को (i) आईआरईटीडीसी के तहत प्रक्रिया विकास गतिविधियों को (₹ 1.22 करोड़) और भाभा परमाण् अन्संधान केंद्र, परमाण् रिसाइकल बोडर्, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, भारी जल बोर्ड, परमाणु इंधन कामपलेक्स, रेडिएशन बोर्ड और निम्न परियोजनाओं के तहत आइसोटोप प्रद्योगिकी (ii) एनएफसी, कोटा मुख्य कार्य (₹ 0.01 करोड़), (iii) जरकोनियम उत्पादन स्विधा में स्धार और आध्निकीकरण (आरएमजेडपीएफ) मशीनरी और उपकरण (₹ 0.07 करोड़) (iv) मशीनरी और उपकरण का आध्निकीकरण और वृद्धि को पिघलाने और बाहर निकालने की स्विधा (एमएएमईएफ) (₹ 0.62 करोड़), (v) जेट तंत्र असेंमबलीस की विनिर्माण स्विधाओं का आध्निकीकरण और विकास, इसके साथ ईंधन घटकों और टूल रुप (आरएमएएफसीटीआर) प्रमुख कार्यों के लिए (₹ 0.29 करोड़), (vii) कचरा प्रबंधन मूलभूत सुविधाओं (एडब्ल्यूएमएफ) में वृद्धि मुख्य कार्य (₹ 0.46 करोड़), (vii) स्रक्षा की वृद्धि, अवसंरचना स्विधाओं और बिजली संबंधी प्रणाली (एएसआईईएस), मुख्य कार्यों के लिए (₹ 0.91 करोड़), (viii) मशीनरी और उपकरण संबंधी ग्णवता आश्वासन स्विधाएं का उन्नयन (क्युएएफ) (₹ 5 करोड़) (ix) जोरकोलोये फेबरीकेशन और ईंधन फेबरीकेशन स्विधा म्ख्य कार्यों (एमएजेड 4 एफ) का आध्निकीकरण और वृद्धि के लिए (₹ 2.08 करोड़) (x) बीएआरसी आवास कालोनी पे टाईप-III-C (48 फ्लैटों की 3 इमारतें) मुख्य कार्यों (₹ 1.60 करोड़) (xi) कचरा प्रबंधन और पुनर्प्रसंस्करण संयंत्रों को अपनाना और इसकी प्रौद्योगिकिकरण का विकास म्ख्य कार्यों (₹ 1.34) (xii) उच्च सक्रिय अपशिष्ट स्थानांतरण आरसीसी

- Facilities for Cancer Research and Nuclear Medicine (₹ 2.75 crore). (4) Institute of Plasma Research for the project Development of Auxiliary Technology for Fusion: Magnet, RF, NB and Plant System (₹ 8 crore) (ii) Technologies for fusion Reactor Material, Blankets, Shields, Divertors & Fuel Cycle (₹ 7 crore) (5) Grants for Creation of Capital Assets under National Institute of Science, Education and Research for the project experimental high energy physics programme (₹ 0.61 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Meeting additional expenditure towards (1) Atomic Energy Regulatory Board (₹ 3.47 crore), Bhabha Atomic Research Centre (₹ 126.02 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹ 11.02 crore), Variable Energy Cyclotron Centre (₹ 3.98 crore) and AMD (₹ 3.86 crore). 2. (i) Tata Institute of Fundamental Research towards Grants-in-aid salaries (₹ 22.49 crore) and Grants-in-aid General (₹ 17.60 crore) (ii) Tata Memorial Hospital towards Grants-in-aids salaries (₹ 7 crore) (iii) Saha Institute of Nuclear Physics towards Grants-in-aid salaries (₹ 1.59 crore) and Grants-in-aid General (₹ 3.13 crore) (iv) Harish Chandra Research Institute towards Grants-in-aid salaries (₹ 0.56 crore) and Grants-in-aid General (₹ 0.58 crore) (v) Institute of Plasma Research towards Grants-in-aid salaries (₹ 3.77 crore) and Grants-in-aid General (₹ 4 crore) (vi) Atomic Energy Education School towards Grants-in-aid salaries (₹ 11.28 crore) and Grants-in-aid General (₹ 1.80 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - meeting expenditure under (1) Nuclear Recycle Board for (i) Design & Development of Nuclear Recycle Plan for Non-Indian origin fuel (₹ 0.01 crore) (ii) Upgradation of Nuclear Recycle Facilities (NRF) at Kalpakkam (₹ 0.01 crore) (2) DAE project for (i) Process Development Activities under IRETDC (₹ 1.22 crore) and also to Bhabha Atomic Research Centre, Nuclear Recycle Board, Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Heavy Water Board, Nulear Fuel Complex, Board of Radiation and Isotope Technology under following projects: (ii) NFC, Kota Major works (₹ 0.01 crore), (iii) Revamping and Modernisation of Zirconium production facility (RMZPF) Machinery & Equipment (₹ 0.07 crore), (iv) Modernisation and augmentation of melting and extrusion facilities (MAMEF) Machinery & Equipment (₹ 0.62 crore), (v) Modernisation and Augmentation of Manufacturing Mechanism Reactivity Assemblies. Components and Tool Room (RMAFCTR) Major works (₹ 0.29 crore), (vi) Augmentation of Waste Management Facilities (AWMF) Major works (₹ 0.46 crore), (vii) Augmentation of security, infrastructural facilities and electrical systems (ASIES) Major works (₹ 0.91 crore), (viii) Upgradation of Quality Assurance Facilities (UQAF) Machinery & Equipment (₹ 5 crore), (ix) Modernisation and augmentation of Zorcaloy Fabrication and Fuel Fabrication facility (MAZ4F) Major works (₹ 2.08 crore), (x) Construction of Type III-C (3 buildings of 48 flats) at BARC Housing Colony Major Works (₹ 1.60 crore), (xi) Development

(f)

खाइयों परिरक्षित मुख्य कार्यों (₹ 0.75 करोइ), (xiii) एचडब्ल्यूपी कोटा मुख्य कार्यों का सुधार और आधुनीकीकरण (₹ 0.45 करोइ) (xiv) परमाणु ग्रेड सोडियम परीक्षण सुविधा प्रौद्योगिकी विकास के लिए मुख्य कार्यों (₹ 0.55 करोइ), (xv) प्रौद्योगिकी और नवाचार सुविधा मुख्य कार्यों (₹ 0.14 करोइ)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ङ) न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड परियोजनाएं (₹ 5 करोड़) और गुरु जल बोर्ड (₹ 129.34 करोड़) की परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (핍) डीएई कामप्लैक्स, कलापक्कम में स्रक्षा सेवाओं के बढ़ावे के लिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के तहत अतिरिक्त व्यय के लिए (₹ 0.10 करोड़) और निम्नलिखित संस्थानों के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए भाभा परमाण् अन्संधान केन्द्र, इंदिरा गांधी परमाण् अन्संधान केन्द्र, राजा रम्मना उन्नयन प्रौद्योगिकी केन्द्र, वेरियेबल एंनर्जी साइक्लेट्रोन केन्द्र, निर्माण सेवाएं और एस्टेट प्रबंधन निदेशालय, परमाण् खनिज पर्यवेक्षण और अनुसंधान निदेशालय के तहत निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए (1) अग्रिम कमपय्टिंग और ओटेमेशन मशीनरी और उपक्रणों के लिए(₹ 0.45 करोड़), (2) अग्रिम अभिनवात्मक परमाण् भौतिक अन्संधान मशीनरी और उपक्रमणों के लिए (₹ 0.65 करोड़), (3) न्युक्लियर श्युरी मशीनरी और उपक्रमणों (₹ 0.01 करोड़), (4) साइक्लोट्रोन प्रणाली मुख्य कार्यों के विकास (₹ 0.01 करोड़), (5) विभिन्न उपयोग मशीनरी और उपकरणों के लिए इण्डस-2 लाइनों (₹ 0.32 करोड़), (6) विज़ाग मशीनरी और उपक्रणों पर उच्च तापमान रीएक्टर विकास कार्यक्रम (₹ 0.64 करोड़), (7) भारतीय भागीदारी ज्यल्स होटोविटज रीएक्टर सैट कैडरशि फीस मशीनरी और उपकरण(₹ 8.91 करोड़), (8) न्यूक्लियर इन्सड्रमेण्टेशन एण्ड रेडिएशन डिटेक्टर्स मशीनरी एण्ड इक्विपमेण्टस (₹ 1 करोड़), (9) नाभकीय कृषि मशीनरी एवं उपकरण (₹ 0.01 करोड़), (10) एडीएस ड्राइवर मेजर वक्र्स के अग्रभाग के लिए लो इनर्जी हाई इन्टेसिटी प्रोटान एक्सीलेटर (एलईएचआईपीए) का विकास (₹ 0.5 करोड़), (11) स्पेशल मटेरियल्स डेवलपमेण्ट मशीनरी एण्ड इक्विपमेण्ट (₹ 1 करोड़), (12) नेशनल फेसिलिटीज आफ न्युट्रान बीम एण्ड एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च मशीनरी एण्ड इक्विपमेण्टस (₹ 3.7 करोड़), (13) नेशनल फेसिलिटीज आफ न्यूट्रान बीम एण्ड एस्ट्रोफिजिकल मेजर वर्क (₹ 0.02 करोड़), (14) सेफ्टी एसेसमेण्ट एण्ड टेक्नालाजी डेवलपमेंट फार एडवान्स्ड रिएक्टर्स मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस (₹ 2.95 करोड़), (15) फ्यूल हैण्डलिंग सिस्टम फार एएचड्ब्ल्यू मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस (₹ 0.2 करोड़), (16) डेवलपमेन्ट आफ एडवान्सड प्रोसस एण्ड इक्विपमेन्टस फार रिसाइकिलिंग एफ्रीकेशन मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस (₹ 1.5 करोड़), (17) डेवलपमेन्टस आफ एडवांस्ड प्रोसस एण्ड इक्विपमेन्टस फार वेस्ट मैनेजमेन्ट एप्लीकेशन मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस (₹ 1.03 करोड़), (18) टेक्नालाजी डेवलपमेन्ट एण्ड डिमान्स्ट्रेशन फार कम्पलीट रेन्ज एण्ड साइजेस आफ रेडिएशन शीगल विण्डो मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस (₹ 0.89 करोड़), (19) डेवलपमेन्ट एण्ड डिप्लायमेन्ट आफ न्यू पैराडिम्स आफ सेक्योर कम्प्यूटिंग, कम्यूनिकेशन एण्ड इंफार्मेशन सिस्टम मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस (₹ 6.51 करोड़), (20) एडवान्सड टेक्नालाजीज फार कन्ट्रोल एण्ड इनस्ट्रमेशन मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस (₹ 0.75 करोड़), (21) इन्विरोनमेन्टल स्टडीज एण्ड एडवान्स्ड टेक्नीक्स फार रेडिएशन डोसीमेट्री मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस (₹ 1.62 करोड़), (22) मालेक्लर एण्ड सेल्यूलर रेडिएशन बायोलाजी आफ माडल आर्गेनिज्स एण्ड हयूमन पाप्लेशन नशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस (₹ 1.28 करोड़), (23) टेक्नालाजी डेवलपमेन्टस एण्ड
- of Technology and adoption in waste management and reprocessing plants Major Works (₹ 1.34 crore), (xii) High-active Waste Transfer RCC Shielded Trenches Major Works (₹ 0.75 crore), (xiii) Revamping & Modernisation of HWP Kota Major Works (₹ 0.45 crore), (xiv) Nuclear Grade Sodium Test Facility for Technology Development Major Works (₹ 0.55 crore), (xv) Technology & Innovation facility Major Works (₹ 0.14 crore), Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- e) additional expenditure towards projects of Nuclear Recycle
 Board (₹ 5 crore) and Heavy Water Board (₹ 129.34 crore)
 Taking into account the savings available in the same section of
 the Grant, a token supplementary is sought.
 - additional expenditure under Indira Gandhi Centre for Atomic Research for Enhancement of Security Services at DAE Complex, Kalpakkam (₹ 0.10 crore) and also for meeting additional expenditure towards Bhabha Atomic Research Centre, Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Raja Ramanna Centre for Advance Technology, Variable Energy Cyclotrone Centre, Directorate of Construction Services and Estate Management, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research under following projects: (1) Advanced Computing and Automation Machinery & Equipments (₹ 0.45 crore), (2) Advanced Experimental Nuclear Physics Research Machinery & Equipments (₹ 0.65 crore), (3) Centre for Nuclear Theory Machinery & Equipments (₹ 0.01 crore), (4) Development of Cyclotron System Major Works (₹ 0.01 crore), (5) Development of Indus-2 Lines for various applications Machinery & Equipments (₹ 0.32 crore), (6) High Temperature Reactor Development Programme at Vizag Machinery & Equipments (₹ 0.64 crore), (7) Indian Participation in Jules Horowitz Reactor at Cadarache, France Machinery & Equipments (₹ 8.91crore), (8) Nuclear Instrumentation & Radiation Detectors Machinery & Equipments (₹ 1 crore), (9) Nuclear Agriculture Machinery & Equipments (₹ 0.01 crore), (10) Development of Low Energy High Intensity Proton Accelerator (LEHIPA) for front-end of ADS driver Major Works (₹ 0.5 crore), (11) Special Materials Development Machinery & Equipments (₹ 1 crore), (12) National Facilities of Neutron Beam & Astrophysical Research Machinery & Equipments (₹ 3.7 crore), (13) National Facilities of Neutron Beam & Astrophysical Research Major Work (₹ 0.02 crore), (14) Safety Assessment and Technology Development for Advanced Reactors Machinery & Equipments (₹ 2.95 crore), (15) Fuel Handling System for AHWR Machinery & Equipments (₹ 0.2 crore), (16) Development of Advanced Processes and Equipments for Recycling Application Machinery & Equipments (₹ 1.5 crore), (17) Development of Advanced Processes & Equipments for Waste Management Applications Machinery & Equipments (₹ 1.03 crore), (18) Technology Development and Demonstration for Complete range and sizes of Radiation Shielding Window Machinery & Equipments (₹ 0.89 crore), (19) Development and Deployment of new paradigms of Secure Computing, Communication and Information Systems Machinery

एफ्रीकेशन आफ इसोटोप्स मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस (₹ 0.90 करोड़), (24) एलआईएस टेक्नालाजीज मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस करोड़), (25) कम्पोनेन्टस एण्ड सिस्टम डेवलपमेन्टस फार लेसर्स, प्लाज्मास एण्ड इलेक्ट्रान बीम टेक्नालाजीज मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस (₹ 1.5 करोड़), (26) सिनकोट्रान रेडिएशन बेस्ड फिजिक्स रिसर्च मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस (₹ 45 करोड़), (27) फिजीक्स आफ मटेरियल्स मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस (₹ 0.48 करोड़), (28) मटेरियल्स एण्ड टेक्नालाजी फार एडवान्स्ड रिएक्टर सिस्टम मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस (₹ 3.89 करोड़), (29) एअर बोर्न एण्ड ग्राउन्ड फिजिक्ल सर्केल रिमोट सेन्सिंग एण्ड जीआईएस स्टडीज फार एक्सफ्रोरेशन आफ रेडियम मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस (₹ 0.65 करोड़), (30) एस्ट्रोफिजिक्स एण्ड एक्सिलरेटर बेस्ड रिसर्च इन फिजिकल साइसेंज मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस (₹ 1.15 करोड़),(31) फिजिक्स आफ डिवाइसेंस एण्ड इन्डीजेनस डेवलपमेन्ट आफ इन्स्ड्रमेन्टेशन मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस (₹ 1.55 करोड़), (32) इन्जीनियरिंग डेवलपमेन्ट आफ टेस्टिंग आफ एफबीआर मशीनरी एण्ड इक्विपमेन्टस (₹ 0.4 करोड़), (33) आगमेन्टेशन आफ फेसिलिटीज आफ प्रोसेस, इक्विपमेन्टस एण्ड सिस्टम डेवलपमेन्ट फार फास्ट रिएक्टर प्यल रिप्रोसिंग मेजर वक्रस (₹ 0.43 करोड़), (34) आईजीसीएआर मुख्य कार्य में इल्कट्रिकल और संचार प्रणाली के विकास के लिए नवीकरण और अवसंरचना (₹ 0.45 करोड़)(35) आईजीसीएआर के अन्दर अवसंरचना का विकास एवं सधार, डीएई संयंत्र साईट की पश्चिमी दिशा की तरफ और इदेयर क्षेत्र मुख्य कार्य (₹ 0.62 करोड़), (36) सोडियम प्रणाली म्ख्य कार्य के लिए इंजीनियरिंग आर एण्ड डी (₹ 0.1 करोड़), (37) फडामेंटल अउटस्टेंडिंग एण्ड एपलिकिशन मशीनरी एण्ड इक्यूपिमंट के लिए आईएम स्विधा फेरोप्यईउस/ननोफ्ल्ईउस विकास(₹ 0.06 करोड़), (38) एफबीआर के लिए उन्नत मूल्यांकन एवं प्रौद्योगिकियों की कोटिंग तथा प्नर्प्रसंस्करण अन्प्रयोग मशीनरी एवं उफकरण (₹ 0.98 करोड़),(39) नपोन्मेष एसएफआर मशीनरी एवं उफकरणों का डिजाइन वैलिडेशन तथा सुरक्षा संबंधी प्रदर्शन (₹ 0.77 करोड),(40) फास्ट रिएक्टर्स मशीनरी एण्ड उपकरण के लिए सिविल इंजीनियरिंग आर एण्ड डी (₹ 0.04 करोड़) (41) हाई एनर्जी एक्सीलेटर्स मशीनरी एण्ड इक्विपमेंट के लिए स्पर कंडक्टिक कैविरीज तथआ एसोसिएटेड तकनीक का विकास (₹ 2 करोड़), (42) विभिन्न उपप्रणालियों मशीनरी एवं उपकरण के इम्सर्सन डिवाइसेज तथा उन्नयन सपेत इंडस-2 का निष्पादन (₹ 2.26 करोड़), (43) सामग्री इन्फ्रा-एंड फ्री इलेक्शन लेजर बेस्ड बीप लाइन्स एण्ड सामग्री प्रसंधान प्रम्ख निर्माणकार्य में अन्प्रयोग (₹ 0.30 करोड़),(44) एक्सेलेटर कंपोनेट मशीनरी एण्ड एक्विपमेंटस के लिए विनिर्माणन विस्तार तथा रसायन उपचार (स्विधाएं (₹ 0.60 करोड़) तथा प्रमुख कार्य (₹ 0.25 करोड़), (45) उन्नत लेसर्स मशीनरी एण्ड एक्विपमेंट का विकास तथा अन्प्रयोग (₹ 1.40 करोड़),(46) हाइ पावर लेसर्स एण्ड लेसर प्लास्मा इंटरैक्शन इन हाई डेंसिटी एण्ड अल्ट्रा-हाई (₹ 75 करोड़), (47) आप्टिकल मेकैनिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक सपोर्ट सिस्टम मशीनरी एण्ड एक्विपमेंट (₹ 0.50 करोड़), (48) कंप्यूटर संचार तथा सूचना प्रणाली मशीनरी एवं उपकरणों का विकास एवं प्रसार (₹ 4.07 करोड़) और प्रमुख कार्य (₹ 0.05 करोड़), (49) इण्डस सिंक्रोट्रोन यूजर फैसिलिटी मशीनरी एण्ड एक्विपमेंट (₹ 2.02 करोड़), (50) लेसर सामग्री, फोटोनिक नैनो-सामग्री (₹ 1.20 करोड़) तथा लेसर सामग्री प्रसंस्करण मशीनरी एण्ड एक्विपमेंटस का अनुसंधान एवं विकास(₹ 0.12 करोड़) (51) लेजर और लेजर आधारित उपकरणों मशीनरी और उपकरणों की बायोमेडिकल सामाजिक प्रयोगों (₹ 3.50 करोड़) और मुख्य कार्यों (₹ 0.08 करोड़), (52) सीइआरएन एक्सीलेटर परियोजनाओं में अंतरार्ष्ट्रीय सहयोग के लिए (₹ 0.10 करोड़), (53) अंवसरंचना विकास फेज-VI मुख्य कार्यों (₹ 2.60 करोड़),(54) तकनीकी अवसंरचना मशीनरी और उपकरणों (₹ 0.60 करोड़) और मुख्य कार्य (₹ 0.90 करोड़),(55) उच्च ऊर्जा प्रोटॉन लीनेक आधारित स्वैलशन न्यूट्रान स्रोत

& Equipments (₹ 6.51 crore), (20) Advanced Technologies for Control & Instrumentation Machinery & Equipments (₹ 0.75 crore), (21) Environmental studies and Advanced Techniques for Radiation Dosimetry Machinery & Equipments (₹ 1.62 crore), (22) Molecular and Cellular Radiation Biology of Model Organisms and Human Population Machinery & Equipments (₹1.28 crore), (23) Technology Development and Applications of Isotopes Machinery & Equipments (₹ 0.90 crore), (24) LIS Technologies Machinery & Equipments (₹ 5.5 crore), (25) Components & Systems Development for Lasers, Plasmas and Electron Beam Technologies Machinery & Equipments (₹ 1.5 crore), (25) Synchrotron Radiation Based Physics Research Machinery & Equipments (₹ 45 crore), (26) Physics of Materials Machinery & Equipments (₹ 0.48 crore), (27) Materials and Technology for Advanced Reactor Systems Machinery & Equipments (₹ 3.89 crore), (28) Airborne & Ground Geo physical Surveys, Remote Sensing & GIS Studies for Exploration of Uranium Machinery & Equipments (₹ 0.65 crore), (29) Astrophysics and Accelerator based Research in Physical Sciences Machinery & Equipments (₹ 1.15 crore),(30) Physics of Devices and Indigenous Development of Instrumentation Machinery & Equipments (₹ 1.55 crore), (31) engg. development and testing for FBR Machinery & Equipments (₹ 0.4 crore), (32) Augmentation of facilities for process, Equipments and system development for Fast Reactor Fuel Reprocessing Major Works (₹ 0.43 crore), (33) Refurbishment and infrastructure development of electrical and communication system at IGCAR Major Works (₹ 0.45 crore) (34) Development of Infrastructure and improvement to facilities within IGCAR, on the western side of DAE Plant site and Edaiyur area Major Works (₹ 0.62 crore), (35) Engineering R&D for sodium systems Major Works (₹ 0.1 crore), (36) Advanced facilities for ferrofluids/ nanofluids development for fundamental understanding and applications Machinery & Equipments (₹ 0.06 crore), (37) Advanced corrosion assessment and coating technologies for FBR and Reprocessing applications Machinery & Equipments (₹ 0.98 crore),(38) Design validation and safety demonstration of innovative SFR Machinery & Equipments (₹ 0.77 crore),(39) Civil engineering R&D for fast reactors Machinery & Equipments (₹ 0.04 crore) (40) Development of superconducting cavities and associated tech. for high energy accelerators Machinery and Equipments (₹ 2 crore), (41) Performance Enhancement of Indus-2 with Insertion Devices & Upgradation of various Sub-Systems Machinery & Equipments (₹ 2.26 crore), (42) Infra-Red Free Electron Laser Based Beam Lines & their Applications in Materials Research Major Work (₹ 0.30 crore),(43) Enhancement of Manufacturing & Chemical Treatment Facilities for Accelerator Components Machinery & Equipments (₹ 0.60 crore) and Major Work (₹ 0.25 crore), (44) Development & Applications of Advanced Lasers Machinery & Equipments (₹ 1.40 crore),(45) High Power Lasers & Laser-Plasma Interaction in High Density & Ultra-high Intensity Regimes (Major Work ₹ 0.75 crore), (46) Development of Optical, Mechanical & प्रमुख काम के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियां (₹ 0.75 करोइ), (56) डीसीएसईएम के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई कालोनी में बाहरी इंजीनियरिंग सेवाओं का उन्नयन (₹ 3.50 करोइ), (57) हवाई और जमीन भूभौतिकीय क्षमताओं मशीनरी और उपकरणों की वृद्धि (₹ 0.90 करोइ), (58) एचआरडी सुविधाओं का सृजन (मुख्य कार्य (₹ 0.50 करोइ)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Electronic Support Systems Machinery & Equipments (₹ 0.50 crore), (47) Development and Deployment of Computer, Communication and Information Systems Machinery & Equipments (₹ 4.07 crore) and Major Work (₹ 0.05 crore), (48) Enhancement of Indus Synchrotron User Facility Machinery & Equipments (₹ 2.02 crore), (49) Research & Development of Laser Material, Photonic Nano-materials & Laser Materials Processing Machinery & Equipments (₹ 1.20 crore) and Major Work (₹ 0.12 crore) (50) Biomedical & Societal Applications of Lasers & Laser Based Instruments Machinery & Equipments (₹ 3.50 crore) and Major Work (₹ 0.08 crore), (51) International Collaboration in CERN Accelerator Projects Machinery & Equipments (₹ 0.10 crore), (52) Infrastructure Development Phase -VI Major Work (₹ 2.60 crore),(53) Technical Infrastructure Machinery & Equipments (₹ 0.60 crore) and Major Work (₹ 0.90 crore),(54) R&D Activities for High Energy Proton Linac Based Spallation Neutron Source Major Work (₹ 0.75 crore), (55) Upgradition of external Engineering services in DAE Colony under DCSEM Major Work (₹ 3.50 crore), (56)Augmentation of Airborne and ground geophysical capabilities Machinery & Equipments (₹ 0.90 crore), (57) Creation of HRD facilities Major Work (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये) (See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	837.92		6540.10		7378.02
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		5.00		5.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	54.26				54.26
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		892.19		6545.10		7437.29
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्ष के अं त	र्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for und	er the follo	wing Ma	jor Head:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत:	3053 -Civil Aviation	Voted:	14.10	(क a)	40.16	(खb)	54.26

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारतीय विमान पतन प्राधिकरण को पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 14.10 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में बचतें अभ्यर्पित किए जाने के कारण उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।
- (ख) (i) विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) को सामान्य सहायता अन्दान प्रदान करने के लिए (₹ 2.00 करोड़)।
 - (ii) हज चार्टरों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने हेतु (₹ 33.84 करोड)।
 - (iii) नागर विमानन महानिदेशालय के कार्यालय के वेतन हेतु (₹ 4.32 करोड़)।
 अनुदान के पूंजी भाग में बचतें अभ्यर्पित किए जाने के कारण उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

- (a) providing Grants-in-aid for Creation of Capital Assets to Airport Authority of India (₹ 14.10 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
 - (i) providing Grants-in-aid General to Airports Economic Regulatory Authority (AERA)(₹ 2.00 crore).
 - (ii) providing additional subsidy for Haj Charters (₹ 33.84 crore).
 - (iii) providing salary for the office of Director General of Civil Aviation (₹ 4.32 crore)
 - Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
		LODIONAL ODANIT		Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	600.00	1647.00	2247.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		600.01	1647.00	2247.01
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for under tl	he following M	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2803 - कोयला और लिग्नाइट	स्वीकृत:	2803 -Coal and Lignite	Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

कोयला खान (विशेष प्रावधान) द्वितीय अध्यादेश, 2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्त "नामित प्राधिकरण" की कार्यप्रणाली पर होने वाले व्यय को पूरा करना (₹ 3.74 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure (₹ 3.74 crore) on the functioning of "Nominated Authority" appointed under the provisions of Coal Mines (Special Provisions) Second Ordinance, 2014).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये) (See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

	-				(करोड़	ज़्पये Rupee	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.50			0.50
	स्वीकृत:		Voted:	5552.00	304.	50	5856.50
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:		160.	00	160.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		5552.52	464.	50	6017.02
	भारित:		Charged:	0.50			0.50
	स्वीकृत:		Voted:	5552.02	464.	50	6016.52
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	ज्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया र	जायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be accou	intea for unae	er the follow आयोजना	ıng Major Heads: आयोजना		जोड
				आयाजना Plan	आयाजना भि न्न	-	जाड़ Total
				· iaii	Non-Pla	n	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2407 - पौधारोपण	स्वीकृत:	2407 -Plantations	Voted:		0.	01 (कa)	0.01
3453 - विदेशी व्यापार और	स्वीकृत:	3453 -Foreign Trade and Export	Voted:	0.01	(खb)		0.01
निर्यात संवर्द्धन		Promotion					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.	01	0.02

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

इस अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) चाय बोर्ड को सामान्य अनुपालन सहायता के लिए (₹ 1.70 करोड़), वचनबद्ध देनदारियों और अन्दान सहायता वेतन के भ्गतान के लिए (₹ 6.39 करोड़), कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भोगियों को वार्षिक पेंशन देनदारी के भ्गतान के लिए; (ii) कॉफी बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 21.60 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय की लागत को पूरा करने और संवर्धनकारी कार्यों की लागत में सहायता देने हेत् तथा 1995 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण पेंशन देनदारी के भ्गतान के लिए सहायता अन्दान वेतन (₹ 3.60 करोड़); (iii) रबड़ बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अन्दान (₹ 10.50 करोड़), मौजूदा लंबित देनदारियों के भ्गतान के लिए और सेवानिवृत्त व्यक्तियों की बढ़ती संख्या के कारण पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए सहायता अनुदान वेतन (₹ 10.50 करोड़) और (iv) मसाला बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.81 करोड़) मौजूदा लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए और कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन भोगियों की पेंशन के भुगतान के लिए सहायता अनुदान वेतन (₹ 1.84 करोड़)। अन्दान के इसी भाग में बचते उपलब्ध होने के कारण सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 36.54 करोड़)। राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा (एनआईए) को ₹ 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि। अनुदान के इसी भाग में बचते उपलब्ध होने के कारण सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grants are required for:

- Meeting additional expenditure of (i) Tea Board towards Grantsin-aid General (₹ 1.70 crore) for payment of committed liabilities and Grants-in-aid Salary (₹ 6.39 crore) for payment of salary to the employees and annual pension liability of pensioners; (ii) Coffee Board towards Grants-in-aid General (₹ 21.60 crore) for meeting the cost of Other Administrative Expenditure and subsidizing the cost of promotional activities and Grants-in-aid Salary (₹ 3.60 crore) towards payment of pension liability due to voluntary retirement in 1996; (iii) Rubber Board towards Grantsin-aid General (₹ 10.50 crore) for payment of existing pending liabilities and Grants-in-aid Salary (₹ 10.50 crore) towards payment of pension and retirement benefits due to increased number of retirements and (iv) Spices Board towards Grants-inaid General (₹ 3.81 crore) for payment of existing pending liabilities and Grants-in-aid Salary (₹ 1.84 crore) for payment of salary to the employees and pension to the pensioners. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- b) (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 36.54 crore) to Indian Institute of Foreign Trade and (ii) to provide and additional amount of ₹ 100 crore to National Export Insurance Account (NEIA). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

औदयोगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये) (See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1839.27		105.75		1945.02
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.25				0.25
	स्वीकृत:		Voted:	89.01				89.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	12.61				12.61
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1941.14		105.75		2046.89
	भारित:		Charged:	0.25				0.25
	स्वीकृत:		Voted:	1940.89		105.75		2046.64
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित ग	नुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया उ	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for unde	r the follow	ing Majo	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2552 - पूर्वीतर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	12.59	(कa)			12.59
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	0.01	(खb)	0.01	(गc)	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	12.60		0.01		12.61

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 'पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति' के तहत ₹ 36.90 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 24.31 करोड़ की बचतों के तहत और अनुदान के पूंजी पक्ष के तहत ₹ 12.59 करोड़ की अनुपातिक बचत, तकनीकी पूरक अपेक्षित है।
- (ख) 'निवेश संवर्धन की स्कीम' के तहत ₹ 10 करोड़ की अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) पल्प और कागज़ उयोगों के विकास परिषद (₹ 2.80 करोड़) के सहायता अनुदान वेतन को प्रदान करने के लिए ₹ 3.60 करोड़ का अतिरिक्त व्यय को पूरा करना और सीमेंट और बिल्डिंग मैटीरियल राष्ट्रीय परिषद के लिए (₹ 0.80 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 36.90 crore under 'North East Industrial and Investment Promotion Policy'. After taking into account the saving of ₹ 24.31 crore available in the Revenue Section and matching saving of ₹ 12.59 crore under Capital side of the grant, a technical supplementary is sought.
- (b) meeting an additional expenditure of ₹ 10 crore under 'Scheme for Investment Promotion'. As the savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting an additional expenditure of ₹ 3.60 crore towards providing Grants-in-aid Salaries to Development Council for Pulp and Paper Industries (₹ 2.80 crore) and National Council for Cement and Building Material (₹ 0.80 crore). As the savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये) (See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

				(करोड़ रुपये Rupees in Cro		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	
			Revenue	Capital	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
भारित:		Charged:	0.20		0.20	
स्वीकृत:		Voted:	18141.35	518.30	18659.65	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
भारित:		Charged:	3.43	2.26	5.69	
स्वीकृत:		Voted:		0.01	0.01	
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:	now required:					
भारित:		Charged:	0.21		0.21	
स्वीकृत:		Voted:	344.66		344.66	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		18489.85	520.57	19010.42	
भारित:		Charged:	3.84	2.26	6.10	
स्वीकृत:		Voted:	18486.01	518.31	19004.32	

II. इस पूरक अन्दान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न		जोड़ Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3201 - डाक सेवाएं	भारित:	3201 - Postal Services	Charged:		0.21	(कa)	0.21
	स्वीकृत:		Voted:		344.66	(खb)	344.66
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			344.87		344.87
	भारित:		Charged:		0.21		0.21
	स्वीकृत:		Voted:		344.66		344.66

यह प्रक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप ऐजवाल(मिजोरम) के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास भता का भुगतान किये जाने के लिए आने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए। क्योंकि इस खर्च को अनुदान के स्वीकृत भाग के तहत उपलब्ध बचतों से पूरा किया जाएगा, तकनीकी पूरक अपेक्षित है।
- (ख) वेतन (₹ 141.13 करोड़), 'पेंशन' (₹ 135 करोड़), 'कायार्लय व्यय' (₹ 43 करोड़), 'मजदूरी' (₹ 12 करोड़), 'व्यावसायिक सेवायें' (₹ 142.35 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.02 करोड़)और विभाग के अन्य स्थापना संबंधी खर्च (₹ 18.01 करोड़)के कारण पैदा होने वाली अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए ₹ 491.51 करोड़ । अनुदान के इसी भाग में ₹ 146.85 करोड़ की राशि बची होने के कारण शेष ₹ 344.66 करोड़ के लिए एक तकनीकी पूरक की मांग की गई है क्योंकि पूंजीगत भाग में इसी के समतुल्य राशि बची है जो कि वापस कर दी जायेगी।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) meeting additional requirement, arising out of Court Judgement for meeting payment of HRA to Central Government employees at Aizwal (Mizoram). As the expenditure will be met from the savings available under voted section of the grant, a technical supplementary is sought.
- meeting additional requirement of ₹ 491.51 crore towards 'salaries' (₹ 141.13 crore), 'wages' (₹ 12 crore), 'pensions' (₹ 135 crore), 'Office Expenses' (₹ 43 crore), 'Professional Services' (₹ 142.35 crore), Grants-in-aid-General (₹ 0.02 crore) and other establishment related expenditure of the Department (₹ 18.01 crore). Taking into account the saving of ₹ 146.85 crore available in the same section of the grant, a technical supplementary for the balance amount of ₹ 344.66 crore is sought as equivalent savings are available in the Capital section of the grant which will be surrendered.

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये) (See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	14267.06		3798.00		18065.06
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	भारित:		Charged:	254.65				<i>254.65</i>
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of the amount						
का पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.01		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		14521.73		3798.01		18319.74
	भारित:		Charged:	<i>254.65</i>				<i>254.65</i>
	स्वीकृत:		Voted:	14267.08		3798.01		18065.09
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंतर्ग	ति दिखाया जा	येगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accoun	ted for under	the following	g Major H	eads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3275 - अन्य संचार सेवाएं	स्वीकृत:	3275 -Other Communication Services	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
6859 - दूरसंचार और वैयुत	स्वीकृत:	6859 - Loans for Telecommunication and	Voted:			0.01	(गc)	0.01
उद्योगों के लिए ऋण		Electronic Industries						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.02		0.03

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) महानगर टेलीफोन निगम लि. को नई दिल्ली में सांसदों के आवास पर ब्राड बैण्ड/फाइबर जैसी घरेलू सुविधाओं को लगाने के लिए ₹ 6 करोड़ की धन राशि प्रदान करना। चूंकि अनुदान के इस खण्ड में धनराशि बची हुई है अत: इसके लिए नाम मात्र की पूरक राशि की मांग की गई है।
- (ख) महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा जारी िकये गये बन्ध पत्रों पर उदभूत होने वाले ब्याज का भुगतान करने के लिए ₹ 72.42 करोड़ के आने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।
- (ग) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि. को अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए ₹ 204 करोड़ की राशि का ऋण प्रदान करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing funds to ₹ 6 crore to Mahanagar Telephone Nigam Limited towards broadband/fiber to the home facilities at the residences of Members of Parliament in New Delhi. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 72.42 crore for payment of interest of bonds issued by Mahanagar Telephone Nigam Limited. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (c) providing loans amounting to ₹ 204 crore to Indian Telephone Industries Limited for payment of salaries to its employees. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये) (See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	V	oted:	3734.10	195.00	3929.10
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	V	oted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:	V	oted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3734.12	195.00	3929.12
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for un	nder th	e following Ma	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries V	oted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"एनआईईएलआईटी" योजना के कार्यक्रम के तहत वेतन सहायता अनुदान पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 3.56 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। The supplementary grant is required for:

Meeting additional expenditure (₹ 3.56 crore) under the Scheme/Programme of "NIELIT" towards Grants-in-aid Salaries. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

खादय और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये) (See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 115606.09 10678.25 126284.34 पूरक अनुदान: **SUPPLEMENTARY GRANT:** स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 0.02 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of the amount का पूरक अन्मान: now required: स्वीकृत: Voted: 8386.10 8386.10 जोड़ (मूल और पूरक) 123992.20 10678.26 134670.46 Total (Original plus Supplementary) II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2408 - खाद्य भंडारण और स्वीकृत: 2408 -Food Storage and Warehousing Voted: 8386.09 (कa) 8386.09 भाण्डागारण स्वीकृत: 3456 - नागरिक आपूर्ति 3456 -Civil Supplies Voted: 0.01 (खb) 0.01 जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted: 0.01 8386.09 8386.10 टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. राजस्व भाग **REVENUE SECTION** 2408 - खाद्य भंडारण और 2408 - Food Storage and Warehousing (-)803.77(-)803.77भाणडागारण

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) (i) भारतीय खाद्य निगम व अन्यों को देय सब्सिडी खाद्यान्नों के लेन-देन के संबंध में (₹ 3000.00 करोड़)।
 - (ii) राष्ट्रीय खाय सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाय निगम व अन्यों को देय सब्सिडी खाद्यान्नों के लेन-देन के संबंध में (₹ 2000.00 करोड़)।
 - (iii) राज्य सरकार को खाद्यान्नों की विकेन्द्रित खरीद पर सब्सिडी(₹ 1300.00 करोड़)।
 - (iv) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार को खाद्यान्नोंकी विकेन्द्रित खरीद पर सब्सिडी (₹ 1375.81 करोड़)।
 - (v) "स्कीम फार एक्सटेन्डिंग फाइनैश्यिल असिसटेंस टु शुगुर आंडरटेकिंग्स,2014 के तहत सभी सहभागी बैंकों को ब्याज आर्थिक सहायता के भुगतान के लिए (₹ 603.77 करोड़)।

- (i) subsidy payable to Food Corporation of India and others on food grains transaction (₹ 3000.00 crore).
- (ii) subsidy payable to Food Corporation of India and others on food grains transaction under National Food Security Act(₹ 2000.00 crore).
- (iii) subsidy to State Government on decentralized procurement of food grains (₹ 1300.00 crore).
- (iv) subsidy to State Government on decentralized procurement of food grains under National Food Security Act(₹ 1375.81 crore).
- (v) payment of interest subvention (₹ 603.77 crore) to all participating Banks under the "Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings, 2014".

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(vi) "इंसैटिव ऑन मार्केटिंग एण्ड प्रमोशन सर्विसिस ऑफ रॉ सुगर प्रोडक्शन" स्कीम के तहत शुगर मिल्स को प्रोत्साहन(₹ 200 करोड़) प्रदान करने के लिए, तािक चीनी मिलें किसानों को गन्ने के मूल्यों का बकाया प्रदान कर सकें।

अनुदान के पूंजी भाग में सरेण्डर के कारण उपलब्ध (₹192.71 करोड़) बचत को देखते हुए और अनुदान के उसी भाग में (₹93.49 करोड़)की बचत उपयोग में लाने के पश्चात तथा शुगर डेवलपमेंट फंड से (₹ 803.77 करोड़)की गई अनुपातिक वसूली के मद्देनजर उपर्युक्त व्यय में ₹ 7389.61 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) लोक वितरण प्रणाली और क्षमता निर्माण, गुणता नियंत्रण, परामर्शी और अनुसंधान के सुद्दिकरण के लिए (₹ 0.06 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। (vi) providing incentive to Sugar Mills (₹ 200 crore) under the scheme "Incentive on Marketing and Promotion Services of Raw Sugar Production" to enable the Sugar Mills to pay cane price arrears to the farmers.

Taking into account the surrender of savings (₹ 192.71 crore) available in Capital Section of the Grant, and after utilising the savings (₹ 93.49 crore) within the same section of the Grant, and also matched by recoveries (₹ 803.77 crore) from the Sugar Development Fund, the above expenditure will entail net cash outgo of ₹ 7389.61 crore.

(b) strengthening of Public Distribution System & Capacity Building, Quality Control, Consultancies and Research (₹ 0.06 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये) (See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	s in Crore)	
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	2443.00		68.00		2511.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.04				0.04
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
प्रक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2443.06		68.00		2511.06
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्ष के अंत	ार्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for und	der the follow	wing Maj	or Head:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत:	2205 -Art and Culture	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- क) (i) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली को वाराणसी में संस्कृति उत्सव और अन्य कार्यक्रमों, इत्यादि के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़)।
 - (ii) दिल्ली में रामायण उत्सव के लिए कलाक्षेत्र, चैन्नई को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.30 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) (i) नेहरु स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली को अनिश्वय व्यय के भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड)।
 - (ii) लित कला अकादमी, नई दिल्ली के संविदा स्टाफ को पेंशन और वेतन भुगतान के लिए और सामान्य रखरखाव के लिए सामान्य सहायता अनुदान (3.00 करोड़)।
 - (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल को अनिश्वित व्यय, बिल्डिंग, अंदसनी गलियारा और पेंशन के भुगतान के लिए सामान्य सहायता अन्दान (₹ 0.32 करोड़)
 - (iv) द एशीएटिक सोसाइटी, कोलकत्ता के कर्मचारियों के वेतन के लिए वेतन के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 2.50 करोइ)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (a) (i) Sangeet Natak Akademi, New Delhi as Grants in aid General for Sanskriti Festival in Varanasi and other programmes, etc (₹ 1.50 crore)
 - (ii) Kalakshetra, Chennai as Grants in aid General for Ramayan Festival in Delhi (₹ 0.30 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi as Grant in aid – General for payment of contingency expenditure (₹ 2.00 crore)
 - (ii) Lalit Kala Akademi, New Delhi as Grants in aid-General for payment of pension, payment of salaryto contractual staff and for normal maintenance (₹ 3.00 crore)
 - (iii) Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal as Grant in aid-General for payment of contingency expenditure, building, Indoor gallery and payment of Pension (₹ 0.32 crore)
 - (iv) The Asiatic Society, Kolkata as Grants in aid-Salaries for payment of Salaries to its employees (₹ 2.50 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये) (See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुपये Ri	ये Rupees in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.51		0.51	
	स्वीकृत:		Voted:	14956.64	1620.72	16577.36	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	3000.00		3000.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:	0.58	6.73	7.31	
	स्वीकृत:		Voted:	314.03		314.03	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		18271.76	1627.45	19899.21	
	भारित:		Charged:	1.09	6.73	7.82	
	स्वीकृत:		Voted:	18270.67	1620.72	19891.39	
		॥ इस परक अनदान/विनियोग का हिसाब निम्नी	लेखित मख्य १	ीर्षों के अंतर्गत दि	खाया जायेगा [.]		

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्निलेखित मुख्य शीषों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		II. This Supplementary Grant/Appropriat	ion will be acco	ounted for unde	eads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2037 - सीमा शुल्क	स्वीकृत:	2037 -Customs	Voted:		134.74	(कa)	134.74
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	भारित:	2052 - Secretariat-General Services	Charged:		0.48	(खb)	0.48
	स्वीकृत:		Voted:		135.98	(गc)	135.98
2055 - पुलिस	भारित:	2055 - Police	Charged:		0.10	(घd)	0.10
	स्वीकृत:		Voted:		43.31	(ਝe)	43.31
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)			314.61		314.61
	भारित:		Charged:		0.58		0.58
	स्वीकृत:		Voted:		314.03		314.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4047 - अन्य राजकोषीय सेवाओं	भारित:	4047 - Capital Outlay on Other Fiscal	Charged:		6.73	(चf)	6.73
पर पूंजी परिव्यय		Services					
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			321.34		321.34
	भारित:		Charged:		7.31		7.31
	स्वीकृत:		Voted:		314.03		314.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 'वेतन','छोटे निर्माण', 'पूर्ति और सामग्री', 'पीओएल', 'व्यावसायिक सेवाएं', 'मशीनरी और उपस्कर के तहत इत्यादि के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 134.74 करोड़। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) कैट/न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.48 करोड़। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 134.74 crore under 'Salaries', 'Minor Works','Supplies and Materials', 'POL', 'Professional Services', 'Machinery & Equipment' etc. As savings are available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.
 - meeting additional expenditure arising out of CAT/Court Orders (₹ 0.48 crore). As savings are available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (ग) अधिकारी/स्टाफ के आने से रक्षा लेखा विभाग के 'वेतनों' के कारण और कैंटोनमेंट बोर्झें की वेतन और भते की कानूनी उत्तरदायित्व भुगतान के लिए मुख्यत: (₹ 135.98 करोड़)। इसमें अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 63.33 करोड़) भी शामिल है। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) जम्मू और कश्मीर लाईट इंफेंट्री की ज़रूरत के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.10 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ङ) जम्मू व कशमीर लाइट इंफेन्ट्री (₹ 43.31 करोड़) संबंधी अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (च) मंडापम में आवासीय काम्पलैक्स और कोस्ट गार्ड स्टेशन के निर्माण हेतु केरल के उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत भूमि के अधिग्रहण के भुगतान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 6.73 करोड़)।अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (c) meeting additional expenditure of ₹ 135.98 crore mainly towards providing additional 'Grants-in-aid - General' (₹ 63.33 crore) to Cantonment Boards for payment of statutory liabilities of Pay & Allowances and 'Salaries' of Defence Accounts Department due to induction of officers/staff. As savings are available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.
- (d) meeting additional expenditure (₹ 0.10 crore) towards requirement of Jammu & Kashmir Light Infantry. As savings are available in capital section of the grant, a technical supplementary is sought.
- (e) meeting additional expenditure towards establishment related expenditure of Jammu & Kashmir Light Infantry (₹ 43.31 crore). As savings are available in capital section of the grant, a technical supplementary is sought.
- (f) meeting additional expenditure (₹ 6.73 crore) towards payment arising out of orders of High Court of Kerala for land acquisition for construction of Coast Guard Station and residential complex at Mandapam. As savings are available in capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व Capital Revenue Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: भारित: 0.70 Charged: 0.70 स्वीकृत: Voted: 50999.30 50999.30 इस समय आवश्यक रकम का प्रक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: भारित: Charged: 9.30 9.30 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 51009.30 51009.30 भारित: Charged: 10.00 10.00 स्वीकृत: Voted: 50999.30 50999.30 II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head: जोड़ आयोजना आयोजना-Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति भारित: 2071 - Pensions and other Retirement Charged: 9.30 9.30 Benefits

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

न्यायालय निर्णयों के कारण बढ़े ₹ 9.30 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः तकनीकी पूरक अपेक्षित है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary appropriation is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 9.30 crore arising out of Court Orders. As savings are available in the voted section of the grant, a technical supplementary is sought. This will not entail cash outgo.

रक्षा सेवा - थल सेना

DEFENCE SERVICES-ARMY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	42.95			42.95
	स्वीकृत:		Voted:	95294.87			95294.87
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount	nt				
पूरक अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:	336.00			336.00
	स्वीकृत:		Voted:	5340.47			5340.47
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		101014.29			101014.29
	भारित:		Charged:	378.95			378.95
	स्वीकृत:		Voted:	100635.34			100635.34
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब नि	म्नलिखित मुख्य १	ीर्ष के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant/Appropri	ation will be acco	ounted for under	the following M	lajor Hea	ıd:
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2076 - रक्षा सेवाएं-थल सेना	भारित:	2076 - Defence Services - Army	Charged:	•••	336.00	(कa)	336.00
	स्वीकृत:		Voted:		5340.47	(खb)	5340.47

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) रैंक वेतन मामले में अदालत के आदेशों के कारण होने वाले भुगतान के लिए ₹ 336 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। पूंजी भाग में उपलब्ध अतिरिक्त प्राप्तियों और बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक मांगा गया है।

(ख) 'वेतन और भते' (₹ 1674 करोड़), 'परिवहन' (₹ 735.47 करोड़), 'पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम' (₹ 1050 करोड़), 'निरीक्षण' (₹ 10 करोड़), 'भण्डार' (₹ 800 करोड़), 'निर्माण कार्य' (₹ 1055 करोड़), और पर्वतारोहण संस्थानों (हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान (दार्जिलिंग), नेहरू पर्वतारोहण संस्थानों (उत्तरकाशी), जवाहर पर्वतारोहण संस्थान (पहलगाम) और पर्वतारोहण और सम्बधित खेलों के राष्ट्रीय संस्थान के लिए सहायता अनुदान (₹ 16 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय के लिए ₹ 5340.47 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। पूंजी भाग में उपलब्ध अतिरिक्त प्राप्तियों और बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant/appropriation is required for:

arising out of Court Orders in Rank Pay case. Taking into account the additional receipts and savings available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

meeting additional expenditure of ₹ 5340.47 crore towards 'Pay & Allowances' (₹ 1674 crore), 'Transportation' (₹ 735.47 crore), 'Ex-Servicemen Contributory Health Scheme' (₹ 1050 crore), 'Inspection' (₹ 10 crore), 'Stores' (₹ 800 crore), 'Works' (₹ 1055 crore), and Grants-in-aid (₹ 16 crore) to Mountaineering Institutes (Himalayan Mountaineering Institute (Darjeeling), Nehru Institute of Mountaineering (Uttarkashi), Jawahar Institute of Mountaineering (Pahalgam) and National Institute of Mountaineering & Allied Sports). Taking into account additional receipts and savings available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

meeting additional expenditure of ₹ 336 crore towards payment

रक्षा सेवा - नौ सेना

DEFENCE SERVICES-NAVY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

REVENUE SECTION

2077 - Defence Services - Navy

MAJOR HEAD

					(करोड़ रुपये Rupees in Crore)				
				राजस्व	पूंजी	जोड़			
				Revenue	Capital	Total			
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
	भारित:		Charged:	18.19	•••	18.19			
	स्वीकृत:		Voted:	14157.60	•••	14157.60			
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount							
पूरक अनुमान:		now required:							
	भारित:		Charged:	9.63	•••	9.63			
	स्वीकृत:		Voted:	350.37	•••	350.37			
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		14535.79		14535.79			
	भारित:		Charged:	27.82	•••	27.82			
	स्वीकृत:		Voted:	14507.97	•••	14507.97			
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:							
		II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:							
				आयोजना	आयोजना-	जोड़			
				Plan	भिन्न	Total			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राजस्व भाग

2077 - रक्षा सेवाएं-नौ सेना

मुख्य शीर्ष

(क) रैंक वेतन मामला और अन्य मामलों में अदालत के आदेशों के कारण होने वाले भुगतान के लिए ₹ 9.63 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। पूंजी भाग में उपलब्ध अतिरिक्त प्राप्तियों और बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक मांगा गया है।

भारित:

स्वीकृत:

(ख) वेतन और भते (₹ 75 करोड़), निर्माण कार्य (₹ 215.91 करोड़), और संयुक्त स्टाफ' (₹ 59.46 करोड़) के 350.37 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए। पूंजी भाग में उपलब्ध अतिरिक्त प्राप्तियों और बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant/appropriation is required for:

Charged:

Voted:

(a) meeting additional expenditure of ₹ 9.63 crore towards payment arising out of Court Orders in Rank Pay case and other items. Taking into account the additional receipts and savings available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

Non-Plan

9.63

350.37

(कa)

(खb)

9.63

350.37

(b) meeting additional expenditure of ₹ 350.37 crore towards pay & allowances (₹ 75 crore), works (₹ 215.91 crore), and Joint Staff' (₹ 59.46 crore). Taking into account additional receipts and savings available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

रक्षा सेवा - वायु सेना

DEFENCE SERVICES-AIR FORCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुपये R	upees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	4.70	***	4.70
	स्वीकृत:		Voted:	21202.14		21202.14
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:		now required:				
	भारित:		Charged:	53.59	***	53.59
	स्वीकृत:		Voted:	1925.43		1925.43
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		23185.86		23185.86
	भारित:		Charged:	58.29	•••	58.29
	स्वीकृत:		Voted:	23127.57		23127.57
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्न	ालिखित मुख्य शी	र्ष के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:	
		II. This Supplementary Grant/Appropriati	on will be accor	unted for under	the following Major	Head:
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				

2078 - Defence Services - Air Force

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

2078 - रक्षा सेवाएं-वाय् सेना

(क) रैंक वेतन मामला और अन्य मामलों में अदालत के आदेशों के कारण होने वाले भुगतान के लिए ₹ 53.59 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। पूंजी भाग में उपलब्ध अतिरिक्त प्राप्तियों और बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक मांगा गया है।

भारित:

स्वीकृत:

(ख) वेतन और भते (₹ 480.10 करोड़), भण्डार (₹ 1070.33 करोड़), और निर्माण कार्य (₹ 375 करोरड़) के लिए अतिरिक्त 1925 .47 करोड़ की पूर्ति। पूंजी भाग में उपलब्ध अतिरिक्त प्राप्तियों और बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक मांगा गया है। The supplementary grant/appropriation is required for:

Charged:

Voted:

(a) meeting additional expenditure of ₹ 53.59 crore towards payment arising out of Court Orders in Rank Pay case. Taking into account the additional receipts and savings available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

53.59

1925.43

(**क**a)

(खb)

53.59

1925.43

(b) meeting additional expenditure of ₹ 1925.43 crore towards pay & allowances (₹ 480.10 crore), stores (₹ 1070.33 crore), and works (₹ 375 crore). Taking into account the additional receipts and savings available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

रक्षा आयुध फैक्ट्रियां

DEFENCE ORDNANCE FACTORIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुपये Rupe	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	8.00		8.00
	स्वीकृत:		Voted:	14308.65		14308.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		14316.66		14316.66
	भारित:		Charged:	8.00		8.00
	स्वीकृत:		Voted:	14308.66		14308.66
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	। शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accoun	ted for under t	he following Ma	ijor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2079 - रक्षा सेवाएंआयुध	स्वीकृत:	2079 -Defence Services - Ordnance	Voted:		0.01	0.01
कारखाने		Factories				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विजयंता सीनियर स्कूल, भारी वाहन कारखाना, अवादी को सहायता अनुदान के लिए ₹ 0.35 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure of $\ref{thmostate}$ 0.35 crore towards Grants-in-aid to Vijayanta Senior School, Heavy Vehicle Factory, Avadi. Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास

DEFENCE SERVICES - RESEARCH AND DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

				(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged	l: 0.61		0.61
	स्वीकृत:	Voted	: 6039.06		6039.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now			
अनुमान:		required:			
	स्वीकृत:	Voted	320.03	•••	320.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	6359.70		6359.70
	भारित:	Charged	l: 0.61		0.61
	स्वीकृत:	Voted	: 6359.09	•••	6359.09
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under	he following M	ajor Head:	
			आयोजना	आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2080 - रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और	स्वीकृत:	2080 -Defence Services - Research and Voted	:	320.03	320.03
विकास		Development			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भण्डार (149.01 करोड़) और निर्माण कार्य (₹ 171.02 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय ₹ 320.03 करोड़ की पूर्ति। पूंजी भाग में उपलब्ध अतिरिक्त प्राप्तियों और बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक मांगा गया है। The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 320.03 crore under heads 'stores' (₹ 149.01 crore) and 'works' (₹ 171.02 crore). Taking into account additional receipts and savings available in the capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

						ये Rupees in (Crore)
				राजस्व	पूंजी	7	जोड़
				Revenue	Capital	Т	otal
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:		330.95	á	330.95
	स्वीकृत:		Voted:		94257.00	942	257.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:		0.01		0.01
	स्वीकृत:		Voted:		0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		•••	94587.97	94	587.97
	भारित:		Charged:		330.96	3	330.96
	स्वीकृत:		Voted:		94257.01	942	257.01
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम	नलिखित मुख्य शीष	र्भ के अंतर्गत दिख	गया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant/Appropria	tion will be accou	inted for under	the following N	lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	₹	जोड़
				Plan	भिन्न	Т	otal
					Non-Plan		
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी	भारित:	4076 - Capital Outlay on Defence	Charged:		0.01	(कa)	0.01
परिव्यय		Services					
	स्वीकृत:		Voted:		0.01	(खb)	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अदालत के आदेशों के कारण होने वाले भुगतान के लिए संयुक्त स्टाफ (₹ 5.44 करोड़) द्वारा अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। चूंकि बचत, अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ख) सेना (थल) ₹ 183 करोड़ और वायु सेना (निर्माण कार्य) (₹ 23.54 करोड़ द्वारा अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। चूंकि बचत, अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) meeting additional expenditure by Joint Staff (₹ 5.44 crore) towards payment arising out of Court Orders. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure by Army (Land)- ₹ 183 crore and Air Force (Works)- ₹ 23.54 crore. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये) (See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुपये Rupe	Rupees in Crore)		
				राजस्व	पूंजी	जोड़		
				Revenue	Capital	Total		
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	2404.39	106.11	2510.50		
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	84.01		84.01		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount no	ow					
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2488.41	106.11	2594.52		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	ख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:				
		II. This Supplementary Grant will be account	unted for under th	ne following M	ajor Head:			
				आयोजना	आयोजना-	जोड़		
				Plan	भिन्न	Total		
					Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत:	2406 -Forestry and Wild Life	Voted:	0.01		0.01		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्निलिखित के व्यय को पूरा करने के लिए (i)राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (प्रोजेक्ट टाइगर) को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़)और (ii) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को वेतन सहायता अुदान (₹ 3.65 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते ह्ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 1.50 crore) to National Tiger Conservation Authority (Project tiger) and (ii) Grants-in-aid salaries (₹ 3.65 crore) to Indian Institute of Forest Management. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये) (See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 23 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुपये Rupe		es in Crore)	
				राजस्व	पूंजी		जोड़	
				Revenue	Capital		Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.03			0.03	
	स्वीकृत:		Voted:	11264.35	3466.01		14730.36	
पूरक अनुदान:	ŭ	SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01	
इस समय आवश्यक रकम का	C	Supplementary Estimate of the amoun	t					
पूरक अन्मान:		now required:						
" 5	स्वीकृत:	·	Voted:	0.01			0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	C	Total (Original plus Supplementary)		11264.40	3466.01		14730.41	
	भारित:		Charged:	0.03			0.03	
	स्वीकृत:		Voted:	11264.37	3466.01		14730.38	
	C	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित	। मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा	Ī:			
		II. This Supplementary Grant will be a	•					
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		आयोजना	आयोजना-		जोड़	
				Plan	भिन्न		Total	
					Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत:	2061 -External Affairs	Voted:		0.01	(कa)	0.01	
यह परक अनदान निम्नलिखित हे	لا حصاس حـــ	· The	supplementary gra	ant in required f	or:			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) भारतीय अन्तर राष्ट्रीय विधि सोसाइटी को सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.15 करोड़)।
 - (ii) भारतीय वैश्विक कार्य परिषद को वेतन अनुदान सहायता (₹ 1.54 करोड़)।
 - (iii) 'स्पेशल डिप्लोमैटिक ऐक्सपेंडीचर' के तहत अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 120.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक प्रक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for

- (i) Grant-in-aid General to Indian Society of International Law (₹ 0.15 crore).
 - (ii) Grant-in-aid Salaries to Indian Council of World Affairs (₹ 1.54 crore).
 - (iii) providing additional funds under 'Special Diplomatic Expenditure' (₹ 120.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये) (See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुप	ये Rupee	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	15719.27	6271.15		21990.42
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	4.92	6244.71		6249.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	433.33			433.33
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		16157.52	12515.86		28673.38
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जाये	गा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for unde	r the following	Major Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2416 - कृषि वित्तीय संस्थान	स्वीकृत:	2416 -Agricultural Financial Institutions	Voted:		0.01	(कa)	0.01
3075 - अन्य परिवहन सेवाएं	स्वीकृत:	3075 -Other Transport Services	Voted:		0.01	(खb)	0.01
3466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय	स्वीकृत:	3466 -International Financial Institutions	Voted:		433.29	(गc)	433.29
संस्थाएं							
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक	स्वीकृत:	3475 -Other General Economic Services	Voted:	•••	0.01	(घd)	0.01
सेवाएं							
3605 - अन्य देशों के साथ	स्वीकृत:	3605 -Technical and Economic Co-	Voted:		0.01	(ਭ e)	0.01
तकनीकी और आर्थिक सहयोग		operation with Other Countries					

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के अंशदान के लिए विनिमय दर के विचलन के कारण आने वाले अतिरिक्त खर्च (₹ 1.35 करोड़) को पूरा करने के लिए।
 - अनुदान के इसी भाग में धनराशि बची होने के कारण संकेतिक पूरक की मांग की जा रही है।
- (ख) रणनीतिक रेलवे लाइनों को चालू करने में रेलवे को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए रेलवे को सब्सिडि देने हेतु ₹ 16.90 करोड़ का अतिरिक्त धन प्रदान करना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ग) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ में अंशदान करने के लिए ₹ 433.29 करोड़ के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए। इसमें नकद राशि बाहर नहीं भेजी जायेगी क्योंकि इसको प्रतिभूति के रूप में होने वाली प्राप्तियों से पूरा किया जायेगा।
- (घ) (i) विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार पर आने वाले ₹ 1.00 करोड़ के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए।
 - (ii) फाइनेन्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) में ₹ 0.07 करोड़ के सदस्यता अंशदान, एड्स, टी.बी. मलेरिया के लिए विश्व कोष में ₹

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure (₹ 1.35 crore) for contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD) on account of exchange rate variation.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing additional funds of ₹ 16.90 crore for payment of subsidy to Railways for reimbursement of losses to railways on operating strategic Railway Lines. As savings are available within the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure of ₹ 433.29 crore towards contribution to International Development Association. There will be no cash outgo as this would be matched by receipts in the form of securities.
- (d) (i) meeting additional expenditure of ₹ 1.00 crore towards Advertisement and Publicity.
 - (ii) Membership contribution of ₹ 0.07 crore to Financial Action Task Force (FATF), contribution of ₹ 0.26 crore to

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(e)

0.26 करोड़ के लिए अंशदान ग्लोबल एलायन्स फार वैक्सीनेशन एण्ड इम्यूनाइजेशन (जी.ए.वी.आई.) में ₹ 0.22 करोड़ के अंशदान।

अनुदान के इसी भाग में धनराशि बची रहने के कारण संकेतिक पूरक की मांग की जा रही है।

(ङ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के रेजीडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिव पर आने वाले ₹ 0.14 करोड़ के अतिरिक्त खर्च और ग्लोबल इन्विवेरोनमेन्ट फेसिलिटी ट्रस्ट फण्ड के ₹ 4.81 करोड़ का अंशदान करने के लिए।

> अनुदान के इसी भाग में धनराशि बची रहने के कारण सांकेतिक पूरक की मांग की जा रही है।

the Global Funds for AIDS,TB and Malaria, contribution of ₹ 0.22 crore to the Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure of ₹ 0.14 crore for Resident Representative of United Nations Development Programme and contribution of ₹ 4.81 crore to Global Environment Facility Trust Fund.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विततीय सेवायें विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये) (See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

				(करोड़ रुपये Rupees in G				es in Crore)		
				राजस्व		पूंजी		जोड़		
				Revenue		Capital		Total		
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:								
	स्वीकृत:		Voted:	8186.09		24650.01		32836.10		
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:								
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		145.01		145.02		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount								
अनुमान:		now required:								
	स्वीकृत:		Voted:	3559.15		0.01		3559.16		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		11745.25		24795.03		36540.28		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:								
		II. This Supplementary Grant will be acco	his Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:							
				आयोजना		आयोजना-		जोड़		
				Plan		भिन्न		Total		
राजस्व भाग		DEVENUE OF OTION				Non-Plan				
राजस्य भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION								
		MAJOR HEAD				2.24	<i>(</i>	0.04		
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:	•••		0.01	(कa)	0.01		
2235 - सामाजिक सुरक्षा और ———	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:			0.01	(खb)	0.01		
कल्याण							<i>(</i>			
2416 - कृषि वित्तीय संस्थान	स्वीकृत:	2416 -Agricultural Financial Institutions	Voted:	•••		3476.71	(गc) (— :)	3476.71		
2885 - उद्योग और खनिजों पर	स्वीकृत:	2885 -Other Outlays on Industries and	Voted:			82.41	(ਬd)	82.41		
अन्य व्यय	•	Minerals								
3465 - सामान्य वित्तीय और	स्वीकृत:	3465 -General Financial and Trading	Voted:	0.01	(ਝe)	•••		0.01		
व्यापारिक संस्थान		Institutions								
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.01		3559.14		3559.15		
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION								
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD								
4885 - उद्योगों और खनिजों पर	स्वीकृत:	4885 - Other Capital Outlay on	Voted:	0.01	(चf)			0.01		
अन्य पूंजी परिव्यय		Industries and Minerals								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		3559.14		3559.16		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) पेंशन विधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु ₹ 5.50 करोड़ और वेतन सहायता अनुदान के लिए ₹ 1.50 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान का रखा जाना। चूंिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पुरक मांगा गया है।
- (ख) आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के तहत छात्रवृत्ति निधि के लिए ₹ 25.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान करना। चूंिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ग) िकसानों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता के लिए ₹ 3476.71 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान करना। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण पर विचार करने के मद्देनजर, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) making additional provision of ₹ 5.50 crore for Grants-in-aid-General and ₹ 1.50 crore for Grants-in-aid-Salaries for Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). As savings are available within the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.
- (b) making additional provision of ₹ 25.00 crore towards replenishment of Scholarship Fund under Aam Aadmi Bima Yojana (AABY). As savings are available within the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.
- c) making additional provision of ₹ 3476.71 crore for interest subvention for providing short term credit to farmers. After taking in to account the surrender of savings available under Capital Section of the Grant, it will not entail additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (घ) दिमित आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को निर्गमित प्रतिभूतियों के मोचन के लिए ₹ 250.00 करोड़ का व्यय पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में ₹ 167.59 करोड़ की उपलब्ध बचत के उपयोग के उपरांत और अनुदान के पूंजी भाग के तहत ₹ 82.41 करोड़ बचत के अभ्यर्पण पर विचार करने पर, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।
- (ङ) क्रेडिट गारंटी फंड फोर फैक्ट्रिंग के लिए ₹ 200.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (च) भारतीय औद्योगिक वित निगम लिमिटेड (आईएफसीआई लिमि.) को सरकारी कंपनी बनाने के लिए हिस्सेदारी खरीदने के लिए ₹ 60.00 करोड़ की निधि प्रदान करना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (d) meeting expenditure of ₹ 250.00 crore towards redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF). After utilising the savings of ₹ 167.59 crore available within the same Section of the Grant and taking into account surrender of savings of ₹ 82.41 crore under Capital Section of the Grant, it will not entail additional cash outgo.
- (e) meeting additional expenditure of ₹ 200.00 crore for Credit Guarantee Fund for Factoring. As savings are available within the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.
 (f) providing funds of ₹ 60.00 crore towards purchasing preference shares of Industrial Finance Corporation of India Limited (IFCI Ltd.) to make it a Government company. As savings are available within the same Section of the Grant, a token

Supplementary is sought.

सरकारी कर्मचारियों को ऋण, आदि LOANS TO GOVERNMENT SERVANTS, ETC.

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

					('करोड़ रुपये Rupee	s in Crore)
					राजस्व	पूंजी	जोड़
					Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:			Voted:		200.00	200.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate	of the amount now				
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:			Voted:	***	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	ŭ	Total (Original plus Suppleme	entary)			200.01	200.01
		II. इस पूरक अनुदान का हिसा	ब निम्नलिखित मुख्य शी	षि के अंतर्गत '	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Gr	ant will be accounted	l for under th	ne following Ma	ajor Head:	
					आयोजना	आयोजना-	जोड़
					Plan	भिन्न	Total
						Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
7610 - सरकारी कर्मचारियों आदि को	स्वीकृत:	7610 - Loans to Governm	ent Servants, etc.	Voted:		0.01	0.01
ऋण	-						
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपे	क्षित है:		The supplementary	grant is red	quired for:		
00.204-कंप्यूटरों की खरीद के लिए आं	ग्रेम,00.00.5	5–ऋण और अग्रिम के अंतर्गत	meeting the expe	enditure un	der 00.204-A	dvances for pu	rchase of
्र व्यय पूरा करने के लिए(₹ 5.00 करोड़)।			Computers, 00.00.	55–Loans &	Advances(₹ 5	.00 crore).	
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों	को देखते हए	सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	Taking into accou	nt the savin	igs available i	n the same sec	tion of the
5	3	"	Grant, a token sup		-		
			,		5		

पेंशन

PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	95.00			95.00
	स्वीकृत:		Voted:	24683.00			24683.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:	35.00			35.00
	स्वीकृत:		Voted:	687.00			687.00
जोड़ (मूल और पूरक)	•	Total (Original plus Supplementary)		25500.00			25500.00
	भारित:		Charged:	130.00			130.00
	स्वीकृत:		Voted:	25370.00			25370.00
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्न	लिखित मुख्य शी	ार्ष के अंतर्गत दिख	ग्रया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant/Appropriation	on will be acco	unted for under	the following M	lajor He	ad:
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2071 - पेंशन और अन्य	भारित:	2071 - Pensions and other Retirement	Charged:		35.00	(कa)	35.00
सेवानिवृत्ति		Benefits					
	स्वीकृत:		Voted:		687.00	(खb)	687.00

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) सेवानिवृत्ति पॅशन और सेवानिवृत्ति लाओं के व्यय के लिए (₹ 0.50 करोड़), उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में राज्यों से वसूली योग्य पेशनरी प्रभारों के लिए (₹ 30.00 करोड़), उच्च न्यायालय के संघ राज्यों क्षेत्रों के न्यायाधीशों के संबंध में पेशनरी प्रभारों के लिए (₹ 2.00 करोड़), छुट्टी नकदीकरण (₹ 1.00 करोड़) और परिभाषित योगदान पॅशन स्कीम, (₹ 1.50 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।
- (ख) सेवा-निवृत्ति पेंशन और सेवानिवृत्ति लाओ के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 398.18 करोड़),नई परिभाषित पेशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/विकलांगता होने पर अतिरिक्त राहत (₹ 0.50 करोड़), परिवार पेंशन (₹ 143.55 करोड़), नई परिभाषित पेशन स्कीम साधारण परिवार पेंशन के तहत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/विकलांगता होने पर अतिरिक्त राहत (₹ 7.00 करोड़), नई परिभाषित पेंशन स्कीम अधिक साधारण परिवार पेंशन (₹ 2.00 करोड़), छुट्टी नकदीकरण (एआइएस) (₹ 10.00 करोड़) और एसपीएमसीआईएल पेंशन नीधि को देय सरकारी योगदान (₹ 125.77 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय पर नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) the expenditure of Superannuation Pension and Retirement Benefits (₹ 0.50 crore), pensionary charges in respect of High Court Judges recoverable from States (₹ 30.00 crore), Pensionary charges in respect of High Court Judges of UTs (₹ 2.00 crore), Leave Encashment (₹ 1.00 crore) and Defined contribution pension Scheme (₹ 1.50 crore)
 - The above expenditure will entail a cash outgo;
- expenditure of Superannuation Pension and Retirement benefits (₹ 398.18 crore), Additional Relief on death/disability of Government servant covered by the New Defined Pension Scheme (₹ 0.50 crore), Family Pension (₹ 143.55 crore), Additional Relief on death/disability of Govt. Servant covered by the New Defined Pension Scheme Ordinary Family Pension (₹ 7.00 crore), Additional Relief on death/disability of Government servant covered by the New Defined Pension Scheme Extra Ordinary Family Pension (₹ 2.00 crore), Leave Encashment (AIS) (₹ 10.00 crore) and Government Contribution payable to SPMCIL Pension Fund (₹ 125.77 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(See page 41 of the Der	mands for	Grants of Central Government for the	year 2014-2015)			
					(करोड़ रुपये Rupe	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	101.03		101.03
	स्वीकृत:		Voted:	3221.05	15.00	3236.05
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount no	ow .			
पूरक अनुमान:		required:				
	भारित:		Charged:	5.83	***	5.83
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3327.91	15.00	3342.91
	भारित:		Charged:	106.86		106.86
	स्वीकृत:		Voted:	3221.05	15.00	3236.05
		॥. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित म्	पुख्य शीर्ष के अंतर्गत दि	खाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Appropriation will b	e accounted for un	der the followir	ng Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2016 - लेखा परीक्षा	भारित:	2016 - Audit	Charged:		5.83	5.83
			मानों में नीचे दर्शाई गयी :	वस्लियों को शामिल	ग नहीं किया गया है जिन्हें व	यय में से
		घटाकर समायोजित किया जाता है !		"		
		Note: The above estimates of additional require	ments do not take into	account the reco	overies shown below, w	hich are
		adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
2016 - लेखा परीक्षा		2016 - Audit			(-) 4.55	(-) 4.55

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अतिरिक्त स्थापना और वेतन संबंधी व्यय को पूरा करना (₹ 5.83 करोड़)। राजस्व स्वीकृत के तहत ₹ 1.28 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर और ₹ 4.55 करोड़ की अतिरिक्त वस्लियों को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary appropriation is required for:

meeting additional establishment and salary related expenditure ($\stackrel{?}{\stackrel{\checkmark}}$ 5.83 crore). After taking into account the surrender of savings of $\stackrel{?}{\stackrel{\checkmark}}$ 1.28 crore under Revenue Voted and the additional recoveries amounting to $\stackrel{?}{\stackrel{\checkmark}}$ 4.55 crore, it will not entail cash out go.

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिये) (See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

				राजस्व	<i>(करोड़ रुप</i> पूंजी	ये Rupe	es in Crore) जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.02			0.02
	स्वीकृत:		Voted:	726.88	106.01		832.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अन्मान:		Supplementary Estimate of the amount now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	11033.03			11033.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		11759.93	106.01		11865.94
	भारित:		Charged:	0.02			0.02
	स्वीकृत:		Voted:	11759.91	106.01		11865.92
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित व	मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया ज	गयेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for u	nder the followi	ng Major Heads	S:	
				आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न		जोड़ Total
				Fiaii	Non-Plan		IOlai
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD					
2047 - अन्य राजकोषीय सेवाएं	स्वीकृत:	2047 -Other Fiscal Services	Voted:	•••	0.01	(क a)	0.01
2875 - अन्य उद्योग	स्वीकृत:	2875 -Other Industries	Voted:		30.05	(खb)	30.05
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:		10761.41	(गc)	10761.41
		Governments					
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	•••	241.56	(घd)	241.56
को सहायता अनुदान		Governments					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	•••	11033.03		11033.03

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) प्रवर्तन निदेशालय के स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 3.48 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है इसलिए सांकेतिक पुरक अनुदान की मांग की गई है।
- (ख) (i) उत्तर प्रदेश के व्यापार कर विभाग को विक्रय कर संबंधी ब्याज के भगतान के लिए अतिरिक्त व्यय हेत् (₹ 4.62 करोड़)।
 - (ii) नकद भिन्न मदों अथार्त पूंजी पर ब्याज (₹ 6.71 करोइ)। और गाजीपुर एल्कलोयड वर्क्स को अंतरित अफीम की लागत के भुगतान के लिए (₹ 20.47 करोइ)। अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेत्।
 - (iii) अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय पूरा करने के लिए (₹ 2.67 करोड़)।
 - अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण (₹ 25.32 करोड़) को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतो (₹ 4.42 करोड़) का उपयोग करने के बाद इसमें ₹ 4.73 करोड़ का नकद खर्च होगा।
- (ग) राज्य सरकारों को केन्द्रीय बिक्रीकर (सीएसटी) संबंधी क्षतिपूर्ति देने के लिए (₹ 10757.41 करोड़) और वैट संबंधी व्यय (₹ 4.00 करोड़) को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु। इसमें नकद खर्च होगा।
- (घ) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को सीएसटी क्षतिपूर्ति देने के संबंध में अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेत् (₹ 241.56 करोड़)। इसमें नकद खर्च होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional establishment related expenditure of Enforcement Directorate (₹ 3.48 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.
- (b) (i) meeting additional expenditure for payment of interest on Purchase Tax to the Trade Tax Department of Uttar Pradesh (₹ 4.62 crore).
 - (ii) meeting additional expenditure towards non-cash items viz. Interest on Capital (₹ 6.71 crore) and for payment of cost of opium transferred to Ghazipur Alkaloid Works (₹ 20.47 crore).
 - (iii) meeting additional Administrative Expenses (₹ 2.67 crore).
 - After taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant (₹ 25.32 crore) and utilising the savings within the same Section of the Grant (₹ 4.42 crore), this will entail cash outgo of ₹ 4.73 crore.
- c) providing additional funds towards Central Sales Tax (CST) Compensation to the State Governments (₹ 10757.41 crore) and for meeting VAT related expenditure (₹ 4.00 crore). This will entail cash outgo.
- (d) providing additional funds towards CST Compensation to the Union Territory Administration (₹ 241.56 crore). This will entail cash outgo.

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

					o in Orono,			
				राजस्व	पूंजी	जोड़		
				Revenue	Capital	Total		
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
" "	स्वीकृत:		Voted:	4342.89	752.00	5094.89		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:		0.01	0.01		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4342.89	752.01	5094.90		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
		II. This Supplementary Grant will be account	ed for under t	he following M	ajor Head:			
				आयोजना	आयोजना-	जोड़		
				Plan	भिन्न	Total		
					Non-Plan			
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:		0.01	0.01		
परिव्यय								

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पठानकोट में कार्यालय की इमारत बनाने के लिए जमीन की खरीद हेतु (₹ 1.74 करोड़), जम्मू के रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण हेतु (₹ 2.29 करोड़) और आयकर कार्यालयों के लिए, प्रोवोरियम, गोवा में रिहायशी क्वार्टरों के लिए जमीन खरीदने हेतु (₹ 10.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

purchase of land for construction of office building at Pathankot (₹ 1.74 crore), for construction of residential quarters at Jammu (₹ 2.29 crore) and also for purchase of land for residential quarter at Provorim, Goa (₹ 10.00 crore) for Income Tax Offices. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

		·	,		(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.50	•••	0.50	
	स्वीकृत:		Voted:	4884.02	271.31	5155.33	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4884.52	271.32	5155.84	
	भारित:		Charged:	0.50		0.50	
	स्वीकृत:		Voted:	4884.02	271.32	5155.34	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीष	र्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	accounted for under the following Major Head:				
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अपेक्षित है।

- (i) क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय सीमा उत्पाद शुल्क, एवं नारकोटिक्स अकादमी चैन्नई के निर्माण के लिए तमिलनाडु आवास बोर्ड (टीएनएचबी), चैन्नई से भूमि खरीद के लिए (₹ 55.00 करोड़)।
- (ii) राष्ट्रीय सीमा, उत्पाद शुल्क एवं नारकोटिक्स शुल्क, अकादमी बिल्डिंग और चारदिवारी, हिन्दुपुर, आंध्र प्रदेश में निर्माण के लिए भूमि खरीद के लिए (₹ 11.00 करोड़)।
- (iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, चर्चगेट मुम्बई द्वारा अपने स्वामित्व वाली पुरानी बिल्डिंग की एक बार मरम्मत और नवीनीकरण के लिए (₹ 1.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक

The supplementary grant is required for:

- (i) purchase of land from Tamil Nadu Housing Board (TNHB), Chennai for construction of Regional Training Institute, National Academy of Customs, Excise and Narcotics at Chennai (₹ 55.00 crore).
- (ii) acquisition of land for construction of National Academy of Customs, Excise and Narcotics building and boundary wall at Hindupur, Andhra Pradesh (₹ 11.00 crore).
- (iii) one time major repairs and renovation of the old building owned by the Central Excise Department at Church Gate, Mumbai (₹ 1.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये) (See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

				(करोड़ रुपये Ru			Rupees	upees in Crore)	
				राजस्व		पूंजी		जोड़	
				Revenue		Capital		Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	785.86				785.86	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount							
अनुमान:		now required:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		785.89				785.89	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	 ज्य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया	जायेगा:				
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for und	er the follow	wing Maj	or Head:			
				आयोजना		आयोजना-		जोड़	
				Plan		भिन्न		Total	
						Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत:	2408 -Food Storage and Warehousing	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानकों, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य प्रोत्साहन परक कार्यकलाप स्कीम के अन्तर्गत व्यावसायिक शुल्क का भुगतान (₹ 0.28 करोइ)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) आईआईसीपीटी को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता उपलब्ध कराना (₹ 2.01 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (a) Payment of professional fees under Scheme for Quality Assurance, Codex Standards, R&D and other Promotional Activities (₹ 0.28 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - b) Providing additional Grants-in-aid General to IICPT (₹ 2.01 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये) (See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

•		,				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
				राजस्व		पूंजी	जोड़	
				Revenue		Capital	Total	
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	36481.30		1964.49	38445.79	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.07		0.02	0.09	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.04		0.01	0.05	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		36481.41		1964.52	38445.93	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के उ	भंतर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for ur	nder the follo	wing Ma	jor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-	जोड़	
				Plan		भिन्न	Total	
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01	(कa)	•••	0.01	
2211 - परिवार कल्याण	स्वीकृत:	2211 -Family Welfare	Voted:	0.01	(खb)	•••	0.01	
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)		0.01	
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(घd)		0.01	
		Governments						
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.04			0.04	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थय	स्वीकृत:	4210 - Capital Outlay on Medical and	Voted:	0.01	(ਝe)		0.01	
पर पूंजी परिव्यय		Public Health						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.05			0.05	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नाकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 10.00 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के अधीन अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 40.38 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान (₹ 0.43 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) (i) अवसंरचना रखरखाव केन्द्र (₹ 1.43 करोइ), राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 2.00 करोइ), विरष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देख-रेख (₹ 0.25 करोइ), एससीएसपी के अधीन अवसंरचना रख रखाव (₹

The supplementary grants are required for:

- (a) Grants for creation of Capital Assets for meeting additional requirement under Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 10.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) Grant-in-aid general for meeting additional requirements under Strengthening National Programme Management of the NRHM (₹ 40.38 crore) and (ii) Grants-in aid general for meeting additional requirement under Routine Immunisation Programme (GC) (₹ 0.43 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) (i) Grant-in-aid general for meeting additional requirements under Infrastructure Maintenance – Sub-Centres (₹ 1.43 crore); National Blindness Control Programme (₹ 2.00

1.37 करोड़), एससीएसपी के अंतर्गत समेकित रोग निगरानी परियोजन (₹ 0.56 करोड़), टीएसपी के अधीन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (₹ 0.47 करोड़), टीएसपी के अधीन राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम जीसी (₹ 0.10 करोड़), टीएसपी के अधीन समेकित रोग निगरानी परियोजना (₹ 0.44 करोड़), टीएसपी के अधीन स्वास्थ्य देख-रेख (₹ 0.05 करोड़), टीएसपी के अधीन राष्ट्रीय मुख संबंधी देख-रेख स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 0.14 करोड़)। के संबंध मं अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान।

- (ii) टीएसपी के अधीन विरष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु पूंजीगत आस्तियों के मृजन के लिए अनुदान (₹ 0.06 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) नई चिकित्सीय पुनर्वास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ङ) बीजीसी वैक्सीन लेबारेट्री गिण्डी चैन्नई के लिए लाइयोफिलीज़र मशीन की खरीद के लिए अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिए (₹ 7.17 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- crore); Health care for Elderly (₹ 0.25 crore); Infrastructure Maintenance under SCSP (₹ 1.37 crore); Integrated Disease Surveillance Project under SCSP (₹ 0.56 crore); National Urban Health Mission under TSP (₹ 0.47 crore); National Leprosy Control Programme GC under TSP (₹ 0.10 crore); Integrated Disease Surveillance Project under TSP (₹ 0.44 crore); Health care for Elderly under TSP (₹ 0.05 crore); National Oral Health Programme under TSP (₹ 0.14 crore)
- (ii) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the scheme Health care for Elderly under TSP (₹ 0.06 crore)
 Taking into account the savings available in the same
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- d) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the scheme – Medical Rehabilitation (₹ 8.00 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- e) For meeting additional cost towards procurement of Lyophilizer Machine for BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai (₹ 7.17 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY,UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1252.05		20.10		1272.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.04				0.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1252.09		20.10		1272.19
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित व	मुख्य शीर्षों व	के अंतर्गत दिर	वाया जाये	गा:		
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for	under the f	ollowing	Major Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:			0.01	(क a)	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(खb)			0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता								
ווארוווויו וויר וויריווי ריסוו	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(गc)			0.01
ווארוטוי אור וארואוי די סיי	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(गс)			0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	स्वीकृत: स्वीकृत:		Voted:	0.01	(गc) (घd)			0.01
		Governments			, ,			
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को		Governments 3602 -Grants-in-aid to Union Territory			, ,			

यह प्रक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान, माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार राज्यों में चुनाव कराने हेतु सीसीआईएम चुनावों के आयोजन हेत् अनुदान (₹ 0.28 करोड़)।
 - (ii) निम्न स्कीमों के तहत वेतन सहायता अनुदान क) स्कीम के तहत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को स्टाफ को वेतन और पेंशनरी लाओं के लिए (₹ 3.24 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए (ख) केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद स्कीम के तहत वेतन और पेंशनरी लाओं (₹ 17.00 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए (ग) स्कीम के तहत केन्द्रीय होम्योपेथी अनुसंधान परिषद की वेतन और पेंशनरी लाओं (₹ 1.82 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए। (घ) केन्द्रीय यूनानी औषि परिषद, स्कीम के तहत, की स्टाफ को वेतन और पेंशनरी लाओं (₹ 9.70 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) (i) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) स्कीम के तहत नव निर्मित स्कीम के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.50 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

(i)

- (i) Grants in aid General under the scheme, Grants for conducting CCIM Elections for holding election in the States as directed by Hon'ble Court. (₹ 0.28 crore)
 - (ii) Grants in aid Salaries under the following schemes:(a) to meet the additional requirement of ₹ 3.24 crore for salary and pensionary benefits to the staff under the Scheme, National Institute of Ayurveda, Jaipur, (b) To meet the additional requirement of ₹ 17.00 crore for salary and pensionary benefits to the staff under the Scheme, Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, (c) To meet the additional requirement of ₹ 1.82 crore for salary and pensionary benefits to the staff under the scheme, Central Council for Research in Homoeopathy and (d) To meet the additional requirement of ₹ 9.70 crore for salary and pensionary benefits to the staff under the scheme, Central Council for Research in Unani Medicine.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid-General under the scheme, National AYUSH Mission (NAM) for newly re-structured scheme (₹ 7.50 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2014-2015 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(c)

- (ii) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) स्कीम के तहत नव निर्मित स्कीम के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9.18 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) (i) नव निर्मित स्कीम अर्थात राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत सामान्य सहायता अन्दान (₹ 32.63 करोड़)।
 - (ii) नव निर्मित स्कीम के तहत राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान (₹ 12.69 करोड़)।
 - (iii) नव निर्मित स्कीम अर्थात राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत एससीएसपी घटक के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.03 करोड़)।
 - (iv) नव निर्मित स्कीम अर्थात राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत एससीएसपी के तहत पूंजीगत आस्तियों के मृजन हेतु अनुदान (₹ 1.03 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) (i) नव निर्मित स्कीम अर्थात राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.25 करोइ)।
 - (ii) नव निर्मित स्कीम अर्थात राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.21 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme, National AYUSH Mission (NAM) for newly re-structured scheme (₹ 9.18 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Grants in aid General under the newly re-structured scheme viz., National AYUSH Mission (NAM) (₹ 32.63 crore)
- (ii) Grants for creation of capital assets under the newly restructured scheme viz., National AYUSH Mission (NAM) (₹ 12.69 crore)
- (iii) Grants in aid General under the SCSP Component of the newly re-structured scheme viz., National AYUSH Mission (NAM) (₹ 1.03 crore)
- (iv) Grants for creation of capital assets under the SCSP component of the newly re-structured scheme viz. National AYUSH Mission (NAM) (₹ 1.03 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Grants in aid General under the newly re-structured scheme viz., National AYUSH Mission (NAM) (₹ 1.25 crore)
- (ii) Grants for creation of capital assets under the newly restructured scheme viz., National AYUSH Mission (NAM) (₹ 1.21 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये) (See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	672.56		571.06		1243.62
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	भारित:		Charged:			25.08		25.08
	स्वीकृत:		Voted:	409.70		90.02		499.72
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	57.30		0.01		57.31
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1139.56		686.17		1825.73
	भारित:		Charged:			25.08		25.08
	स्वीकृत:		Voted:	1139.56		661.09		1800.65
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accoun	nted for unde	er the follow	ing Majo	r Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	•	MAJOR HEAD						
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	57.30	(कa)			57.30
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
6858 - अभियात्रिक उद्योगों के	स्वीकृत:	6858 - Loans for Engineering Industries	Voted:			0.01	(खb)	0.01
लिए ऋण								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	57.30		0.01		57.31

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) कचार पेपर मिल (सीपीएम), हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. की एक यूनिट, को सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार परिवहन सब्सिडी के रूप में एनईआर हेतु सामान्य सहयात अनुदान (₹ 185 करोड़), अतिरिक्त, आवश्यकताओं को पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध ₹ 127.70 करोड़ की बचत और अनुदान के पूंजी भाग से ₹ 15.92 करोड़ के अभ्यर्पण राशि के मद्देनजर इसमें ₹ 41.38 करोड़ नकद व्यय होगा।
- (ख) सीसीईए के दिनांक 20.02.2014 के अनुमोदन के अनुसार सितम्बर 2012 से मार्च 2013 तक के सांविधिक भुगतान हेतु एचएमटी मशीन टूल्स लि. (₹ 26.34 करोड़) को आयोजना-भिन्न ऋण के रूप में ताकि अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किया जा सके। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (a) meeting the additional requirement to Cachar Paper Mill (CPM) a unit of Hindustan Paper Corporation Limited as Grants-in-aid General for NER (₹ 185 crore) as transport subsidy as per CCEA approval. Savings of ₹ 127.70 crore is available under the same section of the Grant and an amount of ₹ 15.92 crore would be surrendered from Capital Section of the Grant, this would entail net Cash outgo of ₹ 41.38 crore.
- (b) meeting the additional requirement as non-plan loan to HMT Machine Tools Ltd. (₹ 26.34 crore) for payment of statutory dues from September, 2012 to March 2013 as per the approval of CCEA dated 20.02.2014. Taking into account the savings available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

					(471) 14 Hupe	00 111 01010)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1534.44	110.23	1644.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now	I			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1534.45	110.23	1644.68
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	ग्र शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accoun	ited for under t	he following M	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग की अतिरिक्त जरूरत पूरी करने (₹ 2.70 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं - अन्य गैर कानूनी कार्यकलाप (रोकथाम) अधिकरण के बकाया दावों के भुगतान हेतु (₹ 0.59 करोड़), लघु निर्माण कार्य-संरक्षणकर्ताओं के आवास पर निर्माण संबंधी सुरक्षा हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 2.00 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Grants in aid-General- For meeting additional requirement for National Human Rights Commission (₹ 2.70 crore), Professional Services- For payment of outstanding claims for Other Unlawful Activities (Prevention) Tribunal for NI(₹ 0.59 crore), Minor Works – For meeting additional requirement for security related works at the residence of Protectees (₹ 2.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये) (See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुपये।	Rupees i	in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	433.52			433.52
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	25.01			25.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		458.54			458.54
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य श	ोर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जाये	Π:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	l for under	the following I	Major Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2013 - मंत्री परिषद	स्वीकृत:	2013 -Council of Ministers	Voted:		24.47	(क a)	24.47
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:		0.54	(खb)	0.54
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		25.01		25.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) मंत्रिमंडल मंत्रियों के विदेश यात्रा व्यय के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 48.96 करोड़), (ii) ऊपरी खर्च की प्रतिपूर्ति के नार्दन रेलवे (सामान्य सहायता अनुदान) के लंबित दावों को निपटाने के लिए (₹ 1.59 करोड़) और (iii) मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 0.42 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के देखते हुए उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा (₹ 24.47 करोड़)।
- (ख) स्वागत सत्कार पर राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा किए गए व्यय (₹ 0.54 करोड़) को पूरा करना। इसमें नकद व्यय होगा।

- (a) (i)meeting additional expenditure under Foreign Travel Expenditure of Cabinet Ministers(₹ 48.96 crore), (ii) clearing pending claims of Northern Railway (Grants-in-aid-general) towards reimbursement of overhead charges (₹ 1.59 crore); and (iii) meeting additional expenditure under Professional Services by Cabinet Secretariat (₹ 0.42 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 24.47 crore.
 - For meeting expenditure by President's Secretariat on Hospitality (₹ 0.54 crore). This will entail a cash outgo.

पुलिस POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये) (See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	12.84	7.92		20.76
	स्वीकृत:		Voted:	50019.52	9863.48		59883.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	0.02		0.04
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	1011.87	0.01		1011.88
जोड़ (मूल और पूरक)	· ·	Total (Original plus Supplementary)		51044.25	9871.43		60915.68
	भारित:		Charged:	12.84	7.92		20.76
	स्वीकृत:		Voted:	51031.41	9863.51		60894.92
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्षों के अंत ^{्र}	ति दिखाया जायेग	π:		
		II. This Supplementary Grant will be accou	ınted for under	the following N	Major Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2055 - पुलिस	स्वीकृत:	2055 -Police	Voted:		1011.87	(कa)	1011.87
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4055 - Capital Outlay on Police	Voted:		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		1011.88		1011.88

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित का अतिरिक्त व्यय पूरा करना(i) केंद्रीय सैन्य पुलिस बलों के कार्मिकों को 1.4.2013 से 31.7.2014 की अविध के बकाया सिहत राशन की लागत (₹ 975.45 करोड़); (ii) राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के गौण निर्माण कार्य (₹ 3.00 करोड़); (iii) भारत-बंग्लादेश सीमा निर्माण कार्य के गौण निर्माण कार्य (₹ 10.00 करोड़); (iv) भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य के गौण कार्य (₹ 10.00 करोड़); (v) दिल्ली पुलिस (₹ 50 करोड़)। चूंिक उपरोक्त व्यय आंशिक रूप से अनुदान के राजस्व भाग में ₹ 36.58 करोड़ को पुन: विनियोग से पूरा किया जाएगा, शेष धनराशि के लिए पूरक मांगा गया है। इसके अलावा, अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 1011.87 करोड़ के बराबर बचत अभ्यर्पित की जाएगी, इससे कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i)विशेष सुरक्षा समूह के रिहाइश आवास निर्माण (₹ 1.95 करोइ); (ii) अनुसंधान (₹ 276 करोइ) तथा असम राइफ्ल्स (₹ 20 करोइ)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

- meeting additional expenditure towards (i) Cost of Ration (975.45) including arrears for the period 1.4.2013 to 31.7.2014 to personnel of Central Armed Police Forces; (ii) Minor Works of National Police Academy (₹ 3 crore); (iii) Minor Works of Indo Bangladesh Border Works (₹ 10 crore); (iv) Minor Works of Indo Pak Border Works (₹ 10 crore); (v) Delhi Police (₹ 50 crore) As the above expenditure will be partly met by re-appropriation of ₹ 36.58 crore in the Revenue Section of the Grant, supplementary is sought for the balance amount. Further matching savings of ₹ 1011.87 crore available in the Capital Section of grant will be surrendered, this will not entail cash outgo.
- (b) meeting additional expenditure towards(i) Residential Building of Special Protection Group (₹ 1.95 crore); (ii) Research (₹ 276 crore) and (iii) Assam Rifles (₹ 20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

				(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged	0.03		0.03
	स्वीकृत:	Voted	2230.26	259.54	2489.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now			
अनुमान:		required:			
	स्वीकृत:	Voted	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	2230.30	259.54	2489.84
	भारित:	Charged	0.03	•••	0.03
	स्वीकृत:	Voted	2230.27	259.54	2489.81
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा	ſ:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under t	he following N	/lajor Head:	
			आयोजना	आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

संघ राज्य क्षेत्रों के नवगठित वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को वेतन भुगतान हेतु मंजूर भारतीय आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्ति (रिकूपमेंट)(₹ 0.09 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Recoupment of Contingency Fund of India advance sanctioned for payment of salaries to Chairperson and other Members of newly appointed Finance Commission of UTs (₹ 0.09 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये Rupees in		
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	6008.62				6008.62
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		6008.68		•••		6008.68
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया	ा जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for und	der the follo	wing Maj	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2216 - आवास	स्वीकृत:	2216 -Housing	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत:	2217 -Urban Development	Voted:	0.01	(गc)	•••		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अपेक्षित है।

- (क) "सभी के लिए घर-नए मिशन" के लिए प्रावधान में बढ़ोत्तरी (₹ 9.99 करोड़)। अन्य प्रशासनिक व्यय- ₹ 0.49 करोड़, विज्ञापन एवं प्रचार- ₹ 1.00 करोड़, तथा सामान्य सहायता अनुदान- ₹ 8.50 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) जून 1997 में जबलपुर में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ित व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई सहायता के कारण ब्याज सब्सिडी बकाया के रूप में आवास तथा शहरी विकास कारपोरेशन को भुगतान करना (₹ 4.98 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) (i)जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रेन्युअल मिशन (व्यावसायिक सेवाएं-₹ 11.58 करोइ, सामान्य सहायता अनुदान- ₹ 17.98 करोइ) तथा (ii) राजीव आवास योजना (व्यावसायिक सेवाएं- ₹ 6.00 करोइ)के अन्तर्गत वृद्धि प्रावधान (₹ 35.56 करोइ)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक

- (a) augmenting provision (₹ 9.99 crore) for "New Mission for Housing for All" (Other Administrative Expenses - ₹ 0.49 crore, Advertisement and Publicity - ₹ 1.00 crore and Grants in aid General - ₹ 8.50 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) making payment to Housing and Urban Development Corporation as Interest Subsidy arrear on account of relief provided to the victims of earthquake affected areas at Jabalpur in June 1997 (₹ 4.98 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - augmenting provisions (₹ 35.56 crore) under (i) Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission (Professional Services ₹ 11.58 crore, Grants-in-aid-General ₹ 17.98 crore) and (ii) Rajiv Awas Yojana (Professional Services ₹ 6.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिये) (See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

				(करोड़ रुपये Ru			es in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	82695.10			82695.10
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		82695.14			82695.14
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्ष के अं	तर्गत दिखाया	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be ac	counted for un	der the follow	wing Major Head:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01	(कa) 0.01	(खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) सुलभता और साम्यता-न्यायालय के आदेश के अनुसार सोसायिटयों को भ्गतान करने के लिए सामान्य सहायता अन्दान (₹ 1.42 करोइ)
 - (ii) मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की लिए स्कीम-(एसपीक्युईएम) वकीलों को भुगतान हेतु अन्य प्रभार और यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता आदि (₹ 0.30 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) केंद्रीय विद्यालय संगठन के नए भर्ती शिक्षकों की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु (₹ 63.35 करोड़)।
 अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (a) (i) Grants-in-aid General under Access & Equity, to make the payment to societies as per Court's decree (₹ 1.42 crore).
 - (ii) Other Charges to make payment to advocates and TA/DA etc under the scheme of Education to Madrassas / Minorities (SPQEM) – (₹ 0.30 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Meeting additional requirement of newly recruited teachers of Kendriya Vidyalaya Sangathan (₹ 63.35 crores)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

उचचतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 43 देखिये) (See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

					•	(करोड़ रुपये Rupees in		
				राजस्व Revenue		पूंजी Conital		जोड़ Total
। गर्न शरकारः		I. ORIGINAL GRANT:		Revenue		Capital		Iotai
l. मूल अनुदान:	_	I. ORIGINAL GRANT.	\	07050 00				07050.00
	स्वीकृत:		Voted:	27656.00		•••		27656.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.05				0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	C	Total (Original plus Supplementary)		27656.08		•••		27656.08
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्षों के 3	भंतर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	unted for un	nder the follow	wing Maj	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01	(क a)	0.01	(खb)	0.02
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत:	2203 -Technical Education	Voted:	0.01	(गc)	0.01	(घd)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(ङe)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	` '	0.02		0.05

यह प्रक अन्दान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट/ संस्थानों की अनुदान स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9.00 करोड़) और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की अनुदान स्कीम के तहत पूंजीगत पिरसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 175.00 करोड़) ।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) पेंशन और पेंशन लाओं के भुगतान को सामान्य सहायता अनुदान (i) केन्द्रीय विश्वविश्वविद्यालय को अनुदान (₹ 168.36 करोड़) और (ii) मानवीय और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पहल (₹ 1.17 करोड़) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्कीम के तहत वेतन सहायता अनुदान के अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए (₹ 40.59 करोड़) ।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) (i) अखिल भारतीय तकनीकी तकनीकी शिक्षा परिषद स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 90.00 करोड़), (ii) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बाम्बे, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और कोलकाता, स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.52 करोड़), (iii) भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान (आईआईएससी) और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान शिक्षा संस्थानों (आईआईएसईआर) स्कीम के तहत, वेतन सहायता अनुदान (₹ 18.00 करोड़), (iv) भारतीय प्रबंधन संस्थानों के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹ 20.00 करोड़), (v) राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों (एनआईटी) की स्कीम के

- (a) Grants-in-aid-General under the scheme of Grants of National Book Trust /Institutions for Book Promotion (₹ 9.00 crore) and Grants for creation of capital assets under the scheme of Grants to Central Universities (₹ 175.00 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- b) Grants-in-aid-General for the payment of pension and pensionary benefits for (i) Grants to Central Universities (₹ 168.36 crore) & (ii) National Initiative for Excellence in humanities and social sciences (₹ 1.17 crore) and Grants-in-aid-Salaries for meeting additional requirement under the scheme of University Grants Commission (₹ 40.59 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) Grants-in-aid-General under the scheme of All India Council for Technical Education (₹ 90.00 crore), (ii) Grants-in-aid-General under the scheme of Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai, Kolkata (₹ 0.52 crore), (iii) Grants-in-aid-Salaries under the scheme support to Indian Institute of Science (IISc) and Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) Education (₹ 18.00 crore), (iv) Grants-in-aid-Salaries under the Indian Institutes of

तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 100.00 करोड़), (vi) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बाम्बे, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और कोलकाता, स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान ((₹ 0.20 करोड़) और (vii) सीमांत प्रशिक्षण और अनुसंधान स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेत् अनुदान (₹ 17.58 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के तहत, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (घ) 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)' स्कीम के तहत पेंशन और पेंशनरी लाभों के भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु (₹ 53.83 करोड़) ।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के तहत, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ङ) (i) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपितयों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 100.00 करोड़) । (ii) एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफपटी रांची, सीआईटी कोकराझार जैसे संस्थानों को सहायता स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पितयों के सृजन हेतु (₹ 20.00 करोड़) (iii) भारतीय प्रबंधन संस्थान स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपितयों के मृजन हेतु (₹ 10.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के तहत, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। Management (₹ 20.00 crore), (v) Grants for creation of capital assets under the scheme of National Institutes of Technology (NITs) (₹ 100.00 crore), (vi) Grants for creation of capital assets under the scheme of Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai, Kolkata (₹ 0.20 crore) and (vii) Grants for creation of capital assets under the scheme of Training & Research in Frontier Areas (₹ 17.58 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (d) Grants-in-aid-General for the payment of pension and pensionary benefits under the scheme of 'Indian Institutes of Technology (IITs)' (₹ 53.83 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- e) (i) Grants for creation of capital assets under the scheme of Grants to Central Universities (₹ 100.00 crore), (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme of Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹ 20.00 crore) and (iii) Grants for creation of capital assets under the scheme of Indian Institutes of management (₹ 10.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

स्चना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 देखिये)

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

							Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
/ 		L ODIOINAL ODANT.		Revenue		Capital		Total
l. मूल अन् दान :		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	3287.15		28.85		3316.00
इस समय आवश्यक रकम का पुरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now required:						
	स्वीकृत:	•	Voted:	0.03		3.21		3.24
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3287.18		32.06		3319.24
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के 3	नंतर्गत दिखार	ग जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for un	der the follo	owing Ma	jor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
T		BELIENUE CECTION				Non-Plan		
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD						
2251 - सचिवालय-सामाजिक	स्वीकृत:	2251 -Secretariat-Social Services	Voted:	0.01	(कa)			0.01
सेवाएं	Č							
2220 - सूचना और प्रचार	स्वीकृत:	2220 -Information and Publicity	Voted:			0.01	(खb)	0.01
2221 - प्रसारण	स्वीकृत:	2221 -Broadcasting	Voted:			0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.01		0.02		0.03
<i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष	·	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD						
4220 - सूचना और प्रचार पर पूंजी	स्वीकृत:	4220 - Capital Outlay on Information and	Voted:	3.21	(घd)			3.21
परिव्यय		Publicity						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	3.22		0.02		3.24

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) 'विदेश और भारत में फिल्म बाजारों और फिल्म उत्सव' के जिए भारतीय सिनेमा का प्रोत्साहन योजना स्कीम के तहत 'राष्ट्रीय/ अन्तराष्ट्रीय चिल्ड्रन फैस्टीवल' के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 1.50 करोड़) । अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) चिल्ड्रन फिल्म सोसाएटी ऑफ इंडिया को वेतनों के अतिरिक्त सहायक अनुदानों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 1.85 करोड़), चिल्ड्रन फिल्म सोसाएटी ऑफ इंडिया (₹ 0.04 करोड़),सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट (₹ 0.83 करोड़) । भारतीय जनसंचार संस्थान (₹ 0.80 करोड़) और भारतीय प्रेस परिषद (₹ 0.18 करोड़) । अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) प्रसार भारती को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने (₹ 1.98 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 110 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 111.98 करोड़) । अनुदान के उसी भाग में उपलबण्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) श्री फोर्ट काम्पलेक्स (₹ 0.40 करोड़) का उन्नयन के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 5.70 करोड़), फिल्मों के प्रभाग की अवसंरचना के निर्माण हेतु (₹ 0.50 करोड़) और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केन्द्र (₹ 4.80 करोड़) । इसी भाग में उपलब्ध (₹ 2.49 करोड़ की बचत को देखते हुए, (₹ 3.21 करोड़ की शेष राशि का तकनीकी पूरक प्रार्थित है क्योंकि अनुदान के राजस्व भाग में समान मात्रा में बचतें उपलब्ध हैं।

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 1.50 crore towards providing additional Grants-in-aid -General for 'National/International Children's Film Festival' under the plan scheme 'Promotion of Indian Cinema through Film Festival and Film Markets in India and abroad'. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 1.85 crore towards providing additional Grants-in-aid -Salaries to Children's Film Society of India (₹ 0.04 crore), Satyajit Ray Film and Television Institute (₹ 0.83 crore), Indian Institute of Mass Communication (₹ 0.80 crore) and Press Council of India (₹ 0.18 crore). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure of ₹ 111.98 crore towards providing additional Grants-in-aid -General (₹ 1.98 crore)and Grants-in-aid-Salaries (₹ 110 crore)to Prasar Bharati. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
 -) meeting additional expenditure of ₹ 5.70 crore for upgradation of Siri Fort Complex (₹ 0.40 crore), building infrastructure of Films Division (₹ 0.50 crore) and Electronic Media Monitoring Centre (₹ 4.80 crore). Taking into account the savings of ₹ 2.49 crore available in the same section, a technical supplementary for the balance amount of ₹ 3.21 crore is sought as equivalent savings are available in the revenue section of the grant.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये) (See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
· · · ·	स्वीकृत:	Vo	oted:	5783.78	19.53	5803.31
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Vo	oted:	0.03		0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:	Vo	oted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		5783.82	19.53	5803.35
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष वे	के अंतर्ग	त दिखाया जा	येगा:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted for	r unde	r the followin	g Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory Vo	oted:	0.01		0.01
सहायता अनुदान		Governments				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कौशल विकास मिशन स्कीम के अन्तर्गत लंबित बिलों के भुगतान हेतु संघ राज्य क्षेत्र सरकार को निधियां जारी करना। अनुसूचित जातियों (एससीएसपी) तथा आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (टीएसपी) घटकों हेतु सामान्य विशेष घटक योजना (₹ 18.00 करोड़) के लिए सामान्य अनुदान सहायता।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

release of funds to UT Government towards payment of pending bills under the Scheme of Skill Development Mission, Grants-in-aid General (General Special Component Plan for Scheduled Castes (SCSP) and Tribal Area Sub Plan (TSP) components (₹ 18.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)

(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:		Voted:	68.00	1.00	69.00
	Supplementary Estimate of the amount now				
	required:				
स्वीकृत:		Voted:	1.00		1.00
	Total (Original plus Supplementary)		69.00	1.00	70.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for	or under the	e following Ma	jor Head:	
			आयोजना	आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
	REVENUE SECTION				
	MAJOR HEAD				
स्वीकृत:	2015 -Elections	Voted:		1.00	1.00
	स्वीकृत:	स्वीकृत:	स्वीकृत: Voted: Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Voted: Total (Original plus Supplementary) II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वि III. This Supplementary Grant will be accounted for under the	Revenue I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Voted: 68.00 Supplementary Estimate of the amount now required: Voted: 1.00 Total (Original plus Supplementary) 69.00 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Mayor Head REVENUE SECTION MAJOR HEAD	Revenue Capital I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary) II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नित्यित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 1.00 करोड़)। उपर्युक्त में नकद व्यय होगा। The supplementary grant is required for:

Meeting additional expenditure on Salaries (₹ 1.00 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

संख्या NO. 65 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व	पूजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।.विनियोगः		I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
	भारित:		Charged:	134.36		134.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	भारित:		Charged:	15.64		15.64
जोड़ (मूल और प्रक)		Total (Original plus Supplementary)		150.00	•••	150.00
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Appropriation will be a	ccounted for un	der the follow	ing Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2014 - न्याय प्रशासन	भारित:	2014 - Administration of Justice	Charged:	•••	15.64	15.64
यह प्रक विनियोग निम्नलिखित हेतु	अपेक्षित है:	The supplemen	tary appropriati	on is required	for:	

न्यायाधीशों तथा कार्मिकों के वेतन, चिकित्सा उपचार तथा घरेलू यात्रा व्यय तथा meeting additional expenditure on Salaries, Medical Treatment and कार्यालय व्यय (₹ 15.64 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

उपर्युक्त, व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

Domestic Travel Expenses to the Hon'ble Judges and the Officials and also required in Office Expenses (₹ 15.64 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

सूक्ष्म, लघु और मद्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये) (See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

,00. 20	20.0)					
				((करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
			राजस्व		पूंजी	जोड़
			Revenue		Capital	Total
	I. ORIGINAL GRANT:					
स्वीकृत:		Voted:	3693.48		8.80	3702.28
	SUPPLEMENTARY GRANT:					
स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01
	Supplementary Estimate of the amount now					
	required:					
स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
	Total (Original plus Supplementary)		3693.51		8.80	3702.31
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	ीर्षों के अंतर्ग	ति दिखाया ज	गयेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted	d for under	the following	ng Major	· Heads:	
			आयोजना		आयोजना-	जोड़
			Plan		भिन्न	Total
					Non-Plan	
	REVENUE SECTION					
	MAJOR HEAD					
स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)		0.01
स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01	(खb)		0.01
स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02
	स्वीकृतः स्वीकृतः स्वीकृतः स्वीकृतः स्वीकृतः	स्वीकृत: SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary) II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य श्रा III. This Supplementary Grant will be accounted REVENUE SECTION MAJOR HEAD स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	I. ORIGINAL GRANT:स्वीकृत:Voted:SUPPLEMENTARY GRANT:स्वीकृत:Voted:Supplementary Estimate of the amount now required:Total (Original plus Supplementary)II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर हैII. This Supplementary Grant will be accounted for underREVENUE SECTIONMAJOR HEADस्वीकृत:2552 -North Eastern AreasVoted:स्वीकृत:2851 -Village and Small IndustriesVoted:	रवीकृतः Voted: 3693.48 Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृतः Voted: 0.01 Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृतः Voted: 0.02 Total (Original plus Supplementary) 3693.51 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जा।. This Supplementary Grant will be accounted for under the following आयोजना Plan **REVENUE SECTION** MAJOR HEAD स्वीकृतः 2552 -North Eastern Areas Voted: 0.01 स्वीकृतः 2851 -Village and Small Industries Voted: 0.01	रवीकृतः Voted: 3693.48 SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृतः Voted: 0.01 Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृतः Voted: 0.02 Total (Original plus Supplementary) 3693.51 II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नित्खित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत दिखाया जायेगाः III. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major आयोजना Plan REVENUE SECTION MAJOR HEAD स्वीकृतः 2552 -North Eastern Areas Voted: 0.01 (कa)	स्वीकृतः

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) एनईआर के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु लंबित प्रस्तावों के भुगतान हेतु अनुदान के रूप में अवसंरचना विकास व क्षमता निर्माण(₹ 2.00 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। चूंिक अनुदान के उसी मांग में बचत उपलब्ध है अत: सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) खादी अनुदान (₹ 90 करोड़) (₹ 10.80 करोड़ एससीएसपी के लिए तथा ₹ 7.39 करोड़ टीएसपी के लिए, शामिल है) के सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करना ताकि एमडीए खादी तथा 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15, की अपूर्ण देयता को पूरा किया जा सके और एनएसआईसी द्वारा रेटिंग यूनिट हेतु पर्फामेंस एण्ड केडिट रेटिंग स्कीम (₹ 20 करोड़)प्रमोशनल सर्विसेज इंस्टीट्यशन्स एंड प्रोगैम (₹ 0.50 करोड़) तथा अवसंरचना विकास एवं क्षमता निर्माण(₹ 20.88 करोड़) (एससीएसपी के लिए ₹ 12.63 करोड़ तथा टीएसपी के लिए ₹ 8.25 करोड़) के लंबित प्रस्तावों के निपटान हेतु। चूंकि अनुदान के उसी मांग में बचत उपलब्ध है अत: सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (a) meeting the additional requirement for Infrastructure Development & Capacity Building (₹ 2.00 crore) as Grants for Creation of Capital Assets for NER towards payment of pending proposals. As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.
 - meeting the additional requirement as Grants-in-aid General for Khadi Grant (₹ 90 crore)(including ₹ 10.80 crore for SCSP and ₹ 7.39 crore for TSP)towards payment of eligible amount of MDA-Khadi and unmet liability of 2012-13, 2013-14 and 2014-15, Performance & Credit Rating Scheme (₹ 20 crore)towards rating of units by NSIC, Promotional Services Institutions & Programme (₹ 0.50 crore) and Infrastructure Development and Capacity Building (₹ 20.88 crore) (including ₹ 12.63 cr. for SCSP and ₹ 8.25 cr. for TSP) for clearing the pending proposals. As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)

(See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.05				0.05
	स्वीकृत:		Voted:	1010.99		93.22		1104.21
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount	:					
पूरक अनुमान:		now required:						
	भारित:		Charged:	0.08				0.08
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1011.14		93.22		1104.36
	भारित:		Charged:	0.13				0.13
	स्वीकृत:		Voted:	1011.01		93.22		1104.23
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम	निलिखित मुख्य शी	र्ष के अंतर्गत	दिखाया ज	गयेगा:		
		II. This Supplementary Grant/Appropria	ation will be acco	unted for u	nder the f	ollowing Majo	or Head:	:
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2853 - अलौह खनन और	भारित:	2853 - Non-Ferrous Mining and	Charged:			0.08	(कa)	0.08
धातुकर्म उद्योग		Metallurgical Industries						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	(खb)	0.01	(गc)	0.02

यह पूरक अन्दान/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय के आदेश के अनुसार, प्रतिपूर्ति के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के तहत अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.08 करोड़)। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध समान राशि की बचत के अभ्यर्पण पर विचार करते हुए तकनीकी पूरक मांगा गया है। उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।
- (ख) खिनज अन्वेषण निगम लिमि. के प्रोन्नित कार्य के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त जरूरत के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए (₹ 1 करोड़। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) राष्ट्रीय चहान यांत्रिकी संस्थान (₹ 4.32 करोड़), जेएनएआरडीडीसी (₹ 2.05 करोड़) को वेतन सहायता अनुदान के तौर पर अतिरिक्त आवश्यकता और आन्ध्र प्रदेश सरकार को सुरक्षा सेवा संविदा बिलों, खिनज देयों के संबंध में भारत स्वर्ण खनन लिमिटेड, बंगलौर को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.86 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) The additional requirement under Geological Survey of India (₹ 0.08 crore) towards compensation as per the Court Order. Taking into account the surrender of savings of the equivalent amount available in the voted section of the Grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- b) For Meeting additional requirement under Grants-in-aid General (₹ 1 crore) towards Promotional work for Mineral Exploration Corporation Ltd. Taking into account the savings in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- Additional requirement as Grants-in-aid Salaries to the National Institute of Rock Mechanics (₹ 4.32 crore), Jawaharlal Nehru Aluminum Research Development and Design Centre (JNARDDC) (₹ 2.05 crore) and the Grants-in-aid General to the Bharat Gold Mines Limited, Bangalore (₹ 2.86 crore) towards expenditure relating to security services contract bills, lease payment dues to Andhra Pradesh Government. Taking into account the savings in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये) (See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

				((करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	3614.01	120.00	3734.01
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.04		0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3614.06	120.00	3734.06
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	ार्ष के अंतर्गत	ा दिखाया जायेग	Π:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under	the following	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:	0.01		0.01
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और		Scheduled Tribes, Other Backward Classes				
अल्पसंख़्यकों का कल्याण		and Minorities				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) इस वर्ष 'छात्रवृत्ति' के अंर्तगत योग्यता-सह साधन छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि होने के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 50.00 करोड़)।
- (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.04 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.01 करोड़)और अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए 'हमारी धरोहर' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹ 0.45 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (i) meeting the additional expenditure towards increase in number of scholarships under the scheme of Merit-cum-Means Scholarship during this year under 'Scholarship' (₹ 50.00 crore).
- (ii) Grants-in-Aid General (₹ 4.04 crore), Professional Services (₹ 0.01 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.45 crore) under 'Hamari Dharohar' Scheme to preserve rich heritage of minority communities.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

कार्मिक, लोक शिकायत और पंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(कंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये) (See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 52 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुपये	Rupees in Cr	ore)
				राजस्व	पूंजी	जो	इ
				Revenue	Capital	Tot	tal
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	2.50	3.00	3	5.50
	स्वीकृत:		Voted:	941.99	122.92	1064	1.91
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		(0.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount no	ow				
पूरक अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	4.74		4	4.74
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		949.24	125.92	107	5.16
	भारित:		Charged:	2.50	3.00	3	5.50
	स्वीकृत:		Voted:	946.74	122.92	1069	9.66
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ड्य शीर्षों के अंतर्गत	दिखाया जायेग	T:		
		II. This Supplementary Grant will be accou	unted for under th	ne following N	lajor Heads:		
				आयोजना	आयोजना-	जो	इ
				Plan	भिन्न	Tot	tal
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2051 - लोक सेवा आयोग	स्वीकृत:	2051 -Public Service Commission	Voted:		2.74	(कa) 2	2.74
2055 - पुलिस	स्वीकृत:	2055 -Police	Voted:		2.00	(खb) 2	2.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	•••	4.74	•	4.74

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) कर्मचारी चयन आयोग को व्यावसायिक सवाओं का भुगतान हेतु (₹ 18.50 करोड़)। चूंिक अनुदान के इसी भाग में ₹ 15.76 करोड़ की बचत उपलब्ध है और संतुलित राशि के लिए, तकनीकी की पूरक मांग की गई है। यह अनुदान के पूंजी भाग में समतुल्य बचत से समान किया जाएगा। उपर्युक्त व्यय में अतिरिक्त नकद प्रवाह नहीं होगा।
- (ख) सीबीआई/शाखाओं कार्यालयों के व्यापक आधुनिकीकरण (₹ 2.00 करोड़)। पूंजी भाग में समान बचत अभ्यर्पित होगी। उपर्युक्त व्यय में अतिरिक्त नकद प्रवाह नहीं होगा।

- (a) Payment for professional services of Staff Selection Commission (₹ 18.50 crore). As savings to the extent of ₹ 15.76 crore are available within the same section of the Grant a technical supplementary is sought for the balance amount. This will be matched by equivalent savings in the Capital Section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) Comprehensive Modernization of CBI branches/offices (₹ 2.00 crore). Further matching savings in the Capital Section will be surrendered, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

संख्या NO. 74 (विनियोग)(APPROPRIATION)

केंद्रीय सतर्कता आयोग

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
।.विनियोगः		I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
	भारित:		Charged:	20.35		20.35
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount r	now			
अनुमान:		required:				
	भारित:		Charged:	1.00		1.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		21.35		21.35
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत टि	खाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Appropriation will	be accounted for un	der the followir	ng Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2062 - सतर्कता	भारित:	2062 - Vigilance	Charged:		1.00	1.00

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) चिकित्सा व्यय हेतु अतिरिक्त मांग को पूरा करना (₹ 0.25 करोड़) (ii) अधिवक्ताओं, परामर्श दाताओं तथा डाटा एन्ट्री आपरेटरों के लंबित बिलों का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यावसायिक सेवाओं हेतु अतिरिक्त मांग को पूरा करना (₹ 0.25 करोड़) (iii) कार्यालय व्यय के लिए अतिरिक्त मांग को पूरा करना (₹ 0.50 करोड़) ।

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for:

(i) meeting additional demand for medical expenditure (₹ 0.25 crore) (ii)meeting additional demand for professional services required to meet the pending bills for advocates, consultants, and for Data Entry Operators (₹ 0.25 crore). (iii) meeting additional demand for Office Expenses (₹ 0.50 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये) (See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

					(कर	(करोड़ रुपये Rupees i			
				राजस्व	पूंजी			जोड़	
				Revenue	Capit	al		Total	
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	63542.00	•	1.00		63543.00	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01	
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount							
प्रक अनुमान:		now required:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	2399	9.00		2399.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		63542.02	240	0.00		65942.02	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	त्य शीर्षों के 3	मंतर्गत दिखाया	'जायेगा:				
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for un	der the follow	wing Major Head	s:			
				आयोजना	आयोज			जोड़	
				Plan	भिन्न			Total	
					Non-P	lan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2802 - पेट्रोलियम	स्वीकृत:	2802 -Petroleum	Voted:	•••	(0.01	(कa)	0.01	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
4802 - पेट्रोलियम पर पूंजी	स्वीकृत:	4802 - Capital Outlay on Petroleum	Voted:	2399.00	(खb)			2399.00	
परिव्यय									
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	2399.00		0.01		2399.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु तेल कंपनियों को सब्सिडी उपलब्ध कराना (₹ 24 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) रणनीतिक तेल भण्डार हेतु इण्डीयन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लि. (आईएसपीआरएल) को भुगतान हेतु अतिरिक्त निधियों उपलब्ध कराना। (₹ 2399.00 करोड़)
 - . अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (a) providing subsidy to Oil Companies for supply of natural gas to North East region (₹ 24 crore).
 - Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing additional funds for payment to Indian Strategic Petroleum Reserve Limited (ISPRL) for Strategic Oil Reserve (₹ 2399.00 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये) (See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 54 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
, -	स्वीकृत:		Voted:	1828.36		778.50		2606.86
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:			7.99		7.99
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1828.38		786.49		2614.87
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्ष के अंत	ार्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for und	der the follo	wing Maj	or Head:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3475 -Other General Economic Services	Voted:	0.01	(ক a)	0.01	(खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) "असमानता को दूर करने के लिए मानव विकास हेतु यूएनडीपी सहायता" स्कीम में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.42 करोड़)।
 - (ii) विकेन्द्रीकृत आयोजना हेतु यूएनडीपी समर्थित परियोजना सुदृढ़ीकरण क्षमताओं में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.43 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) नेशनल लेबर इकोनॉमिक्स एण्ड स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (पहले आईएएमआर)में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सहायता अनुदान वेतन (₹ 2.00 करोड़। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (i) Grants-in-aid General to meet the additional requirement in the scheme "UNDP Assistance for Human Development towards bridging inequalities" (₹ 2.42 crore)
 - (ii) Grants-in-aid General to meet the additional requirement in UNDP assisted Project-Strengthening Capacities for decentralized Planning (₹ 0.43 crore)
 Taking into account the savings available in the same

section of the Grant, a token supplementary is sought.

- Grants-in-aid Salaries to meet the additional requirement in National Labour Economics and Skill Development Institute (formerly IAMR) (₹ 2.00 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिये) (See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 55 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपः	es in Crore)	
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	7738.30		2986.50		10724.80
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	398.01				398.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	91.85		0.01		91.86
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		8228.16		2986.51		11214.67
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्षों के 3	भंतर्गत दिखार	ग जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	ınted for ur	nder the follo	owing Ma	jor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	•	MAJOR HEAD						
2801 - विद्युत . •	स्वीकृत:	2801 -Power	Voted:			91.85	(कa)	91.85
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
6801 - विद्युत परियोजनाओं के	स्वीकृत:	6801 - Loans for Power Projects	Voted:	0.01	(खb)			0.01
तिए ऋण								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		91.85		91.86

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) लोन के इक्विटी में अंतरण के कारण टिहरी हाइड्रो विकास कार्पोरेशन (टीएचडीसी) द्वारा चुकाए गए अतिरिक्त ब्याज से बकाया के व्यवस्थापन के लिए आवश्यक लेखांकन समायोजन करना (₹ 91.85 करोड़)।

इसे प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा, अत: इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) अनुदान के समान भाग में प्रतिक्ल शेष को निष्प्रभावी करने के लिए सलाल हाइड्रो चरण-। परियोजना के संबंध में राष्ट्रीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक वियुत कार्पोरेशन (एनएचपीसी) को ऋण के पूंजीगत व्यय के अंतरण के कारण विगत अविध का लेखांकन समायोजन (पीपीए) करना (₹ 310.60 करोड़), जिससे नकद न्यय नहीं होगा।

- (a) carrying out necessary accounting adjustment for settlement of outstanding loan against excess interest paid by Tehri Hydro Development Corporation (THDC) due to conversion of loan into equity (₹ 91.85 crore).
 - This will be matched by receipts, hence, it will not entail cash outgo.
- b) carrying out past period accounting adjustment (PPA) on account of conversion of Capital Expenditure into loan to National Hydro-electric Power Corporation (NHPC) in respect of Salal Hydro Stage-I Project (₹ 310.60 crore) in order to neutralize the adverse balances in same Section of the Grant, which will not entail any cash outgo.

संख्या NO. 78 (विनियोग)(APPROPRIATION)

राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते

STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पंजी जोड

				,		/
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l.विनियोग:		I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
	भारित:		Charged:	38.25		<i>38.25</i>
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	भारित:		Charged:	<i>3.75</i>		3.75
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		42.00		42.00
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा	:	
		II. This Supplementary Appropriation will be ac	ccounted for u	under the follo	wing Major Head	d:
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2012 - राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/	भारित:	2012 - President, Vice President/Governor,	Charged:		<i>3.75</i>	3.75
राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक		Administrator of Union Territories				

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए नामत: (i)वेतन(₹ 0.04 करोड़), (ii) चिकित्सा उपचार (₹ 0.13 करोड़) (iii) हाउस होल्ड वेतन (₹ 0.36 करोड़), (iv) कार्यालय व्यय ₹ 1.25 करोड़), (v) समारोह संबंधी व्यय (₹ 0.23 करोड़), (vi) मोटर कारों आदि की खरीद (₹ 1.42 करोड़) and (vii) अन्य प्रभार (आईटी) (₹ 0.32 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting establishment related additional Expenditure viz. (i) Salaries (₹ 0.04 crore), (ii) Medical Treatment (₹ 0.13 crore), (iii) Household Salaries (₹ 0.36 crore), (iv) Office Expenses (₹ 1.25 crore), (v) Expenses on functions (₹ 0.23 crore), (vi) For purchase of Motor cars etc. (₹ 1.42 crore) and (vii) Other Charges (IT) (₹ 0.32 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

राज्य सभा

RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

					(Trupeo	0 111 01010)
					राजस्व	पूंजी	जोड़
					Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:			Charged:	1.07		1.07
	स्वीकृत:			Voted:	317.56		317.56
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate	of the amount now	v			
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:			Voted:	1.60		1.60
जोड़ (मूल और पूरक)	•	Total (Original plus Supplen	nentary)		320.23		320.23
	भारित:			Charged:	1.07		1.07
	स्वीकृत:			Voted:	319.16		319.16
		II. इस पूरक अनुदान का हिस	गाब निम्नलिखित मुख्य	य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगाः		
		II. This Supplementary C					
					आयोजना	आयोजना-	जोड़
					Plan	भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के	स्वीकृत:	2011 -Parliament/State/U	Jnion Territory	Voted:		1.60	1.60
विधान मंडल		Legislatures					
	क्षेत है:		The supplement	ary grant is req	uired for:		
वेतन और भन्तों के भुगतान के अतिरिक्त व		रने के लिए (₹ 1.60 करोड़)।	meeting the add	ditional expend	liture toward	ds payment of S	Salary and
3	"		Allowances ((₹ 1.60 crore)			
उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।			The above expe	` ,	ail a cash outo	о;	
3			•		J		

संख्या NO. 81 (विनियोग)(APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				,		,
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।.विनियोगः		I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
	भारित:		Charged:	170.81		170.81
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	भारित:		Charged:	18.00		18.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		188.81		188.81
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Appropriation will be a	ccounted for un	der the followi	ing Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2051 - लोक सेवा आयोग	भारित:	2051 - Public Service Commission	Charged:		18.00	18.00

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं, भर्ती परीक्षणों और चयन प्रक्रियाओं हेतु तथा वेतन के संबंध में अतिरिक्त/ वृद्धि व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 18.00 करोड़)। इसमें से ₹ 8.81 करोड़ भारत की संचित निधि से संस्वीकृत किए गए, जिसे पूरक अनुदान पारित हो जाने के बाद भारत की संचित निधि में जमा कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त व्यय में नकद खर्च होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting additional/increased expenditure on Salaries, Examinations, Recruitment Tests and Selections conducted by Union Public Service Commission(₹ 18.00 crore). Out of which, ₹ 8.81 crore was sanctioned from the Contingency Fund of India, which shall be recouped to the Contingency Fund of India after the supplementary grant is passed.

The above expenditure will entail a cash outgo;

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये) (See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:		56.00	56.00
	स्वीकृत:		Voted:	19603.37	37436.27	57039.64
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	500.01		500.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of th	e amount now			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	-	Total (Original plus Supplementar	у)	20103.39	37492.27	57595.66
	भारित:		Charged:		56.00	56.00
	स्वीकृत:		Voted:	20103.39	37436.27	57539.66
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब नि	म्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant	will be accounted for under th	ne following Ma	jor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges	Voted:		0.01	0.01
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत्	अपेक्षित है:		The supplementary grant is	required for:		
बार्डर रोड़ डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा भूटान		इक निर्माण के लक्ष्य और मंजूरी में	meeting additional expend		ore) due to incre	ase in target
.` बढ़ोत्तरी के कारण अतिरिक्त व्यय (₹		•	and sanction of works of			
			Development Board.		•	
अन्दान के उसी भाग में उपलब्ध बच	ातों को देखते	हए सांकेतिक पुरक अपेक्षित है।	Taking into account the s	avings availabl	e in the same se	ection of the
3		5	Grant, a token supplementa			
			C.a.i., a tollori cappioriloriti	, 10 00ag.it.		

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

				(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charge	d: 0.02		0.02
	स्वीकृत:	Vote	d: 3546.02	21.08	3567.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now			
अनुमान:		required:			
	स्वीकृत:	Vote	d: 0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	3546.05	21.08	3567.13
	भारित:	Charge	d: 0.02		0.02
	स्वीकृत:	Vote	d: 3546.03	21.08	3567.11
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under	the following M	ajor Head:	
			आयोजना	आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Research Vote	d: 0.01	•••	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सामान्य सहायता अनुदान के प्रति (i)प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (₹ 7 करोड़) और (ii)विज्ञान में औरतों के लिए दिशा कार्यक्रम (₹ 4.75 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid general towards (i) Technology Development Programme (Rs 7 crore) and (ii) Disha Programme for Women in Science (₹ 4.75 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

वैज्ञानिक और औद्योगिक विभाग

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	3671.15		36.00		3707.15
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3671.17		36.00		3707.17
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु		तर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be account	unted for un	der the follo	owing Maj	or Head:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i)प्रशासन के अन्तर्गत सीएसआईऔर के लिए वेतन अनुदान सहायता (₹ 0.30 करोड़) और (ii)राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अन्तर्गत सीएसआरआई के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 61.75 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) (i)"प्रशासन" के तहत (₹ 144.67 करोड़)और राष्ट्रीय प्रयोगशाला के तहत
 (₹ 26.88 करोड़)के लिए सीएसआईआर को सामान्य सहायता अनुदान और
 (ii) "प्रशासन" के तहत (₹ 4.50 करोड़) तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के तहत(₹ 17 करोड़) के लिए सीएसआईआर को वेतन सहायता अनुदान। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (a) (i) Grants-in-aid Salaries for CSIR under Administration (₹ 0.30 crore) and (ii) Grants-in-aid General for CSIR under 'National Laboratories' (₹ 61.75 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- b) (i) Grants-in-aid General for CSIR under "Administration" (₹ 144.67 crore) and under 'National Laboratories (₹ 26.88 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries for CSIR under "Administration" (₹ 4.50 crore) and under 'National Laboratories (₹ 17crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये) (See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुपये Rupees in C	Crore)
				राजस्व	पूंजी उ	जोड़
				Revenue	Capital To	otal
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1517.21	151	17.21
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1517.24	15	17.24
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंतर	ति दिखाया ज	गयेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for unde	r the following	ng Major Heads:	
				आयोजना	आयोजना- उ	जोड़
				Plan	भिन्न To	otal
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कа)	0.01
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01	(खb)	0.01

Total (Supplementary)

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

जोड़ (पूरक)

सामान्य सहायता अनुदान (i) बायोइन्फारमैटिक्स (₹ 0.77 करोड़) (ii) अन्संधान और विकास-कृषि बायोइन्फारमौटिक्स (₹ 10 करोड़) (iii) अन्संधान और विकास-बायोरिसोर्स विकास (₹ 0.50 करोड़) (iv) अन्संधान और विकास- मैडीकल बायोटेक्नालाजी (₹ 10 करोड़). अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते ह्ए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

स्वीकृत:

(ख) (i) मानव संसाधन विकास के लिए सामान्य सहायता अन्दान (₹ 8.81 करोड़) (ii) मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेत् अन्दान (₹ 2 करोड़) (iii) बायोइन्फारमैटिक्स के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़ रुपए) (iv) अनुसंधान और विकास-मैडीकल बायोटेक्नालाजी (₹ 16 करोड़) (v) अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता को सहयोग के लिए सामान्य सहायता अन्दान (₹ 4 करोड़) और (vi) अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता के लिए पूंजी सृजन हेतु अनुदान (₹ 5 करोड़)। अनुदान के उसी भाग मे उपलब्ध बचतो को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

Voted:

(i) Grants-in-aid General towards (i) Bioinformatics (₹ 0.77 crore) (ii) Research & Development- Agricultural Biotechnology (₹ 10 crore) (iii) Research & Development- Bioresource Development & Utilisation (₹ 0.50 crore) (iv) Research & Development-Medical Biotechnology (₹ 10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

0.02

0.02

Grants-in-aid General towards Human Development (₹ 8.81 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets under the programme Human Resource Development (₹ 2 crore) (iii) Grants-in-aid General towards for Bioinformatics (₹ 3 crore) (iv) Grants-in-aid General towards Research & Development- Medical Biotechnology (₹ 16 crore) (v) Grants-inaid General towards assistance for International Cooperation (₹ 4 crore) and (vi) Grants for Creation of Capital Assets towards International Cooperation (₹ 5 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये) (See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1258.66		516.08		1774.74
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01		0.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1258.70		516.09		1774.79
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for und	der the follo	wing Maj	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:			0.01	(कa)	0.01
3052 - नौवहन	स्वीकृत:	3052 -Shipping	Voted:	0.01	(खb)			0.01
3056 - अंतर्देशीय जल परिवहन	स्वीकृत:	3056 -Inland Water Transport	Voted:			0.01	(गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.02		0.03
	-							

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

अपेक्षित है।

- (क) हुग्ली डाक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि. द्वारा आय कर देयता का भुगतान (₹ 48.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) आन-बोर्ड शिप ट्रेनिंग पूरी होने पर इंडियन मर्चेंट कैडेट/ट्रेनी को सहायता अनुदान उपलब्ध कराना(₹ 10.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक
- (ग) सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के कार्मिकों के लिए समुन्नत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त स्कीम का कार्यान्वयन (₹ 44 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (a) payment of Income Tax liability by Hooghly Dock & Port Engineers Ltd. (₹ 48.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing Grants-in-aid to Indian Merchant Cadet/trainees for completion of their on-board ship training (₹ 10.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- c) implementation of improved Voluntary Retirement Scheme for employees of Central Inland Water Transport Corporation (₹ 44 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये) (See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 59 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	5750.74		462.00		6212.74
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:			200.00		200.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		5750.77		662.00		6412.77
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर		ांतर्गत दिखार	या जायेगा	:		
		II. This Supplementary Grant will be accou	unted for un	der the follo	owing M	ajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और		Scheduled Tribes, Other Backward						
अल्पसंख्यकों का कल्याण		Classes and Minorities						
2235 - सामाजिक सुरक्षा और	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01	(गc)			0.01
कल्याण								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) अन्य पिछड़े वर्गों (₹ 11.88 करोड़) लड़के और लड़िकयों के छात्रावास और अनुसूचित जाित की लड़िकयों के लिए छात्रावास (₹ 4.00 करोड़) स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन सहायता अनुदान।
 - (ii) केन्द्र शासित राज्य चण्डीगढ़ में अनुस्चित जाित के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम (₹ 2.50 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान का निर्गमन करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक प्रक अपेक्षित है।
- (ख) (i) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वेतन हेतु सहायता अनुदान का निर्गमन करना (₹ 0.10 करोड़)।
 - (ii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सामान्य सहायता अनुदान का निर्गमन करना (₹ 0.45 करोड़)।
 - (iii) विमुक्त जाति के राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 0.10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक प्रक अपेक्षित है।
- (ग) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थानों के वेतन हेतु सहायता अनुदान का निर्गमन करना (₹ 0.18 करोइ)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (i) releasing Grant-in-aid for Creation of Capital Assets in the scheme of Boys and Girls Hostel for Other Backward Classes (₹ 11.88 crore), Girls Hostel for Scheduled Castes (₹ 4.00 crore).
 - (ii) releasing Grant in-aid General to Union Territory Chandigarh for Post Matric Scholarship Scheme for Scheduled Castes (₹ 2.50 crore).
 - Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) releasing Grants-in-aid Salaries to National Commission for Backward Classes (₹ 0.10 crore).
 - (ii) releasing Grants-in-aid General to National Commission for Backward Classes (₹ 0.45 crore).
 - (iii) providing additional funds for setting up of National Commission for Denotified Tribes (₹ 0.10 crore). Taking into account the savings available in the same

Section of the Grant, a token supplementary is sought.

releasing Grants-in-aid Salaries to National Institutes of Social Defence (₹ 0.18 crore).

Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

निशक्तता विभाग

DEPARTMENT OF DISABILITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये।	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	595.89		37.00		632.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		595.91		37.00		632.91
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्ष के अंत	ार्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be account	nted for und	ler the follo	wing Maj	or Head:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति संस्थान के वेतन के लिए सहायता अनुदान जारी करना (₹ 2.50 करोड़)। अनुदान के उसी भाग मे उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। अनुदान के उसी भाग मे उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) (ख) राष्ट्रीय अशक्त व्यक्ति संस्थानों के वेतन हेतु सहायता अनुदान जारी करना (₹ 4.00 करोइ)।
 - (ii) राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.35 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

 releasing Grant-in-aid Salaries to National Institutes for Disabled Persons (₹ 2.50 crore).

Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) releasing Grant-in-aid Salaries to National Institutes for Disabled Persons ($\stackrel{?}{\overline{\checkmark}}$ 4.00 crore).
 - (ii) releasing Grant-in-aid General to National Institutes for Disabled Persons (₹ 0.35 crore).
 - Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये) (See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

				(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	0.50	0.40	0.90
	स्वीकृत:	Voted:	3583.56	3653.58	7237.14
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
·	स्वीकृत:	Voted:	0.02		0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	-	Supplementary Estimate of the amount now			
अनुमान:		required:			
-	स्वीकृत:	Voted:		3.00	3.00
जोड़ (मूल और पूरक)	C	Total (Original plus Supplementary)	3584.08	3656.98	7241.06
	भारित:	Charged:	0.50	0.40	0.90
	स्वीकृत:	Voted:	3583.58	3656.58	7240.16
	ŭ	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the		ijor Head:	
			आयोजना	आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5402 - Capital Outlay on Space Research Voted:		3.00	3.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अंतरिक्ष कोरपोरेशन लि. द्वारा जारी वोनस शेयरों के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश। चूंकि उपरोक्त व्यय पूंजीगत प्राप्तियों से किया जाएगा, इसमें नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grant is required for:

Additional equity investment in the form of Bonus Shares issued by Antrix Corporation Limited. As the above expenditure will be matched by Capital Receipts, this will not entail cash outgo.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	4905.78	18.10	4923.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount no	ow			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	ŭ	Total (Original plus Supplementary)		4905.79	18.10	4923.89
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा		
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for under t	he following M	lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और	स्वीकृत:	3454 -Census Surveys and Statistics	Voted:		0.01	0.01
सांख्यिकी	•					

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता को वेतन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु वेतन सहायता अनुदान (₹ 9.91 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते ह्ए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid Salary to meet the additional expenditure for Salary to Indian Statistical Institute, Kolkata (\P 9.91 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				, ,	1.4 1	0.0.0,
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	92.92		92.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		92.93		92.93
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीप	र्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under th	e following Ma	or Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	0.01	•••	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"नवप्रवर्तनीय लौह/इस्पात निर्माण प्रक्रिया/ तकनीक (मौजूदा तकनीक के तहत नई परियोजनाओं) अनुसंधान और विकास स्कीम में अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 4.50 करोइ) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Meeting the additional requirement (₹ 4.50 crore) in R&D scheme "Development of innovative iron/Steel making Process/Technology (new project under existing scheme). Taking into account the savings available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये) (See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

				(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:		35.34	35.34
	स्वीकृत:	Voted:	5547.70	114.39	5662.09
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
· -	भारित:	Charged:	20.51		20.51
	स्वीकृत:	Voted:	0.03		0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now			
अनुमान:		required:			
	स्वीकृत:	Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Č	Total (Original plus Supplementary)	5568.25	149.73	5717.98
	भारित:	Charged:	20.51	35.34	55.85
	स्वीकृत:	Voted:	5547.74	114.39	5662.13
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 1	देखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the		ijor Head:	
			आयोजना	आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पूंजीगत परिसंपत्तियों (₹ 5 करोइ) के सृजन के लिए अनुदानों हेतु अवसंरचना एवं प्रौधोगिकी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रतिबद्ध देयताओं की अतिरिक्त आवश्यकता। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

Additional requirement towards committed liabilities under Infrastructure and Technology Development Projects for Grants for Creation of Capital Assets (₹ 5 crore). Taking into account savings available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

					('करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1965.21		1.50	1966.71
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		10.80	10.81
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1965.22		12.30	1977.52
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया उ	नायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for unde	r the followi	na Maio	r Haads:	
		ii. This cupplementary craft will be account	o ioi anac	i tile lollowi	ng majo	i i icaus.	
		ii. This supplementary Grant will be decount	sa for unac	आयोजना आयोजना	ng majo	आयोजना-	जोड़
		ii. This cappellichtary Grant will be account	ou for unite		ng Majo		जोड़ Total
		ii. This cappellichtary Grant will be account	ou for unde	आयोजना	ng wajo	आयोजना-	•
राजस्व भाग		REVENUE SECTION	ou for unde	आयोजना	ng majo	आयोजना- भिन्न	•
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष			ou for unde	आयोजना	ng majo	आयोजना- भिन्न	•
• •	स्वीकृत:	REVENUE SECTION	Voted:	आयोजना	(कa)	आयोजना- भिन्न	•
मुख्य शीर्ष 3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	Total
मुख्य शीर्ष	स्वीकृत:	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3601 -Grants-in-aid to State Governments		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	Total
मुख्य शीर्ष 3601 - राज्य सरकारों को सहायता <i>पूंजी भाग</i>	स्वीकृत: स्वीकृत:	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3601 -Grants-in-aid to State Governments CAPITAL SECTION		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	Total
मुख्य शीर्ष 3601 - राज्य सरकारों को सहायता पूंजी भाग मुख्य शीर्ष	·	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3601 -Grants-in-aid to State Governments CAPITAL SECTION MAJOR HEAD	Voted:	आयोजना Plan 0.01	(কa)	आयोजना- भिन्न Non-Plan 	. Total 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) डेस्टेशन और सर्किट के लिए अवसंरचना विकास के तहत चल रही परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करना (₹ 129.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) (i) नई दिल्ली में बहु-स्तरीय पार्किंग कम आफिस को बनाने हेतु (₹ 10.00 करोड़)।
 - (ii) अजंता एलोरा संरक्षण और पर्यटन विकास पिरयोजना के भुगतान के लिए (₹ 0.80 करोड़) ।
 अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर,
 उपरोक्त में कोई नकद नयय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

 (a) providing additional funds for ongoing projects under Infrastructure Development for Destination and Circuits (₹ 129.00 crore).

Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) construction of multi level parking-cum-office at New Delhi
 (₹ 10.00 crore).
 - (ii) payment towards Ajanta Ellora Conservation and Tourism Development Project (₹ 0.80 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 देखिये)

(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	3913.63				3913.63
	स्वीकृत:		Voted:	514.33		70.00		584.33
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the						
अनुमान:		amount now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	3.07				3.07
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4431.03		70.00		4501.03
	भारित:		Charged:	<i>3913.63</i>				3913.63
	स्वीकृत:		Voted:	517.40		70.00		587.40
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	गुख्य शीर्षों के उ	भंतर्गत दिखा	या जायेगा	:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for ur	nder the foll	owing Ma	ajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत:	2251 -Secretariat-Social Services	Voted:			1.48	(कa)	1.48
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:	0.01	(खb)	1.58	(गc)	1.59
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गी और		Scheduled Tribes, Other Backward						
अल्पसंख्यकों का कल्याण		Classes and Minorities						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		3.06		3.07

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) विभिन्न संस्थापना शीर्षों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना:(₹ 1.48 करोइ) (वेतन- ₹ 0.85 करोइ, घरेलू यात्रा व्यय- ₹ 0.20 करोइ, कार्यालय व्यय- ₹ 0.24 करोइ, किराया दरें, और कर- ₹ 0.15 करोइ तथा अन्य प्रशासनिक व्यय- ₹ 0.04 करोइ)

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

- (ख) (i) "कोचिंग एवं सहबद्ध स्कीम एवं निदर्शनात्मक सेवा सिहत अनुस्चित जनजाति के लिए एजीओ को अनुदान सहायता" के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराना (₹ 9.50 करोइ)।
 - (ii) "अम्ब्रेला स्कीम फार एज्केशन आफ एसटी चिल्ड्रन स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराना" (₹ 12.00 करोड)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ग) विभिन्न स्थापना शीर्ष के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 1.58 करोड़)(वेतन- ₹ 0.63 करोड़, मजदूरी- ₹ 0.02 करोड़, विदेश यात्रा व्यय-₹ 0.05 करोड़, कार्यालय व्यय- ₹ 0.55 करोड़, किराया, दर एवं कर- ₹ 0.13 करोड़, प्रकाशन- ₹ 0.07 करोड़ एवं व्यावसायिक सेवा- ₹ 0.13)।

> अनुदान के राजस्व/भारित भाग में उपलब्ध बचत (₹ 0.14 करोड़) को देखते हुए उपर्युक्त में, ₹ 1.44 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting additional expenditure (₹ 1.48 crore) under different establishment heads (Salaries- ₹ 0.85 crore, Domestic Travel Expenses- ₹ 0.20 crore, Office Expenses- ₹ 0.24 crore, Rent, Rates and Taxes- ₹ 0.15 crore and Other Administrative Expenditure- ₹ 0.04 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo.

- (i) providing Grants-in-aid-General under the scheme "Grant in aid to NGO for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for Exemplary Service" (₹ 9.50 crore).
- (ii) providing Grants-in-aid-General under the scheme "Umbrella Scheme for Education of ST Children" (₹ 12.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure (₹ 1.58 crore) under different establishment heads (Salaries- ₹ 0.63 crore, Wages- ₹ 0.02 crore, Foreign Travel Expenses- ₹ 0.05 crore, Office Expenses- ₹ 0.55 crore, Rent, Rates & Taxes- ₹ 0.13 crore, Publication- ₹ 0.07 crore and Professional Services - ₹ 0.13).

Taking into account the savings (₹ 0.14 crore) available in the Revenue/Charged Section of the Grant will be surrendered, the above expenditure will entail cash outgo of ₹ 1.44 crore.

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिये) (See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 63 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

				राजस्व		<i>(करोड़ रुपये</i> पूंजी	rupees	जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				•		
, ,	भारित:		Charged:	0.01				0.01
	स्वीकृत:		Voted:	3046.77		566.60		3613.37
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	85.96		0.01		85.97
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		0.04		0.07
जोड़ (मूल और पूरक)	a 	Total (Original plus Supplementary)	01	3132.77		566.65		3699.42
	भारित:		Charged:	0.01				0.01
	स्वीकृत:	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	Voted: जिस्सी के अंग्र	3132.76		566.65		3699.41
		II. This Supplementary Grant will be accou				or Heads:		
		II. This Supplementary Grant will be according	unted for unc	ाटा साट ग्यांज आयोजना	wii iy iviaj	ा rieaus. आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		Ministry of Health and Family Welfare						
2210 - चिकित्सा और जन	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01	(कa)			0.01
स्वास्थ्य								
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development						
2515 - अन्य ग्रामीण विकास	स्वीकृत:	2515 -Other Rural Development	Voted:	0.01	(खb)	•••		0.01
कार्यक्रम		Programmes						
नौवहन मंत्रालय		Ministry of Shipping						
3052 - नौवहन	स्वीकृत:	3052 -Shipping	Voted:			0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.02		0.01		0.03
पूंजी भाग	·	CAPITAL SECTION						
् मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
उ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways						
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी	स्वीकृत:	5054 - Capital Outlay on Roads and	Voted:	0.01	(घd)	•••		0.01
परिव्यय		Bridges			(- /			
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development						
4215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत:	4215 - Capital Outlay on Water Supply	Voted:	0.01	(ङe)			0.01
पर पूंजी परिव्यय		and Sanitation		0.0.	(00)	•••		0.0.
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development						
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	0.01	(चf)			0.01
4202 - शिक्षा, खेल, कला और	स्वीकृत:	4202 - Capital Outlay on Education,	Voted:	0.01	(বা) (छg)			0.01
संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	(4)7/().	Sports, Art and Culture	voicu.	0.01	(<i>U</i> g)	•••		0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	·	Voted:	0.04				0.04
•		Total (Capital Section)						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.06		0.01		0.07

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

अपेक्षित है।

- (क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्था (एएनआईएमईआरएस) को जीआईए के लिए व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 9.50 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) जिला परिषद के संबंध में (₹ 0.90 करोड़) और पंचायत समिति (₹ 0.85 करोड़) के जीआईए वेतन के व्यय को पूरा करने के लिए।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) भारतीय पोत परिवहन निगम के बकाया राशि के भुगतान हेतु (₹ 76.29 करोड़)।
 अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हए, सांकेतिक पूरक
- (घ) एटीआर के अलावा चालू निर्माण कार्य हेतु (₹ 5.85 करोड़), ग्रामीण सड़कों के सुधार हेतु (₹ 2.00 करोड़) और टीएएसपी के तहत सड़कों के निर्माण (₹ 1.90 करोड़) के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ङ) ग्रामीण जल आपूर्ति भाग में चालू निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत (₹ 8.54 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (च) पुलिस स्टेशन के चालू निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत (₹ 2.99 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (छ) स्टेडियम के चालू निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत (₹ 0.20 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting the expenditure towards GiA to Andaman and Nicobar Island Medical Education and Research Society (ANIMERS)(₹9.50 crores)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting the expenditure towards GiA Salary in respect of Zila Parishad (₹ 0.90 crore) and Panchayat Samity (₹ 0.85 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Making payment of outstanding dues to Shipping Corporation of India (₹ 76.29 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Additional amount is required for ongoing construction work of other than ATR (₹ 5.85 crore), improvement of rural roads (₹ 2.00 crore) and construction of roads under TASP (₹ 1.90 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) Additional amount is required for ongoing construction works in rural water supply section (₹ 8.54 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) Additional amount is required for ongoing Construction works of Police Station, out Post (₹ 2.99 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Additional amount is required for ongoing construction works of Stadium (₹ 0.20 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

चंडीगढ

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 देखिये)

(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

					(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	19.80			19.80
	स्वीकृत:		Voted:	3044.70	478.75		3523.45
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:	3.51	***		3.51
	स्वीकृत:		Voted:		0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Č	Total (Original plus Supplementary)		3068.01	478.76		3546.77
	भारित:		Charged:	23.31			23.31
	स्वीकृत:		Voted:	3044.70	478.76		3523.46
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्न	ालिखित मुख्य शीर्षो	^{हें} के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant/Appropriati	on will be accour	nted for under	the following M	ajor Hea	
				आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न		जोड़ Total
					Non-Plan		
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD					
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs					
2014 - न्याय प्रशासन	भारित:	2014 - Administration of Justice	Charged:		2.51	(कa)	2.51
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways					
3055 - सड़क परिवहन	भारित:	3055 - Road Transport	Charged:		1.00	(खb)	1.00
जोड़ (राजस्व भाग)	भारित:	Total (Revenue Section)	Charged:	•••	3.51		3.51
<i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION MAJOR HEAD					
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development					
4217 - शहरी विकास पर पूंजी	स्वीकृत:	4217 - Capital Outlay on Urban	Voted:		0.01	(गc)	0.01
परिव्यय		Development					
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		•••	3.52		3.52
	भारित:		Charged:		3.51		3.51
	स्वीकृत:		Voted:	***	0.01		0.01
	ŭ						

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) पंजाब और हिरयाणा हाई कोर्ट में माननीय जजों की संख्या में वृद्धि के कारण और स्थापना संबंधी व्यय में बढ़ोतरी होने के कारण, अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 2.51 करोड़)।

अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में अतिरिक्त नकद प्रवाह नहीं होगा।

- (ख) मोटर ऐक्सीइंट क्लेम ट्रिब्युनल द्वारा घोषित की गई धनराशि के भुगतान के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 1.00 करोड़)।
 अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) माननीय जिला न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए, भूमि स्वामियों को बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 1.00 करोड़)।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) Meeting the additional expenditure due to increase in the strength of Hon'ble Judges in the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh and increase in the establishment related expenditure (₹ 2.51 crore)
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- b) Meeting the expenditure for clearing the payments of award announced by the Motor accident claims Tribunal (₹ 1.00 crore) Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- Meeting the expenditure for making payment of enhanced compensation to the land owners on account of the decision of the Hon'ble District Court/High Court (₹ 100 crore)

दमन व दवी

DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 देखिये) (See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015)

`		•	,		(क	रोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी Carital	जोड़ Total
l. मूल अन्दान:		I. ORIGINAL GRANT:		Revenue		Capital	Total
Δ .3 .	भारित:		Charged:	0.02			0.02
	स्वीकृत:		Voted:	1291.03		348.07	1639.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:			0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Ü	Total (Original plus Supplementary)		1291.05		348.11	1639.16
	भारित:		Charged:	0.02			0.02
	स्वीकृत:		Voted:	1291.03		348.11	1639.14
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	गुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखायाः	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for unde	er the follow आयोजना	ıng Major	Heads: आयोजना-	जोड
				Plan		भिन्न	Total
<u></u>		CARITAL OF CTION				Non-Plan	
<i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION MAJOR HEAD					
कृषि मंत्रालय		Ministry of Agriculture					
4401 - फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4401 - Capital Outlay on Crop	Voted:	0.01	(घd)		0.01
		Husbandry					
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development					
4058 - लेखन सामग्री और छपाई पर	स्वीकृत:	4058 - Capital Outlay on Stationery and	Voted:	0.01	(कa)		0.01
पूंजी परिव्यय		Printing					
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	0.01	(खb)		0.01
परिव्यय							
4215 - जलापूर्ति और स्वच्छता पर	स्वीकृत:	4215 - Capital Outlay on Water Supply	Voted:	0.01	(गc)		0.01
पूंजी परिव्यय		and Sanitation					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.04			0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) स्टेशनरी और प्रिन्टिंग से संबंधित जारी कार्यों को पूरा करने हेतु और जारी कार्यों के लिए, ठेकेदार को भुगतान के लिए मुख्य कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.07 करोड़).

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) लोक कार्यों से संबंधित जारी कार्यों के लिए ठेकेदार को भुगतान के लिए मुख्य कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने और ऐसे कार्य जो प्रगति पर हैं, के लिए ठेकेदार को भुगतान के लिए (₹ 17.26 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ग) जल आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित जारी कार्यों को पूरा करने और प्रगति कर रहे तथा जारी कार्यों के लिए ठेकेदार को भुगतान हेतु पूंजी व्यय के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेत् (₹ 26.00 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(घ) फसल कटाई से संबधित जारी कार्यों को पूरा करने और जारी कार्यों के लिए ठेकेदार को भगतान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए(₹ 0.62 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting the additional expenditure under Major Works to complete the ongoing works related to Stationery and Printing and to make the payment to contractor for the works under progress (₹ 0.07 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting the additional expenditure under Major Works to complete the ongoing works related to Public Works and to make the payment to contractor for the works under progress (₹ 17.26 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) Meeting the additional expenditure under other Capital Expenditure to complete the ongoing works related to Water Supply and Sanitation and to make the payment to contractor for the works under progress (₹ 26.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - d) Meeting the additional expenditure to complete the ongoing work relating to Crop Husbandry and to make the payment to contractor for the works under progress (₹ 0.62 crores)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिये) (See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 64 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

		,	· · · ·				(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
						राजस्व	पूंजी		जोड़
						Revenue	Capital		Total
।. मूल	अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
		स्वीकृत:			Voted:	837.74	227.90		1065.64
पूरक अ	भनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:	•					
		स्वीकृत:			Voted:	0.05			0.05
इस सम	नय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of th	ne amo	unt now				
अनुमा	न:		required:						
		स्वीकृत:			Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मू	ल और पूरक)	· ·	Total (Original plus Supplemental	у)		837.81	227.90		1065.71
			II. इस पूरक अनुदान का हिसाब नि	म्नलिरि	वेत मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जाये	गा:		
			II. This Supplementary Grant	will be	accounted for under	the following	Major Heads:		
						आयोजना	आयोजना-		जोड़
						Plan	भिन्न		Total
							Non-Plan		
राजस्व			REVENUE SECTION						
मुख्य १			MAJOR HEAD						
	य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		Ministry of Health and Family We	lfare					
2210 -	- चिकित्सा और जन	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Hea	alth	Voted:		0.01	(कa)	0.01
स्वास्थ									
गृह मंत्रा			Ministry of Home Affairs						
	- सड़क और पुल	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges		Voted:		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूर	(क)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)		Voted:		0.02		0.02
यह पूर	क अनुदान निम्नलिखित हेतु ३			The	supplementary grant	s are required	for:		
(क)			रहे स्वास्थ सेवाएं विभाग के स्टाफ	(a)	For meeting the ac	dditional expe	nditure for pay	and allov	vances of
	को वेतन और भत्ते के अतिरि	क्त व्यय को प	र्रा करने के लिए (₹ 2.57 करोड़)।		staff of Departmer	nt of Health S	ervices working	under P	anchayat
					Raj Institution. (₹ 2	2.57 crore)			
	अनुदान के इसी भाग में उ	उपलब्ध बच	तों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into accoun	nt the savings	available in th	e same s	section of
	अपेक्षित है।				the Grant, a token	supplementa	ry is sought.		
(ख)	पंचायती राज संस्थान के त	ाहत काम व	र रहे विद्युत विभाग के स्टाफ को	(b)	For meeting the ad	dditional expe	nditure for pay	and allov	vances of
	वेतन और भन्ने के अतिरिक्त व	व्यय को पूरा	करने के लिए (₹ 0.27 करोड़)।		staff of Departme	nt of Electrici	ty working und	er Pancl	nayat Raj
					Institution, etc. (₹ 0	0.27 crore).			
	अनुदान के इसी भाग में उ	उपलब्ध बच	तों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक		Taking into accoun	nt the savings	available in th	e same s	section of
	अपेक्षित है।		•		the Grant, a token	supplementa	ry is sought.		

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 131 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 66 देखिये) (See page 131 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 66 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	61.80		107.00	168.80
	स्वीकृत:		Voted:	8633.60		8826.20	17459.80
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	भारित:		Charged:	2.37		41.50	43.87
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		0.02	0.05
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	80.01			80.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		8777.81		8974.72	17752.53
	भारित:		Charged:	64.17		148.50	212.67
	स्वीकृत:		Voted:	8713.64		8826.22	17539.86
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जा	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for under	the followin	g Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत:	2217 -Urban Development	Voted:	80.00	(कa)		80.00
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	(खb)		0.01
सहायता							
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	80.01			80.01

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड को अंशदान के सन्दर्भ में, पूंजी भाग से राजस्व भाग,व्यय की बुकिंग हेत् वर्गीकरण सुधार (₹ 80.00 करोड़)।
 - अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) आन्ध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 94(3) के अनुपालन में आन्ध्रप्रदेश की शहरी अवसंरचना हेतु एकमुश्त विशेष (₹ 1000 करोड)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित ।

- (a) correcting the classification for booking of expenditure in respect of Contribution to the National Capital Region Planning Board from Capital Section to Revenue Section (₹ 80.00 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) One time special assistance for Urban infrastructure to Andhra Pradesh in compliance of Section 94(3) of A.P. Reorganization Act 2014 (₹ 1000 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

जल संसाधन मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 134 और वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 70 देखिये) (See page 134 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2014-2015 and page 70 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2014-2015)

						(करोड़ रुप	ये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	***		4.00		4.00
	स्वीकृत:		Voted:	15143.11		228.63		15371.74
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	भारित:		Charged:	13.26				13.26
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		15156.43		232.63		15389.06
	भारित:		Charged:	13.26		4.00		17.26
	स्वीकृत:		Voted:	15143.17		228.63		15371.80
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for un	der the follow	ving Majo	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2701 - वृहत और मध्यम	स्वीकृत:	2701 -Major and Medium Irrigation	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
सिंचाई								
3435 - पारिस्थितिकी और	स्वीकृत:	3435 -Ecology and Environment	Voted:	0.01	(गc)			0.01
पर्यावरण								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) सर्वेक्षण उपक्रणों की मूल्यवृद्धि, अन्तर-राज्य और अंतरा-राज्य लिंक की परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए और स्थापना संबंधी व्ययों के लिए 'नदी बेसिन प्रबंधन' के अंतर्गत जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 2.00 करोइ)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ हायड्रौलजी को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 0.42 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) जल परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 230.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing Grant-in-aid General for 'Investigation of Water Resources Development Schemes' under 'River Basin Management' on account of price escalation of survey instruments, preparation of project reports of Inter-State and Intra State links and establishment related expenses. (₹ 2.00 crore)
 - Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing Grant-in-aid General to National Institute of Hydrology for meeting establishment related expenses (₹ 0.42 crore).
 - Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) providing Grant-in-aid for Creation of Capital Assets to National Capital Territory of Delhi for Water projects (₹ 230.00 crore). Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

ANNEXURE

अनुबंध

वर्ष 2013-14 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है। (करोड़ रुपए)

			(करो	<i>ज़ रुपए</i>)	
क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना	बजट अनुमान	पुनर्विनियोग की राशि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
2013-1 1.भारी	4 उद्योग विभाग	6858.60.190.09.00.55 हिंदुस्तान केबिल्स लिं. (एचसीएल) को ऋण	0.00	78.05	एचसीएल के कर्मचारीयों के बकाया वेतन/ मजदूरी और सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु व्यय के निमित्त ऋण एंव अग्रिम।
		6858.60.190.19.00.55 हिंदुस्तान मशीन टूल लिं. (एचएमटा) को ऋण	0.00	160.28	कार्यशील पूंजी ऋण और एचएमटी के कर्मचारियों के बकाया वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु व्यय के निमित्त ऋण एंव अग्रिम।
		6858.60.190.14.00.55 हेवी इंजीनियरिंग कोरपोरेशन लि. (एचईसी) को ऋण	0.00	47.89	एचईसी के कर्मचारियों के बकाया वेतन/ मजदूरी और सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु व्यय के निमित्त ऋण एंव अग्रिम।
		6858.60.190.25.00.55 तुगभद्र स्टील प्राडक्टस लि. (टीएसपीएल) को ऋण	0.00	1.73	टीएसपीएल के कर्मचारियों के बकाया वेतन/ मजदूरी और सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु व्यय के निमित्त ऋण एंव अग्रिम।
		6860.05.190.01.00.55 नेपा लि. को ऋण	0.00	34.91	नेपा लि. के कर्मचारियों के बकाया वेतन/ मजदूरी और सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु व्यय के निमित्त ऋण एंव अग्रिम।
		6858.05.190.02.00.55 एनपीपीसी के लिए हिंदुस्तान पेपर कारपो. लि. को ऋण	0.00	6.18	एचपीसी लि. की सहायक कंपनी एनपीसीसी लि. के कर्मचारियों के बकाया वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु व्यय के निमित्त ऋण एंव अग्रिम।
		6858.60.190.09.00.55 हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स लि. को ऋण	0.00	12.53	एचपीएफ लि. के कर्मचारीयों के बकाया वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु व्यय के निमित्त ऋण एंव अग्रिम। उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम में स्थित राज्य सरकारों के लिए सहायता अनुदान
2014-1 2. ₹	5 ांस्कृति मंत्रालय	एम एच-2205 विश्व धरोहर निधि को सहयोग 2205.00.798.01.00.32	0.08	0.0920	2013 से आगे भारत के बढ़ते मूल्यांकन सहयोग के कारण
		एम एच-2205 भारतीय पूरातत्विक सर्वेक्षण (i) 2205.00.106.08.00.50- अन्य खर्चे	3.45	4.10	निर्मित धरोधर और स्थलों के प्रलेखन और पुरावशेष प्रलेखन, आउटसोसिंग एजेन्सियों का भुगतान और अनुसंधान संबंधी कार्य और जागरुकता कार्यक्रम से संबंधित अतिरिक्त गतिविधियों/कार्यों का निष्पादन करने के लिए।

research related works etc.

ANNEXURE

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2013-14.

	NT 04 25 1	~ .		s in Crore)	
Sl. No.	•	Scheme	Budget Estimates	Amount of Re-appro- priation	Remarks
1	2	3	4	5	6
2013 1.	3-14 Department of Heavy Industry	6858.60.190.09.00.55 Loan to Hindustan Cables Ltd. (HCL)	0.00	78.05	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of HCL.
		6858.60.190.19.00.55 Loans to Hindustand Machine Tools Ltd. (HMT)	0.00	160.28	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of HMT and for working capital loan.
		6858.60.190.14.00.55 Loans to Heavy Engineering Corporation Limited (HEC)	0.00	47.89	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of HEC.
		6858.60.190.25.00.55 Loans to Thungbhadra Steel Products Ltd. (TSPL)	0.00	1.73	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of TSPL.
		6860.05.190.01.00.55 Loans to NEPA Ltd.	0.00	34.91	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of NEPA Ltd.
		6858.05.190.02.00.55 Loans to Hindustan Paper Corporation Ltd. for (NPCC)	0.00	6.18	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of NPCC Ltd. subsidiary of HPC Ltd.
•		6858.60.190.09.00.55 Loans to Hindustand Photo Films Ltd.	0.00	12.53	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to the employees of HPF Ltd.
201 ⁴ 2.	4-15 Ministry of Culture	MH 2205 Contribution to World Heritage Fu 2205.00.798.01.00.32	nd 0.08	0.0920	Due to increased India assessed contribution from 2013 onwards.
		MH 2205 Archaeological Survey of India (i) 2205.00.106.08.00.50- Other Charges	3.45	4.10	To carry additional activities/works related to the documentation of built Heritate & Sites and documentation of Antiquites, payment of outsourcing agencies and awareness programmes and research related works etc.

	(करोड़ रुपए)						
1	2	3	4	5	6		
		(ii) 2205.00.106.01.99.13- कार्यालय व्यय	3.50	1.50	सात पुरातत्व स्थल संग्रहालय में जतन् साफ्टवेयर को लगाना/प्रसारित करना, ई- अटैनडेन्स का इंतजाम और सूचना प्रौद्योगिकी मदों को खरीदना।		
3.	पर्यावरण, वन और मौसम परिवर्तन का मंत्रालय	2406.01.003.12 वन विभाग कर्मचारियों की विदेशी प्रशिक्षण	0.40	0.60	अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करना ।		
4.	राज्यों और संघ शासित राज्य सरकारों को हस्तांतरण	3601.02.101.12.00.35- विशिष्ठ योजना सहयोग (पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए सहायता अनुदान) विदेशी प्रशिक्षण	6837	850	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा खाद्य सहायता और पुनरुद्धार के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य को परियोजना-संबंधी निधियों का निर्गमन		
5.	प्रत्यक्ष कर	एमएच 2020- आय पर कर संग्रह तथा व्यय (प्रमुख शीर्ष)/00.0001.01 निर्देश एवं प्रशासन (लघु शीर्ष) आयुक्त एवं उनके कार्यालय 01.01.14-किराया दरें एवं कर	154.29	12.92	विभाग के पुनर्गठन/विस्तार के परिणाम स्वरूप जहां किराया, दर तथा कर बढ़ गए हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए गए हैं, के लिए 12.92 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधियां अपेक्षित हैं। यह प्रतिबद्ध दायित्व है।		
6.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	3601-अन्य पिछड़े जनजाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	704.50	66.06	उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम में स्थित राज्य सरकारों के लिए सहायता अनुदान		
		4225-कमजोर तबके के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास	99.76	12.24	उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थियों के लिए इक्वटी का निर्गमन		
7.	अंडमान और निकोबार द्वीप स	ਸਟ					
•	क-गृह मंत्रालय	्एमएच-2055 पुलिस 104.04.01 भारतीय रिजर्व पलटन	33.42	6.18	वेतनों के व्यय को पूरा करना।		
	क-गृह मंत्रालय	एमएच-2055 पुलिस 109.13.01 जिला पुलिस प्रतिष्ठान	85.92	11.27	वेतनों के व्यय को पूरा करना।		
	विद्युत मंत्रालय	एमएच-2801 विद्युत 04.103.01 विद्युत संयंत्र और सहायक कार्य	167.28	17.51	एचएसडी के खरीद के व्यय को पूरा करना		
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	एमएच-2210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ 05.105.52 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा और अनुसंधान संस्था	0.50	9.50	एएनआइएमईआरएस को जीआईए के व्यय को पूरा करने के लिए		
	ग्रामीण विकास मंत्रालय	एमएच-4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय 01.102.03 ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति	30.00	8.54	विभिन्न चालू कायों पर होने वाले व्यय को पूरा करना.		
	पोत परिवहन मंत्रालय	एसएच-3052 पोत परिवहन सेवाएं 02.103.03 एससीआई को भुगतान	164.00	35.40	एससीआई के बकाया देयताओं के भुगतान हेतु		

			(Rupees in Crore)		
1	2	3	4	5	6
		(ii) 2205.00.106.01.99.13- Office Expenses	3.50	1.50	To implement/deploy the Jatan Software/hardware at seven Archaeological Site Museum, procurement of e-attendance and purchase other IT items.
3.	Ministry of Environment, Forests and Climate Change	2406.01.003.12 Foreign Training of Forestry Personnel	0.40	0.60	For conducting the international training programme.
4.	Transers to State and Union Territory Governments	3601.02.101.12.00.35-Special Plan Assistance (Grant-in-Aid for creation of Capital Assets)	6837	850	For release of Project-linked funds to the State of J&K as announced by Honorable Prime Minister for Flood Relief and Rehabilitation.
5.	Direct Taxes	MH-2020 Collection of Taxes on Income & Expenditure (Major Head)/00.0001.01 Direction and Administration (Minor Head) Commissioner and their offices 01.01.14-Rent Rates and Taxes	154.29	12.92	Additional funds to the tune of Rs. 12.92 Crore are required consequent to re structuring/expansion of the department where rent, rate & taxes have been increased and duly sanctioned by competent authority. This is a comitted liability.
6.	Department of Social Justice & Empowerment	3601- Post Matric Scholarship for OBCs`	704.50	66.05	For releasing Grants-in-aid to State Governments located in NE Region and Sikkim
		4225- National Finance Development Corporation for Weaker Sections	99.76	12.24	For releasing equity for the beneficiaries of NE Region and Sikkim.
7.	Andaman and Nicobar 1	clande			
•	A-Ministry of Home Affairs	MH-2055 Police 104.04.01 India Reserve Batallion	33.42	6.18	To meet the expenditure for salaries.
	A-Ministry of Home Affairs	MH-2055 Police 109.13.01 District Police Establishment	85.92	11.27	To meet the expenditure for salaries.
	D-Ministry of Power	MH-2801 Power 04.103.01 Power Plant and Anciliary Works	167.28	17.51	To meet the expenditure on purchase of HSD
	I-Ministry of Health and Family Welfare	MH-2210-Medical and Public Health 05.105.52 Andaman & Nicobar Islands Medical Education and Research Society	0.50	9.50	To meet the expenditure for GIA to ANIMERS
	C-Ministry of Rural Development	MH 4215 Capital Outlay on Water Supply and Sanitation 01.102.03 Water Supply in Rural Areas	30.00	8.54	To meet the expenditure on various ongoing works.
	S-Ministry of Shipping	MH 3052 Shipping Services 02.103.03 payment to SCI	164.00	35.40	For making payment to SCI towards outstanding dues.